Springboard ACADEMY

RAS
FOUNDATION

राजस्थान की राज व्यवस्था

Dileep Mahecha
Director : Springboard Academy

New Edition 2024

CamScanner

MAHECHA
PUBLICATION

Springboard
ACADEMY

राजस्थान की राजव्यवस्था

RAS FOUNDATION

CLASS NOTES

Available @ JAIPUR • JODHPUR
www.thenoteshub.com

The Notes Hub

Contact Now : 7610010054, 7300134518

All Right Reserved with the MAHECHA PUBLICATION

CamScanner

राजस्थान राजव्यवस्था

TABLE OF CONTENTS

Page No.

CHAPTER-1 राज्य निर्वाचन आयोग ..... [1-7]

CHAPTER-2 राजस्थान लोक सेवा आयोग ..... [8-27]

CHAPTER-3 लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त ..... [28-41]

CHAPTER-4 राज्य मानवाधिकार आयोग ..... [42-53]

CHAPTER-5 राज्य सूचना आयोग ..... [54-61]

CHAPTER-6 नागरिक अधिकार पत्र ..... [62-63]

CHAPTER-7 विधिक अधिकार ..... [64-70]

CHAPTER-8 राज्यपाल ..... [71-96]

CHAPTER-9 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ..... [97-118]

CHAPTER-10 राज्य विधानमण्डल ..... [119-140]

CHAPTER-11 राजस्थान उच्च न्यायालय ..... [141-154]

CHAPTER-12 जिला प्रशासन ..... [155-181]

CHAPTER-13 पुलिस प्रशासन ..... [182-186]

CHAPTER-14 महाधिवक्ता ..... [187-189]

CHAPTER-15 स्थानीय निकाय ..... [190-212]

CHAPTER-16 नगरीय निकाय ..... [213-224]

CHAPTER-17 लोकनीति ..... [225-232]

CamScanner

1. राज्य निर्वाचन आयोग

→ यह एक संवैधानिक आयोग है। [प्रावधान - संविधान के अनु. 243 K व 243 ZA में]

Note – इस आयोग का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा – 120 में भी किया गया है।

→ यह एक सदस्यीय आयोग है – इसका *प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।*

→ स्थापना – • आयोग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया – 17 जून 1994
• आयोग की स्थापना – 1 जुलाई 1994
आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के प्रथम चुनाव 1995 में करवाए गए।

→ आयुक्त की सेवा शर्तें –

योग्यता – सेवानिवृत्त IAS जिसे प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्षों का अनुभव हो।

नियुक्ति – आयुक्त की नियुक्ति राज्यमंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

कार्यकाल – 5/65 वर्ष जो भी पहले हो। (2002 तक → 6/65 वर्ष)

टिप्पणी – आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती।

वेतन व भत्ते – राज्य के मुख्य सचिव के समान (राज्य की संचित निधि पर भारित)

शपथ – प्रावधान नहीं है।

इस्तीफा – राज्यपाल को

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

#निष्कासन / हटाने की प्रक्रिया — राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।

हटाने का आधार – (1) कदाचार या दुर्व्यवहार
(2) असमर्थता

आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन – राज्यपाल को

संरचना – राज्य निर्वाचन आयुक्त (प्रमुख)

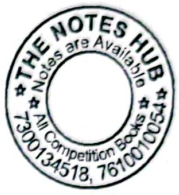

↓
(IAS) सचिव → मुख्य निर्वाचन अधिकारी
↓ → राज्य निर्वाचन अधिकारी
(RAS) उपसचिव
↓
(DM) जिला निर्वाचन अधिकारी
↓
(DM) जिला पंजीयन अधिकारी (मतदाता सूचियों का नवीनीकरण)
↓
(RAS) निर्वाचन अधिकारी (AERO) (सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी)
↓
पीठासीन अधिकारी (PO)
↓
BLO (Booth Level Officer)

 # आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता हेतु किए गए उपाय / प्रयास —

(1) आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। (अनुच्छेद 243 K – 243 ZA)

(2) नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया — राज्यपाल द्वारा राज्यमंत्रिपरिषद की सलाह पर

(3) कार्यकाल का स्थायित्व – 5/65 वर्ष जो भी पहले हो।

(4) हटाने की जटिल प्रक्रिया – महाभियोग प्रक्रिया

(5) वेतन / भत्तें – राज्य की संचित निधि से। → (इन पर बहस हो सकती है लेकिन मतदान नहीं)

(6) नियुक्ति के पश्चात् आयुक्त की सेवा शर्तों में असाभकारी या नकारात्मक परिवर्तन पर रोक।

CamScanner

राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका / कार्य —

- राज्य में स्थानीय निकायों (पंचायतीराज + नगरीय निकाय) के चुनाव करवाना।
- PRI व ULB के चुनावों की तिथि की घोषणा करना।
- निर्वाचन आयोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण EC का सबसे प्रमुख कार्य है।
- वर्तमान में विशेष योग्यजनों व वृद्धों के लिए होम वोटिंग की सुविधा की गई है।
- निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची का नवीनीकरण करवाना।
- चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना।
- स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा करना।
- चुनाव को निरस्त या स्थगित करना।
- चुनाव में विभिन्न सुधार व नवाचार लागू करवाना।
  Ex. EVM का प्रयोग, फोटोयुक्त मतदाता सूची, चुनावी व्यय पर नियंत्रण।
- स्थानीय निकायों के उपचुनाव का आयोजन करवाना।
- राज्य परिसीमन आयोग को सलाह प्रदान करना।
- राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।
- चुनाव चिह्नों का वितरण करना एवं चुनाव चिह्न से संबंधित विवादों का निपटारा।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

ग्राम पंचायत में किसी पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं होता।

CamScanner

- राज्य में किस स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी रहेगी और किसमें नहीं, इसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करता है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राज्य निर्वाचन आयोग की आलोचना —

(1) आयुक्त की नियुक्ति में राज्य सरकार का एकाधिकार ।

(2) मानव संसाधन हेतु (कर्मचारी) आयोग की राज्य सरकार पर निर्भरता ।

(3) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एक औपचारिक प्रक्रिया है।। विधानसभा में विमर्श ना होना)

(4) आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद ।

(5) केवल सेवानिवृत लोकसेवकों को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(6) राज्य सरकार का आयोग में अनावश्यक हस्तक्षेप ।

(7) राज्य निर्वाचन आयुक्त व मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मध्य समन्वय का अभाव ।

(8) अत्यधिक कार्यभार जबकि यह एक सदस्यीय आयोग है।

(9) आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाना ।

सुझाव / आगे की राह —

(1) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए ।

समिति की संरचना — (i) मुख्यमंत्री (ii) विधानसभा अध्यक्ष
(iii) विधानसभा में विपक्ष के नेता / प्रतिपक्ष

CamScanner

(2) आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। (अत्यधिक कार्यभार के कारण)

(3) राज्य में एक प्रत्यक्ष सचिवालय होना चाहिए जो DCC व CEO अधिकारियों को सहायता प्रदान करें।

(4) राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

(5) भारतीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को साथ लाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के अनुभवों को साझा कर सके।

(6) आयोग में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(7) राज्य सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए।

(8) सरकारी या सेवानिवृत लोकसेवकों की जगह स्वतंत्र व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610070054

CamScanner

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)

↳ वर्तमान = नवीन महाजन (IAS)

↳ प्रावधान- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13A में

→ CEO राजस्थान में निम्न चुनावों को करवाता है –

(1) MP
(2) MLA
(3) विधानसभा में राष्ट्रपति के चुनाव
(4) राज्यसभा सीटों के चुनाव

राजस्थान में हालही में MP, MLA चुनाव के दौरान प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-

- नगरपालिका अध्यक्ष के लिए मुक्त प्रतीकों की संख्या - 40 (चुनाव चिह्न)

NOTE- राजस्थान के प्रथम व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त के समय कार्यकाल 6/62 वर्ष था लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इसे 5/65 वर्ष किया जाये। सरकार ने स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त के समय से इसे प्रभावी बनाया।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

THE NOTES HUB All Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

आयुक्तों का विवरण–

क्र.स.	आयुक्त का नाम	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री अमर सिंह राठौड़	01-07-1994	30-03-2000	• प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त। • सर्वाधिक कार्यकाल • सेवानिवृत्त IAS अधिकारी
2.	श्री एन.आर. भसीन	01-07-2000	10-08-2002	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी • भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष, पद पर रहते हुए मृत्यु तथा प्रबंध निदेशक रहे। • 1979 में इन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की। • इन्हें "राजस्थान के कुरियन" की उपाधि प्राप्त है। • न्यूनतम कार्यकाल।
3.	श्री इन्द्रजीत खन्ना	26-12-2002	26-12-2007	• 1966 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। • राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव रहे। (जनवरी 2000 से दिसम्बर 2002)। • सेबी ने इन्हें जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड में जनप्रतिनिधि के रूप में नामित किया। • भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के विजिटिंग प्रोफेसर। • वित्त मंत्रालय के प्रवर्तक निदेशक एवं पदेन सचिव रहें।
4.	श्री अशोक कुमार पाण्डे	01-10-2008	30-09-2013	• सेवानिवृत्त IAS अधिकारी।
5.	श्री राम लुभाया	01-10-2013	02-04-2017	• वरिष्ठ IAS अधिकारी। • हाईपावर कमेटी में राजस्व विभाग के प्रमुख। • नये जिलों हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (इस समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया।)
6.	श्री प्रेमसिंह मेहरा	03-07-2017	03-07-2022	• वरिष्ठ IAS अधिकारी • राज्य वित्त आयोग के मुख्य सचिव रहे। • सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार। • टैक्स बोर्ड के चेयरमैन। • भू-जल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख। **नोट :** प्रेमसिंह मेहरा को आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए सरकार को सेवा नियमों में संशोधन करना पड़ा।
7.	श्री मधुकर गुप्ता (वर्तमान आयुक्त)	14-08-2022	निरंतर	• भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी। • नई दिल्ली बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त रहे। • भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम एवं भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव व अतिरिक्त सचिव रहे। • इंदिरा गाँधी नहर बोर्ड के चैयरमैन। • संभागीय आयुक्त-जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। • राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे।

CamScanner

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग

Rajasthan Public Service Commission [RPSC]

→ रियासत काल में लोक सेवा आयोग — (1) जोधपुर
(2) जयपुर
(3) बीकानेर

→ स्वतंत्रता पूर्व चयन समिति — उदयपुर

स्थापना- → रियासतों के एकीकरण के पश्चात्, राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 Aug. 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया

→ आयोग की स्थापना — 22 Dec 1949 को जयपुर में
[अध्यादेश की धारा -1(3) की अनुपालना में]

वर्तमान में मुख्यालय = अजमेर (अगस्त, 1958 से सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर)

→ संरचना → जब इसकी स्थापना हुई तब 1 + 2 (3 सदस्य)
↓ S.K. घोष → N.R. चांडोरकर
→ देवी शंकर तिवाड़ी

→ वर्तमान संरचना — 1 + 7 27 जून, 2011 से
↳ जून 2013 में प्रथम बार 7 सदस्य नियुक्त हुए।

NOTE — RPSC सदस्यों की संख्या में वृद्धि राज्यपाल द्वारा "राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974" के अंतर्गत की जाती है।

CamScanner

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

RPSC की संरचना —

अध्यक्ष (1)
↓
सदस्य (7)
↓
सचिव (IAS) — 1969 से (रामनिवास मेहता)
↓
संयुक्त सचिव (RAS)
↓
उपसचिव

सचिव (IAS) → परीक्षा नियंत्रक (IAS) (अलग पद है) → आशुतोष गुप्ता

योग्यता 316 (1) → आधे सदस्य ऐसे होगें जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

NOTE — आधे सदस्य राजनीतिज्ञ, पत्रकार, वकील, शिक्षाविद नियुक्ति किए जा सकते हैं।

NOTE — अध्यक्ष व सदस्य हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है।

नियुक्ति 316 (1) — राज्यपाल द्वारा राज्यमंत्रिपरिषद की सलाह पर।

NOTE — 316 (1a) — RPSC में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से की जाती है।

CamScanner

कार्यकाल – 6/62 वर्ष जो भी पहले हो।
41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।

पुनर्नियुक्ति के प्रावधान – X

(Art.–319)

	RPSC		अन्य लोक सेवा आयोग		UPSC	
	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष
अध्यक्ष	X	X	X	✓	✓	✓
सदस्य	X	✓	X	✓	✓	✓

NOTE- राजस्थान सरकार द्वारा तीन बार इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है जबकि आयोजन से कार्यमुक्त एक अध्यक्ष राज्य के सेकेण्ड्री शिक्षा बोर्ड, दूसरे जयपुर विकास प्राधिकरण में तथा तीसरे राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्त किये गये थे।

वेतन/भत्तें — राज्य की संचित निधि से

(Art.–322) अध्यक्ष – 2.25 लाख मात्र सदस्य – 2.15 लाख मात्र

इस्तीफा – राज्यपाल को।

CamScanner

निष्कासन →

Art.–317 (1) → राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात् — कदाचार के आधार पर (संविधान के अनुच्छेद 145 में निहित प्रक्रिया)

(ii) राष्ट्रपति द्वारा सीधा निष्कासन (Art. 317(3))
(i) दिवालियापन
(ii) मानसिक विकृति
(iii) लाभ के पद मामले में
→ राष्ट्रपति द्वारा [Art.–317 (3)]

निलंबन (Suspension) —— [Art.–317 (2)]
राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के दौरान।
↳ हालही में आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को राज्यपाल द्वारा निलंबित किया गया।

वार्षिक प्रतिवेदन → राज्यपाल को। (1 अप्रैल से 31 मार्च तक)
[Art.–323 (2)]

RPSC के अतिरिक्त कार्य – अनुच्छेद 321 – राज्यविधानमण्डल द्वारा

RPSC के कार्य – [Art.–320]

(1) राज्य सरकार के लिए विभिन्न भर्तियों परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों का आयोजन करवाना। [Art. 320 (1)]

(2) राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह प्रदान करना।
[अनुच्छेद 320 (3)]

CamScanner

(i) कर्मचारियों हेतु विभिन्न नीतियों के निर्माण में जैसे – प्रशिक्षण नीति, स्थानान्तरण नीति एवं पदौन्नति नीति ।

(ii) पेंशन संबंधी मामलों में ।

(iii) कर्मचारियों के मुआवजों संबंधी मामले ।

(iv) पदौन्नति में अनुभव में छूट संबंधी मामलें ।

(v) एक सेवा का अन्य सेवा में विलय ।

} सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।

(3) पदौन्नति हेतु विभागीय पदौन्नति समिति (DPC) की बैठकों का आयोजन करवाना । [अनुच्छेद 320(3)]

(4) राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना । [Art.–323 (2)]

(5) राज्यविधानमण्डल द्वारा सौंपा गया अन्य कार्य । [Art.– 321]

(6) सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का निस्तारण करना ।

(7) आयोग के सचिवालय के प्रशासन का संचालन करना ।

NOTE – राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध करने पर UPSC राष्ट्रपति के निर्देश के पश्चात् राज्य की किन्हीं/सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है (Art. 315 (4))

→ वे मामलें जिन पर राज्यसरकार RPSC से सलाह नहीं लेती –

(1) नई लोक सेवा का सृजन ।

(2) पदों का वर्गीकरण ।

(3) स्थानान्तरण संबंधी मामलें ।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(4) राज्य सरकार के कर्मचारियों का परिवीक्षाकाल (Probation)

(5) प्रथम नियुक्ति व पदोन्नति के पश्चात् वेतन।

(6) सेवाओं का आवंटन ।

(7) प्रशिक्षण काल।

(8) भर्ती की सामान्य पद्धति

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE- विधायिका को यह अधिकार है कि वह आयोग के कृत्यों तथा क्षेत्राधिकार में संशोधन कर दे तथा वे आयोग के प्रतिवेदन पर बहस कर सकती है। आयोग के प्रत्येक कृत्य को न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है।

NOTE- RPSC द्वारा RAS परीक्षा का आयोजन सर्वप्रथम 1986 में करवाया गया।

→ आयोग की स्वायत्तता / स्वतंत्रता हेतु किए गए उपाय —

(1) आयोग की संवैधानिक कर्जा। (Art. 315–323)

(2) पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया

राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश

(3) अध्यक्ष व सदस्यों हेतु कार्यकाल का स्थायित्व — 6/62 वर्ष जो भी पहले हो।

(4) आयोग में पुनर्नियुक्ति पर रोक।

(5) नियुक्ति के पश्चात् नकारात्मक या अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक

(6) आयोग में वेतन / भत्ते राज्य की संचित निधि से।

(7) निष्कासन की जटिल प्रक्रिया — राष्ट्रपति द्वारा।

(8) आयोग के सेवा शर्तों संबंधी नियम राज्यपाल द्वारा बनाये जाते है।

CamScanner

NOTE → • आयोग का सचिव वित्तीय व प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करता है।

• आयोग सचिवालय के अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा की जाती है।

• सचिव के प्रति किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार अध्यक्ष को ही है। सचिव राज्यपाल को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील कर सकता है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

• आयोग की सांगठनिक संरचना-

1. प्रशासनिक संभाग
2. भर्ती संभाग
3. परीक्षा संभाग
4. लेखा संभाग
5. विधि संभाग
6. शोध संभाग

• कार्यप्रणाली हेतु विनियम - 1963, 1975, 1976 में बनाए गए।

• कार्य हेतु विनियम :- राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियम-1951

राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य सीमा नियम-1951

↳ इन नियमों में 1961 व 1983 में संशोधन किया गया।

• आयोग के नए भवन (घूघरा घाटी, अजमेर) तथा मोनोग्राम का उद्घाटन राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री अंशुमन सिंह ने २१ Oct. २००० को किया था।

- आयोग के कार्य व अधिकार क्षेत्र का संबंध अनुच्छेद १६, २३४, ३१५ से ३२३ तक है।

आयोग के अधिकार क्षेत्र में निम्नांकित पद नहीं आते है :-

- राज्यपाल के कार्यपाल व राजभवन के कार्मिक।
- महाधिवक्ता तथा लोक अभिभाषक।
- राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण के सदस्य।
- राज. सशस्त्र पुलिस तथा पुलिस सेवा के अन्तर्गत निर्धारित पदों के अतिरिक्त अन्य पद।
- पायलट इंस्पेक्टर इंचार्ज आदि।
- एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर इंचार्ज

RPSC की कमियाँ —

- अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद।
- भर्तियों में देरी।
- भ्रष्टाचारों के आरोप।
- विवादित स्केलिंग प्रक्रिया। (Normalization)
- UPSC की भाँति वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं करता।
- राज्य सरकार का हस्तक्षेप।
- वार्षिक प्रतिवेदन पर कोई विमर्श न होना।
- वित्तीय कमी

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

- न्यायलय का हस्तक्षेप।
- राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं।
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृति की अवधि का कम होना।
- आयोग द्वारा की गई सुधारात्मक अनुशंसाओं की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करना।
  उदा.- वेतन का निर्धारण, प्रशिक्षण शर्तें।

सुझाव-

(1) RPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए।

(2) RPSC में सभी सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

(3) RPSC को UPSC की भाँति कार्यों को करना चाहिए।

(4) RPSC के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श होना चाहिए।

(5) RPSC में पदों को बढ़ाना चाहिए।

(6) याचिकाओं को जल्द निपटाने के लिए Fast track Court को अपनाना चाहिए।

आयोग में नवाचार या सुधार —

(1) वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) → 20 जनवरी, 2022

(2) ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM)

(3) माइ एग्जाम माइ रिव्यु सिस्टम (Memory)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(4) पूर्व याचिका समिति का गठन – इसका अध्यक्ष RPSC सदस्य होता है।
(Pre Litigation Committee) → वादकरण को कम करने के लिए

(5) परीक्षा केन्द्रों की ऑनलाइन ट्रेसिंग।

(6) M.L. कुमावत समिति का गठन – पूर्व अध्यक्ष (2021) → सुझाव - वार्षिक भर्ती कलैंडर फास्टट्रेक कोर्ट

(7) OMR में पाँचवा विकल्प।

(8) पाठ्यक्रम में समय–समय पर बदलाव करना।

(9) RPSC में अतिरिक्त पद का प्रावधान – परीक्षा नियंत्रक

10. विजय व्यास समिति - प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारु रूप से आयोजित करवाने के लिए।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

11. स्पंदन पत्रिका का प्रकाशन।

12. शिकायत निवारण पोर्टल - 29 Nov. 2021 से प्रभावी

13. दिव्यागजनों के लिए आयोग की अधिकारिक पोर्टल एवं परीक्षा प्रणाली को सुगम बनाया गया है।

NOTE वर्ष 2018 में आयोग को राजस्थान में ई. गवर्नेंस के बेहतरीन उपयोग के लिए 'स्मार्ट सिटी अजमेर अवार्ड-2018' प्रदान किया गया तथा दस्तावेज श्रेणी के अन्तर्गत ऑन स्क्रीन मार्किंग में ई- गवर्नेंस के उपयोग के संदर्भ में "टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2018" प्रदान किया गया है।

- आयोग को गुणवत्ता प्रबन्धन के लिए 2011 में ISO-9001:2008 प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

CamScanner

संयुक्त लोक सेवा आयोग – (JPSC)

→ प्रावधान – Art. 315 (1)

→ गठन – संसद के कानून द्वारा अतः गठन के पश्चात् यह एक सांविधिक / वैधानिक आयोग है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ नियुक्ति
→ इस्तीफा
→ निष्कासन
→ निलम्बन
→ राष्ट्रपति द्वारा

→ वेतन का निर्धारण – संसद द्वारा

→ वार्षिक प्रतिवेदन – संबंधित राज्यपाल को → 323 (2)

★ उदाहरण – 1966 में पंजाब व हरियाणा हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग।

CamScanner

MAHECHA PUBLICATION

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	सर एस. के. घोष, (शरत कुमार, मुख्य न्यायाधीश), कार्यवाहक	22-12-1949	25-01-1950	• 1938 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित। • चटगाँव के अतिरिक्त न्यायाधीश। • कोमिला के जिला न्यायाधीश। • 1929 में हुगली के जिला न्यायाधीश। • 29 मार्च, 1946 से 29 मार्च, 1948 तक जयपुर रियासत के मुख्य न्यायाधीश और फिर कश्मीर की भारतीय रियासत के अंतिम मुख्य न्यायाधीश बने। • भारत की स्वतंत्रता के समय ये राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रहे। • वरिष्ठ IAS अधिकारी।
2.	श्री एस. सी. त्रिपाठी (यूपीएससी सदस्य भी रहे)	28-07-1950	07-08-1951	• उत्तरप्रदेश कैडर के 1968 बैंच के IAS अधिकारी। • गेल इण्डिया लिमिटेड में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर थे। • ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। • 1988 – 89 तक संयुक्त सचिव (आर्थिक मामलें) • 1989 में मंत्री (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) • भारतीय दूतावास टोक्यो में नियुक्त हुए। • 2000 - 2002 तक अतिरिक्त सचिव खान मंत्रालय। • 2002 – 2004 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव। • दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर (1996-97)। • 2004 में सचिव माध्यमिक और उच्च शिक्षा, नोएडा के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 1978-80 तक आयुक्त आगरा मण्डल।
3.	श्री डी.एस. तिवारी (अधिकतम कार्यकाल)	08-08-1951	17-01-1958	--
4.	श्री एम. एम. वर्मा	18-01-1958	03-12-1958	--
5.	श्री एल. एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक)	04-12-1958	31-07-1960	• बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रोफेसर। • पूना विश्वविद्यालय प्रोफेसर।
6.	श्री वी. वी. नार्लिकर (विष्णु वासुदेव) (प्रोफेसर BHU के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष रहे)	01-08-1960	31-07-1966	• सामान्य सापेक्षता में विशेषज्ञता वाले एक भारतीय भौतिक विज्ञानी। • सैद्धांतिक भौतिकी केन्द्र "जामिया मिलिया इस्लामिया" ने इनकी स्मृति में वार्षिक "वीवी नार्लीकर मेमोरियल लेक्चर" की शुरूआत की। • कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितीय ट्रिपोज पूरा करने के बाद विष्णु नार्लीकर "स्टार रैंगलर" बन गए। • आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप और रैले पुरस्कार प्राप्तकर्ता। • 1966 में पूना विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर। • 1931 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का "फेलो" चुना गया। • 1981 – 82 तक इंण्डियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे।
7.	डॉ बी. एल. रावत,	01-08-1966	03-09-1966	--

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010954

CamScanner

	आईएएस			
8.	श्री आर. सी. चौधरी, आरएचजेएस	04-09-1966	08-10-1971	--
9.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	09-10-1971	23-06-1973	--
10.	श्री आर.एस. कपूर (निदेशक कॉलेज शिक्षा।)	24-06-1973	10-06-1975	--
11.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस	27-06-1975	30-06-1979	--
12.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस	01-07-1979	10-09-1980	--
13.	श्री हरिदत्त गुप्ता (मुख्य अभियंता)	11-09-1980	09-06-1983	--
14.	श्री एस. अदवियाप्पा (मुख्य अभियंता)	10-06-1983	26-03-1985	--
15.	डॉ. डी. डी. चौहान (प्रो.)	27-03-1985	07-11-1985	--
16.	श्री जे.एम. खान, (आईएएस)	08-11-1985	27-11-1989	--
17.	श्री एस.सी. सिंगारिया (कार्यवाहक)	28-11-1989	04-09-1990	--
18.	श्री यतींद्र सिंह, (आईएएस)	05-09-1990	06-10-1995	--
19.	श्री हनुमान प्रसाद (आईएएस)	06-10-1995	30-09-1997	• SC आयोग के चैयरमेन भी रहे। • झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से विधायक रहे एवं ज़िलाप्रमुख भी रहे।
20.	श्री पी.एस. यादव, (आईपीएस)	01-10-1997	06-11-1997	--
21.	श्री देवेंद्र सिंह, (आईपीएस)	06-11-1997	30-12-2000	--
22.	श्री एन. के. बैरवा, (आईएएस)	31-12-2000	22-03-2004	--
23.	डॉ. एस.एस. टाक (कार्यवाहक) (प्रोफेसर)	26-03-2004	15-07-2004	--
24.	श्री गोविंद सिंह तौक	15-07-2004	04-07-2006	• उदयपुर के महापौर भी रहे। • सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी। • लोक निर्माण विभाग के अभियंता भी रहे।
25.	श्री एच.एन. मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04-07-2006	19-09-2006	• MPUAT, उदयपुर स्पोर्टस बोर्ड चेयरमैन।
26.	श्री सी.आर. चौधरी (छोटू राम चौधरी)	29-09-2006	28-02-2010	• भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। • नागौर लोकसभा क्षैत्र से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। (2014 – 2019) • आरएएस बने फिर आईएएस प्रमोट हुए। • उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्यमंत्री रहे। • सितम्बर, 2017 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्यमंत्री नियुक्त किया गया।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054
SPRINGBOARD

CamScanner

				• 1971 - 1977 तक सरकारी कॉलेज सिरोही, दौसा, अजमेर में व्याख्याता रहे। • वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा के मानद अध्यक्ष रहे। • मकराना परबतसर रेलवे सेवा प्रारंभ की। (19 जनवरी, 2016) • राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के विभागाध्यक्ष (2000-2011)। • 2001 - 2002 तक कृषि विपणन विभाग के प्रमुख व निदेशक। • राजस्थान सरकार में लॉटरी विभाग के प्रमुख एवं निदेशक।
27.	श्री महेंद्र लाल कुमावत (सेवानिवृत्त) IPS	28-02-2010	01-07-2011	• बीएसएफ के महानिदेशक रहे। • सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे। • आंध्रप्रदेश में एंटी नक्सल कमांडो फोर्स में GREY HOUNDS के चीफ रहे। • विजय व्यास समिति के सदस्य रहे। • पुरस्कार–विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (1997)। • राजस्थान आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। • इन्होनें राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा। • 1989 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक।
28.	प्रो. बी.एम. शर्मा	01-07-2011	31-08-2012	• कोटा विश्वविद्यालय के वी.सी. रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी रहे। • मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी रहे।
29.	डॉ हबीब खान गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	31-08-2012	22-09-2014	---
30.	डॉ. आर.डी. सैनी (कार्यवाहक)	24-09-2014	10-08-2015	---
31.	डॉ एल. के. पंवार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	10-08-2015	10-07-2017	• भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व सचिव। • राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के वी.सी. हैं।
32.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	11-07-2017	28-09-2017	• पेशे से वकील थे व RPSC के सदस्य भी रहे (इस्तीफा दिया → 10 जुलाई, 2017) • मनोहर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा (हारे)।
33.	डॉ. राधे श्याम गर्ग	18-12-2017	01-05-2018	• RSS के कार्यकर्त्ता रहे व नर्सिंग होम चलाते थे।
34.	श्री दीपक उप्रेती आईएएस (सेवानिवृत्त)	23-07-2018	14-10-2020	• संयुक्त सचिव रहे। • परिवहन आयुक्त।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

				• चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव। • खान और पेट्रोलियम विभाग और सहकारी विभाग प्रमुख सचिव। • संभागीय आयुक्त अजमेर। • वाणिज्यिक बिक्री कर विभाग में आयुक्त। • अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), होम गार्ड, जेल और मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर तैनात थे।
35.	डॉ. भूपेंद्र सिंह आईपीएस (सेवानिवृत्त)	14-10-2020	01-12-2021	• राजस्थान के डीजीपी रहे। • RPA के निदेशक रहे। • सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के वी.सी रहे। • पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्तकर्ता। • SP के रूप में 4 साल तक CBI में प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया।
36.	डॉ. शिवसिंह राठौड़ (कार्यवाहक)	02-12-2021	29-01-2022	• इन्हें विश्व में जल–भू–विज्ञानी पर्यटन शब्द गढ़ने का श्रेय जाता है। • मारवाड़ रत्न से सम्मानित (2015)। • नगर सुधार न्यास जोधपुर में न्यासी रहे। • सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लिमिटेड निदेशक (2008-2013)। • अध्यक्ष के पद का निर्वहन करने वाले सबसे युवा व्यक्ति। • ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। • आर्द्र भूमि संरक्षण संबधी शोध–पत्र व जियो पार्क के निर्माण संबंधी आलेख प्रकाशित किए।
37.	श्री जसवंत सिंह राठी (कार्यवाहक)	01-02-2022	15-02-2022	• राजस्थान पोलो क्लब के मानद सदस्य। • किताब लिखी–''मेरा युद्ध कैंसर के विरूद्ध''। • इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी के सदस्य। • राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के सदस्य। • राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक। **पुरस्कार–** • राजस्थान वर्किंग जर्नलिज्म यूनियन द्वारा ''कलमश्री पुरस्कार'' (2012)।
38.	श्री संजय श्रोत्रिय आईपीएस (सेवानिवृत)	16-02-2022	01-08-2024 (सेवानिवृत)	• जयपुर रेंज के महानिरीक्षक रहे। • SOG में पुलिस अधीक्षक पद पर रहे।
39.	श्री कैलाश चंद मीना (कार्यवाहक)	06.08.2024	लगातार	• राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054
Springboard

CamScanner

राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	श्री देवी शंकर तिवारी (अध्यक्ष भी रहे)	26-01-1950	07-08-1951	• भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। • 1946 से 1949 तक जयपुर प्रजामण्डल आंदोलन के अध्यक्ष। • जयपुर के पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे। • RPSC के अध्यक्ष (1951-58) • हरिजनों या दलितों की शिक्षा और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। • आजाद मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। • जमनालाल बजाज, गुलाबचन्द कासलीवाल और दौलतमल भण्डारी से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए।
2.	श्री एन.आर. चांडोरकर	26-01-1950	31-12-1950	---
3.	श्री वी.आर. अडिगे	17-02-1951	16-02-1957	---
4.	श्री एम. एम. वर्मा (अध्यक्ष भी रहे)	28-06-1952	20-01-1958	---
5.	श्री एल. एल. जोशी, आईएएस (कार्यवाहक अध्यक्ष रहे)	01-03-1957 और 01-08-1960	03-12-1958 और 20-11-1961	• राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष।
6.	श्री रघुकुल तिलक, कुलपति (राज्यपाल भी रहे)	04-02-1958	07-01-1960	• असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा राजस्थान के राज्यपाल रहे। (1977-80) • उत्तरप्रदेश विधानसभा में पुस्तकालयाध्यक्ष रहे। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (1932)। • उत्तरप्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (1939-46)। • भारत छोड़ो आंन्दोलन के कारण 1942 - 44 तक पुनः जेल। • उत्तरप्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त (1944)।
7.	श्री एस.एल. आहूजा, आईएएस	01-12-1959	17-11-1964	---
8.	श्री श्याम लाल, आईएएस	17-04-1961	15-04-1966	---
9.	डॉ बी एल रावत, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	04-09-1961	04-09-1966	---
10.	श्री आर सी चौधरी, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	20-03-1965	07-02-1967	---
11.	श्री आर.एन. हवा, आईएएस	27-07-1966	19-07-1970	---
12.	श्री एस. डी. उज्ज्वल, आईएएस (मुख्य सचिव भी रहे)	31-05-1967	05-01-1970	---
13.	श्री शिव शंकर, आईएएस '	29-07-1967	10-09-1970	---
14.	श्री बी.डी. माथुर (सेवानिवृत्त मुख्य अभियांत्रिकी)	11-11-1968	08-10-1971	---
15.	श्री वी.डी. शर्मा, आईएएस	11-06-1970	06-03-1973	---

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

16.	श्री आर.एस. कपूर (अध्यक्ष भी रहे)	11-06-1970	23-06-1973	---
17.	श्री धूलेश्वर मीना (पूर्व एम. पी.)	01-01-1972	02-01-1978	• लोकसभा व राज्यसभा सदस्य रहे।
18.	श्री मोहम्मद याकूब, आरएचजेएस (अध्यक्ष भी रहे)	07-08-1972	27-06-1975	---
19.	श्री डी.एन. हांडा, आईएएस	05-04-1973	10-12-1974	---
20.	श्री एन.एल. जैन, पूर्व. अध्यक्ष, आर.एल.ए.	27-07-1974	03-10-1979	---
21.	श्री हरि दत्त गुप्ता (अध्यक्ष भी रहे)	26-04-1975	10-09-1980	---
22.	श्री राम सिंह चौहान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	30-07-1977	30-06-1979	---
23.	श्री एस. अदवियप्पा (अध्यक्ष भी रहे)	12-09-1979	09-06-1983	---
24.	डॉ. दीन दयाल चव्हाण (अध्यक्ष भी रहे)	08-11-1979	26-03-1985	---
25.	श्री जे.एम. खान, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	06-11-1982	07-11-1985	---
26.	श्री भवानी मल, आईपीएस	04-07-1984	27-06-1988	---
27.	प्रो. दूल सिंह	06-07-1984	22-09-1986	---
28.	डॉ. देवी सिंह सारस्वत	16-12-1985	22-01-1988	---
29.	श्री सुगन चंद सिंगारिया	28-05-1986 और 05-09-1990	26-11-1989 और 27-05-1992	---
30.	श्री सुभाष चंद्र टंडन, आईपीएस	01-12-1987	06-11-1991	---
31.	प्रो. के. एल. कमल	16-09-1988	11-09-1992	---
32.	डॉ जी पी पिलानिया, आईपीएस	22-12-1989	17-02-1994	• डीजीपी, राज्यसभा सांसद भी रहे।
33.	श्रीमती कांता कथूरिया	22-12-1989	23-04-1995 (इस्तीफा)	• पूर्व विधायक व बीकानेर में वकील रही। • सदस्य के पद से इस्तीफा। • राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। • राणा प्रताप सागर बाँध व जवाहर सागर बाँध के विवाद में सरकारी वकील। • यूपीएससी सदस्या।
34.	श्री हनुमान प्रसाद, आईएएस (अध्यक्ष भी रहे)	31-10-1992	06-10-1995	---
35.	श्री पी.एस. यादव,	28-07-1993	30-09-1997	---

Springboard ACADEMY
THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books ★ 7300134518, 7610010054

CamScanner

	आईपीएस (अध्यक्ष भी रहे)			
36.	श्रीमती कमला भील	28-07-1993	27-07-1999	• राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
37.	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03-04-1995	05-08-2000	---
38.	डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18-01-1996	18-01-2002	• संघीय लोक सेवा आयोग की सदस्य। • चिन्मय मिशन जयपुर केन्द्र की संरक्षिका।
39.	श्री ओ.पी. गुप्ता	26-12-1997	04-06-2003	• पूर्व मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा।
40.	श्री दलीप सिंह	27-12-1997	30-06-1999	---
41.	डॉ. श्याम सिंह टाक (कार्यवाहक) (प्रोफेसर)	10-11-1999	09-11-2005	---
42.	श्री एम.एल. परिहार	14-12-1999	14-03-2001	---
43.	प्रो. (डॉ.) के. पास जाफरी	01-02-2001	18-06-2006	---
44.	श्री एच.एन. मीना, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे)	25-02-2002	19-09-2006	---
45.	श्री सी.आर. चौधरी (अध्यक्ष भी रहे)	27-02-2002	23-02-2008	---
46.	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25-08-2003	06-02-2008	---
47.	श्री एच.एल. मीना	18-04-2008	31-01-2012	---
48.	श्री शिव पाल सिंह नांगल	18-04-2008	13-11-2013 (इस्तीफा)	• RPSC के सदस्य रहते हुए इस्तीफा।
49.	श्री कन्हैया लाल बैरवा, आईपीएस (सेवानिवृत्त)	18-04-2008	17-04-2014	---
50.	श्री पी.के. दशोरा	04-07-2008	03-07-2014	---
51.	श्री ब्रह्म सिंह गुर्जर	04-07-2008	03-07-2014	---
52.	श्री एच.के.गौरान, आईपीएस (सेवानिवृत्त) (अध्यक्ष भी रहे) (कोटा विश्वविद्यालय के वी. सी. रहे)	04-07-2008	03-07-2014	---
53.	श्रीमती दिव्या सिंह	30-11-2011	30-09-2012 (इस्तीफा)	• पूर्व सांसद। • भरतपुर जिला परिषद की सदस्य बनी। (1996) • 11वीं लोकसभा में चुनी गई (भरतपुर)। • RPSC सदस्या रहते हुए इस्तीफा।
54.	श्री हरि किशन खीचर, आरएचजेएस	30-01-2016	05-03-2017	---
55.	श्री श्याम सुंदर शर्मा	30-01-2016	10-07-2017 (इस्तीफा)	---
56.	डॉ. आर.डी. सैनी	18-06-2013	12-04-2019	---

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

57.	श्री एस.एल. मोना	18-06-2013	17-06-2019	---
58.	डॉ. के.आर. बगरिया	18-06-2013	17-06-2019	---
59.	डॉ. शिवसिंह राठौड़	30-01-2016	29-01-2022	---
60.	श्री रामू राम रायका	04-07-2018	03-07-2022	---
61.	श्रीमती राजकुमारी गुर्जर	07-12-2016	06-12-2022	---

महत्वपूर्ण बिन्दु

- **7 सदस्यों का प्रावधान** – 2011 से, (1948–2, 1968–3, 1973–4, 1981–5)
- **प्रथम अध्यक्ष** – एस.के. घोष (मुख्य न्यायाधीश)
- **अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति** – एन.के. बैरवा
- **प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष** – एस.सी. त्रिपाठी
- **सर्वाधिक कार्यकाल** – डी.एस. तिवाड़ी (अध्यक्ष के रूप में)।
- **प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष** – श्री एल.एल. जोशी (कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल भी रहा)
- **कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** –बी.एल. रावत
- **कार्यवाहक अध्यक्ष रहे** – एल.एल. जोशी, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक, एच.एन. मीणा, आर.डी. सैनी, शिवसिंह राठौड़, जसवन्त सिंह राठी।
- **न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में** –पीएस यादव (37 दिन)
- **आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे है**– सी.आर. चौधरी
- **आयोग के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे है**– धुलेश्वर मीणा, दिव्या सिंह
- **आयोग के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे है**– सांवलदान उज्जवल
- **आयोग के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष रहे है**– एन.एल. जैन
- **आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही है**– श्रीमती कमला भील
- **प्रथम सचिव** – श्री श्यामसुन्दर शर्मा
- **प्रथम महिला सचिव** – श्रीमती ऑटिमा बोरड़िया
- **आयोग की अन्य महिला सचिव रही**–रोली सिंह, मुग्धा सिन्हा (कार्यवाहक), रेणू जयपाल, शुभम चौधरी
- **वर्तमान सचिव** – रामनिवास मेहता
- भारतीय प्रशासनिक सेवा से आयोग के अध्यक्ष – श्री एल.एल. जोशी, (कार्यवाहक), डॉ बी.एल. रावत, श्री राम सिंह चौहान, श्री जे.एम. खान, श्री यतींद्र सिंह, श्री हनुमान प्रसाद, श्री एन. के. बैरवा, डॉ. एल के पंवार, श्री दीपक उप्रेती, सी आर चौधरी
- भारतीय पुलिस सेवा से आयोग के अध्यक्ष – श्री पी.एस. यादव, श्री देवेंद्र सिंह, श्री एच.एन. मीणा, (कार्यवाहक), श्री महेंद्रलाल कुमावत (राजस्थान पुलिस विश्वविद्यालय के उप–कुलपति रहे है।) डॉ हबीब खान गौरान, डॉ. भूपेन्द्र सिंह यादव, दीपक उप्रेती
- **आयोग में पूर्व महिला सदस्य** – श्रीमती कांता कथूरिया, श्रीमती कमला भील, डॉ. (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह।
- **आयोग में वर्तमान महिला सदस्य** – 1. श्रीमती संगीता आर्य 2. श्रीमती मंजू शर्मा
- **कार्यकाल के पूर्व इस्तीफा देने वाले सदस्य** – 1. श्रीमती कान्ता कथूरिया, 2. श्री शिवपाल सिंह नागल 3. श्रीमती दिव्या सिंह, 4. श्री श्याम सुन्दर शर्मा।
- विधानसभा मुख्य सचेतक सदस्य के रूप में – श्री ओपी गुप्ता
- राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा। सीआर चौधरी अकेले सदस्य व अध्यक्ष भी रहे।
- आयोग के सदस्य जो बाद में राज्यपाल भी रहे – रघुकुल तिलक
- आयोग के सदस्य जो बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे – के.एल. कमल
- **सदस्य जो अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे** – (i) रघुकुल तिलक (कुलपति), (ii) एस.डी. उज्जवल (मुख्य सचिव), (iii) धूलेश्वर मीना (सांसद), (iv) कान्ता कथूरिया (विधायक), (v) कमला भील (मंत्री), (vi) ओ.पी. गुप्ता (मुख्य सचेतक), (vii) दिव्या सिंह (सांसद)

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

वर्तमान सदस्य				
1.	लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़	9-10-2023	लगातार	• निवासी–नागौर भारतीय सेना में 21 वर्षों तक सेवा देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति ली।
2.	श्री कैलाश चन्द मीना	9-10-2023	लगातार	• संजय श्रोत्रिय के सेवानिवृत होने पर कार्यवाहक अध्यक्ष बने।
3.	प्रो. अय्यूब खान	9-10-2023	लगातार	• जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गणित विभाग के प्रोफेसर।
4.	डॉ. रांगीता आर्य	14-10-2020	लगातार	• ऑल इंण्डिया रेडियो, नई दिल्ली की ग्रेडेड आर्टिस्ट रही। • राजस्थान संगीत संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर। • राजनीतिक करियर 2013 में सोजत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी।
5.	श्री बाबूलाल कटारा	15-10-2020	निलम्बन (अनुच्छेद 317(2) के तहत)	• निवासी–डूँगरपुर। • अर्थशास्त्र के व्याख्याता। • जिला सांख्यिकी अधिकारी व विकास अधिकारी रहे। • संयुक्त निदेशक सांख्यिकी सचिवालय में। • माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक। (उदयपुर) **नोट**–SOG (राजस्थान) व ATS ने वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में इन्हें गिरफ्तार किया। (वर्तमान में निलम्बित)
6.	डॉ. मंजू शर्मा	15-10-2020	लगातार	• निवासी–अजमेर • शिक्षाविद (M.S.J., भरतपुर) • गाजियाबाद कॉलेज में व्याख्याता। • नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया की सदस्य। • राजस्थान भूगोल संगठन की सदस्य। • गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में सहायक आचार्य।

➢ **श्री रामनिवास मेहता (वर्तमान सचिव)** - (कार्यकाल – 25-07-2023 से लगातार), सचिव JDA जयपुर, महाप्रबंधक गंगानगर शुगर गिल्स लिमिटेड जयपुर, जिला आबकारी अधिकारी।

• वर्तमान परीक्षा नियंत्रक – आशुतोष गुप्ता (IAS)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

लोकायुक्त

→ प्रथम भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान – स्वीडन का ऑम्बुड्समेन (1809)
(ऑम्बुड्समेन – जनता का प्रतिनिधि)

→ 1963 में हरिशचन्द्र माथुर समिति ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ऑम्बुड्समेन संस्थान की सिफारिश की।

→ लोकपाल और लोकायुक्त नामकरण लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया।
(L.M. Singhvi)

भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट "प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज में अनुशंसा तथा प्रथम विधेयक 7 मई 1968 को संसद में रखा गया।

→ प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त कानून को पारित किया → ओड़िसा (1970)

NOTE किंतु लोकायुक्त संस्था 1983 में गठित हो सकी।

→ प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त को नियुक्त किया → महाराष्ट्र (1971)

→ अब तक 135 से अधिक देशों में "ऑम्बुड्समैन" की नियुक्ति की जा चुकी है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610070054

CamScanner

राजस्थान का लोकायुक्त

→ राजस्थान में लोकायुक्त पूर्व भ्रष्टाचार रोकने हेतु बनाया गया विभाग। ⟶ जन अभियोग निराकरण विभाग

→ राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान एक सांविधिक/वैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना "राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973" के तहत की गई है।

→ विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन → 25 Jan. 1973

→ लोकायुक्त विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए → 3 Feb 1973

→ लोकायुक्त विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए → 26 मार्च 1973

→ आयोग की स्थापना — 3 Feb 1973

→ राजस्थान में लोकायुक्त "दोषी लोकसेवक को दण्ड व निर्दोष का संरक्षण सिद्धांत" पर कार्य करता है।

संरचना

लोकायुक्त
↓
उपलोकायुक्त
↓
सचिव (IAS)
↓
उपसचिव (RAS)
↓
सहायक/सदस्य सचिव

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE - प्रथम सचिव - K.C शंकरन (IAS)

CamScanner

लोकायुक्त की सेवा / शर्तें — राज्य सरकार द्वारा निर्धारण।

(i) योग्यता — उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष।

(2) नियुक्ति — राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

समिति की संरचना → (i) मुख्यमंत्री

(ii) राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

(iii) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता / नेता प्रतिपक्ष

(3) कार्यकाल — 5/65 वर्ष जो भी पहले हो। [पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं]

↓

(राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा)

2018 में 8 वर्ष था। (CM वसुंधरा राजे के समय)

(4) इस्तीफा — राज्यपाल को

(5) निष्कासन — राज्यपाल द्वारा →

राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम कदाचार व असमर्थता जैसे आरोपों की जाँच हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। समिति की जाँच के पश्चात् विधानसभा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगा → राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त को हटा दिया जाएगा।

(6) शपथ — राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति

CamScanner

NOTE– शपथग्रहण समारोह के दौरान राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्ति का वारंट पढ़कर सुनाता है।

7. वार्षिक प्रतिवेदन → राज्यपाल को

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-

→ लोकायुक्त सचिवालय की 5 शाखाएँ

- स्वागत पक्ष
- संस्थापन शाखा
- लेखा शाखा
- पुस्तकालय शाखा
- परिवाद शाखा

→ लोकायुक्त में सुधार हेतु समिति-
(i) हरिशंकर भाम्भा समिति –1997
(ii) बी.डी. कल्ला समिति –2000
(iii) नरपतमल लोढ़ा समिति – 2015

→ लोकायुक्त कार्यालय को राज्य के कार्मिक विभाग से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होती है।

→ राजस्थान में लोकायुक्त का पद 2004-2007 तक अढ़ाई वर्ष खाली रहा। (2013 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से लोकायुक्त की नियुक्ति की गई)

→ राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यवाही नियम-1975 में बनाए गए।

→ उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त संस्थान के गठन के पश्चात सर्वप्रथम उपलोकायुक्त K.P.U मेनन की नियुक्ति की गई।

स्वायत्तता हेतु किए गए उपाय —

(1) लोकायुक्त संस्थान हेतु सांविधिक दर्जा — राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973

(2) कार्यकाल का स्थायित्व – 5/65 वर्ष

(3) लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति पर रोक।

(4) निष्कासन की जटिल प्रक्रिया।

(5) उचित पारिश्रमिक वेतन – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान

(6) नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया—राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

(7) यदि राज्य में लोकायुक्त व उपलोकायुक्त पद रिक्त हों तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल के अनुरोध पर की जाएगी।

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार —

(1) मंत्री

(2) सचिव, कार्यालय अध्यक्ष

(3) अन्य लोक सेवा आयोग

(4) जिला परिषद – जिला प्रमुख व उपप्रमुख

(5) पंचायत समिति – प्रधान व उपप्रधान

(6) जिला परिषद व पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष

(7) नगर निगम – महापौर व उपमहापौर

(8) नगर परिषद – सभापति व उपसभापति

THE NOTES HUB — Notes are Available — All Competition Books — 7300134518, 7610010054

CamScanner

(9) नगर पालिका – अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

(10) नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष

(11) नगर सुधार न्यास (UIT) – अध्यक्ष

(12) सरकारी कम्पनियों के निदेशक

(13) सरकारी निगम व मंडलों के – अध्यक्ष / निदेशक

(14) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसायटी।

क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं —

(1) राज्यपाल

(2) मुख्यमंत्री

(3) सरपंच व उपसरपंच व वार्ड पंच

(4) ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अध्यक्ष

(5) RPSC के अध्यक्ष व सदस्य

(6) MLA

(7) उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश व कर्मचारी

(8) विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी

(9) महालेखाकार, राजस्थान सरकार

(10) सेवानिवृत्त लोक सेवक

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(ii) 5 वर्ष से पुराने मामलें

(iii) राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रादेशिक आयुक्त

लोकायुक्त के कार्य —

(1) लोकसेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में शिकायत या अपील स्वीकार करना —

(i) भ्रष्टाचार या कुप्रशासन मामलें में।

(ii) सत्यनिष्ठा का अभाव लोकसेवक।

(iii) किसी व्यक्ति को लोकसेवक द्वारा हानि पहुँचाना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(2) स्वतः संज्ञान द्वारा भ्रष्टाचार के मामलें में सुनवाई करना।

(3) लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है —

(A) लोकसेवक को नोटिस जारी करना।

(B) लोकसेवक की गवाही या साक्ष्य हेतु बुलाना।

(C) लोकसेवक का बयान शपथ पत्र पर रिकार्ड करना।

(D) किसी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मँगवाना

(4) लोकसेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना।

(5) गलत शिकायत पर अपीलकर्ता को 3 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों।

CamScanner

(6) राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना।

(7) अन्वेषणो से तत्परता और निष्पक्षता को बनाये रखना।

(8) अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभागों, संगठनों में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।

(9) विशेष परिस्थिति में भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त की गई सम्पत्ति, आय, प्राप्तियाँ और लाभों को जब्त करने से संबंधित कार्य।

(10) प्रारंभिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने के लिए निर्देश देना।

(11) भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलम्बन को सिफारिश करने की शक्ति।

#लोकायुक्त संस्थान की कमियाँ —

(1) यह केवल एक सलाहकारी परिषद या निकाय हैं जिसकी सिफारिश राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

(2) लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से विभिन्न पदों को बाहर रखा गया हैं — CM, MLA, सरपंच आदि।

(3) लोकायुक्त 5 वर्ष से पुराने भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच का अधिकार नहीं रखता है।

(4) उपलोकायुक्त का रिक्त पद।

(5) विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर विमर्श या चर्चा न होना।

CamScanner

(6) लोकायुक्त में अत्यधिक लंबित मामलें ।

(7) लोकायुक्त की एकल संस्था द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायतों के साथ साथ कुप्रशासन की शिकायतों को एक ही संस्था द्वारा मिटाने से कार्य में बाधा।

(8) स्वयं की जाँच एजेंसी का अभाव।

(9) इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

(10) लोकायुक्त की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु समिति का अभाव।

(11) अत्यधिक कार्यभार।

(12) लोकायुक्त स्वयं दण्ड नहीं दे सकता। केवल सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा कर सकता है।

सुझाव —

(1) लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए जिसकी सिफारिश राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी हों ।

(2) लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में सभी को शामिल किया जाना चाहिए । (CM, MCA, सरपंच, उपसरपंच आदि)

(3) लोकायुक्त की सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर सुनवाई का अधिकार होना चाहिए । उदा. नीडल एजेंसी

(4) लोकायुक्त व उपलोकायुक्त के पदों को समय पर भरा जाना चाहिए।

CamScanner

(5) लोकायुक्त संस्थान में पदों की वृद्धि की जानी चाहिए।

(6) लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर विमर्श होना चाहिए।

(7) लोकायुक्त को दंड देने का अधिकार होना चाहिए।

(8) लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की योग्यता में सुधार किया जाना चाहिए।

(9) खोज और गिरफ्त तथा अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ करने की शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

उपलोकायुक्त

→ नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त से विमर्श के पश्चात्

→ योग्यता – राज्य सतर्कता आयुक्त के समान ।

→ शपथ – राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति

→ वेतन – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान

→ निष्कासन – राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की भाँति

↓

जाँच समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

लोकायुक्त के अन्य नाम —

(1) ब्रिटेन व फीनलैण्ड → संसदीय आयुक्त

(2) रूस → प्रोसिक्यूटर

(3) केरल → पब्लिक मेन

(4) तमिलनाडु → कमीश्नर ऑफ इनक्वायरीज

(5) जम्मू-कश्मीर → भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राजस्थान के लोकायुक्त

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ	28-08-1973	27-08-1978	• पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। • जन्म :– पाकिस्तान। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
2.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता	28-08-1978	05-08-1979	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • शिकारपुर सरस्वती विद्या मंदिर लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे।
3.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. जोशी	06-08-1979	07-08-1982	• पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति श्री के.एस. सिद्धू	04-04-1984	03-01-1985	• राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।
5.	न्यायमूर्ति श्री एम.एल. श्रीमाल	04-01-1985	03-01-1990	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय। • महाराणा मेवाड़ पुरस्कार से सम्मानित। • राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश। • सरकारी अधिवक्ता सह-अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान।
6.	न्यायमूर्ति श्री पी.डी. कुदाल	16-01-1990	06-03-1990	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • इनकी अध्यक्षता में कुदाल आयोग बना (फरवरी 1982)।
7.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा	10-08-1990	30-09-1993	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
8.	न्यायमूर्ति श्री वी.एस. दवे	21-07-1994	16-02-1994	• न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय (न्यूनतम कार्यकाल)।
9.	न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शर्मा	06-07-1994	06-07-1999	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
10.	न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन	26-11-1999	26-11-2004	• पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय। • पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष। • राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल।
11.	न्यायमूर्ति श्री जी.एल. गुप्ता	01-05-2007	30-04-2012	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय।
12.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कोठारी	25-03-2013	07-03-2019	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। • एकमात्र लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ाया गया। (अनुभाग 5 में संशोधन) • 24 मार्च, 2019 को ही पद से हटा दिया गया (लोकायुक्त एक्ट के खिलाफ होने के कारण)
13.	न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा	09-03-2021	निरंतर	• पूर्व न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय

Springboard

CamScanner

राजस्थान के उपलोकायुक्त

क्र.सं.	सदस्य का नाम	कब से	कब तक	विवरण
1.	श्री के.पी.यू. मेनन आईएएस	05-06-1973	25-06-1974	• पूर्व मुख्य सचिव

महत्वपूर्ण तथ्य –

- राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त –आई.डी. दुआ
- प्रथम उप–लोकायुक्त –के.पी.यू. मेनन (पूर्व मुख्यसचिव)
- न्यूनतम कार्यकाल –विनोद शंकर दवे (26 दिन)
- सर्वाधिक कार्यकाल – महेन्द्र भूषण शर्मा
- **अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त पद पर रहे** – एम.एल. श्रीमाल (सिक्किम उच्च न्यायालय), मिलाप चन्द जैन (दिल्ली उच्च न्यायालय)।
- सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –आई. डी. दुआ
- न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे –डी.पी. गुप्ता
- वर्तमान लोकायुक्त –पी.के. (प्रताप कृष्ण) लोहरा
- लोकायुक्त को 5 वर्ष से पुराने मामलो में शिकायत नहीं की जा सकती है।
- लोकायुक्त स्वयं कार्यवाही करने में असक्षम है क्योंकि यह केवल सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती।
- केन्द्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2014 को लोकायुक्त व लोकपाल अधिनियम –2013 लागू किया गया।
- वर्तमान लोकपाल चेयरपर्सन –न्यायमूर्ति अजय मलिक राव खानविलकर
- प्रथम लोकपाल चेयरपर्सन – श्री पीसी घोष
- सर्वप्रथम लोकपाल नाम –एल.एम. सिंघवी द्वारा सुझाया गया।
- **लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे**– डी.पी. गुप्ता, मिलाप चन्द जैन।
- **कार्यवाहक लोकायुक्त**– डी.पी. गुप्ता, के.एस. सिद्धू, वी.एस. दवे।
- पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं
- शिकायत केवल लोक सेवक के विरूद्ध
- स्वतः संज्ञान
- शिकायत 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर
- पाँच वर्ष से पुराने मामलों में जाँच नहीं
- लोकायुक्त द्वारा शिकायत की जाँच करते समय यदि कोई व्यक्ति कार्य में बाधा डालता है तो उसके दोषी सिद्ध होने पर 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों प्रकार के दण्ड दिए जा सकते है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

लोकायुक्त की धाराएँ

धारा	प्रावधान
1	संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ
2	परिभाषाए
3	लोकायुक्त और उप–लोकायुक्तो की नियुक्ति
4	लोकायुक्त उपलोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना
5	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्त
6	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त का हटाया जाना
7	लोकायुक्त अथवा उपलोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले
8	वे मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा
9	शिकायतो के संबंध में उपबंध
10	अन्वेषणो के संबंध में प्रक्रिया
11	साक्ष्य
11(3)	कार्य न्यायिक कार्यवाही
12	लोकायुक्त व उपलोकायुक्त के प्रतिवेदन
12(4)	वार्षिक प्रतिवेदन
12(1)	अनुशासनात्मक कार्यवाही
13	मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन
14	लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्तो का कर्मचारी वर्ग
15	जानकारी की गोपनीयता
16	लोकायुक्त या उपलोकायुक्त का साशय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना
17	परित्राण (पूर्ण रक्षा पूरा बचाव)
18	लोकायुक्त और उपलोकायुक्तो आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना
19	लोक सेवकों के कतिपय वर्गो के विरूद्ध शिकायतो को अपवर्जित करने की शक्ति
20	प्रत्यायोजन की शक्ति
21	नियम बनाने की शक्ति
22	शंकाओ का निराकरण
23	निरसन तथा व्यावृतिया

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

लोकायुक्त में सुधार हेतु समिति :– हरिशंकर भाभडा समिति (1997), बी.डी. कल्ला समिति (2000), नरपतमल लोढ़ा समिति (2014)

CamScanner

(4) राज्य मानवाधिकार आयोग [SHRC] → HQ → जयपुर

→ यह एक सांविधिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा-21 के अंतर्गत की गई है।

NOTE-मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 Sep 1993 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया।

→ यह केवल राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई करता है।

→ यह भी केवल एक सलाहकारी आयोग है क्योंकि इसकी सलाह राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है।

NOTE— मानवाधिकार की परिभाषा — धारा-2 (D)

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

स्थापना—

→ आयोग की अधिसूचना जारी हुई — 18 Jan, 1999

→ आयोग की स्थापना — मार्च, 2000

संरचना — (1+2)

अध्यक्ष + 2 सदस्य

(मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा)

→ इससे पूर्व संरचना 1+4 थी।

CamScanner

अध्यक्ष – G.K. व्यास

सदस्य (2)

विशेष अन्वेषण शाखा (SIW)

सचिव (IAS)

उपसचिव (RAS)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SEC)

(न्यूनतम रैंक सचिवालय में सचिव स्तर की होनी चाहिए।)

इसका मुखिया भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होगा जिसकी न्यूनतम रैंक IG होगी।

↓

सुमित विश्वास (वर्तमान)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

सेवा शर्तें → राज्य सरकार द्वारा निर्धारित।

योग्यता – (1) अध्यक्ष – उच्च न्यायालय का सेवारत्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश (2019 से)

(2) सदस्य – (a) प्रथम सदस्य – उच्च न्यायालय का सेवारत्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हों।

(b) दूसरा सदस्य – व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हों।

नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

↓

समिति की संरचना

CamScanner

MAHECHA PUBLICATIONS

↓

(1) मुख्यमंत्री – अध्यक्ष

(2) विधानसभा अध्यक्ष

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(3) विपक्ष का नेता / नेता प्रतिपक्ष

(4) गृह मंत्री (यदि राज्य में विधानपरिषद हों तब)

(5) विधानपरिषद का सभापति

(6) विधानपरिषद में विपक्ष का नेता

– ये भी समिति के सदस्य होगें यदि राज्य मे द्विसदनात्मक व्यवस्था हो।

कार्यकाल – 3/70 वर्ष जो भी पहले हो।

(अध्यक्ष व सदस्यों हेतु पुनर्नियुक्ति के प्रावधान हैं।)

शपथ – राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा।

वेतन – अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान

सदस्य – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान

इस्तीफा – राज्यपाल को।

निष्कासन – (1) कदाचार व असमर्थता के मामलें में –

राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्

(2) सीधा राष्ट्रपति द्वारा – लाभ का पद, दीवालियापन, मानसिक विकृति, न्यायालय में दोषी पाया गया हों।

वार्षिक प्रतिवेदन – राज्य सरकार

CamScanner

महत्वपूर्ण तथ्य-

(1) राजस्थान मानवाधिकार नियम 2001 का क्रियान्वयन - 19 Jan 2001 को किया गया।

(2) आयोग में अपील 8 वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में की जा सकती है।

(3) आयोग को 7 दिवस में अपील पर सुनवाई करना आवश्यक है।
(अतिआवश्यक मामलें में 24 घंटे में सुनवाई)

→ अपील Fax या मेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा की जा सकती है।

(4) 'जयपुर घोषणा' का संबंध इस आयोग से है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 की महत्वपूर्ण धाराएँ –

अध्याय 5 (धारा 21-29) → राज्य मानवाधिकार आयोग

धारा	प्रावधान
21 →	संरचना या प्रावधान
22 →	नियुक्ति प्रक्रिया
23 →	निष्कासन
24 →	कार्यकाल
25 →	कार्यकाल अध्यक्ष – राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से नियुक्ति
26 →	सेवा / शर्तें – राज्य सरकार द्वारा तय
27 →	आयोग के कर्मचारी
28 →	राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन
29 →	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को राज्य आयोग पर लागू करना।

(धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

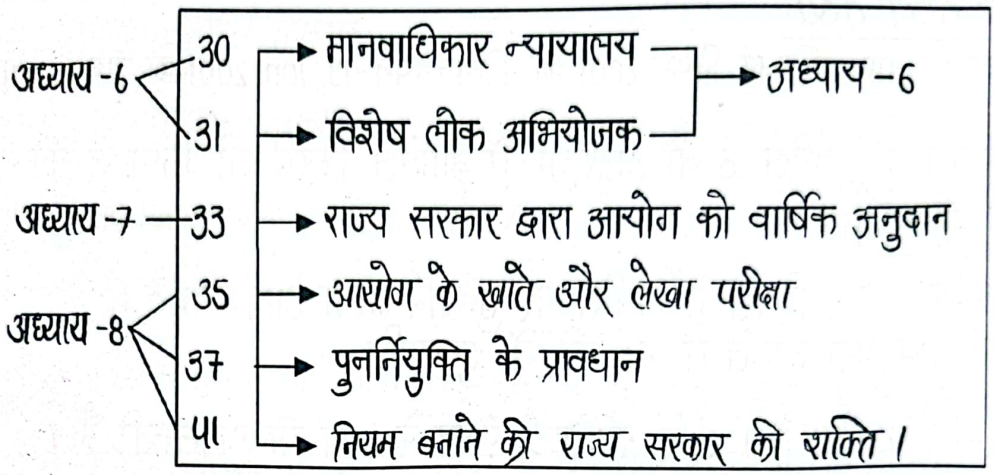

→ **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 में महत्वपूर्ण संशोधन —**

पहला संशोधन (2006) – संरचना – 1+2 (पहले 1+4)

दूसरा संशोधन (2019) – (1) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

↓

तीसरा सदस्य महिला को नियुक्त किया जाना चाहिए।

(2) कार्यकाल – 3/70 वर्ष (पहले 5/70)

(3) पुनर्नियुक्ति के प्रावधान

 # आयोग की स्वायत्तता हेतु किए गए उपाय —

(1) सांविधिक दर्जा — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा

(2) नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया — राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

(3) कार्यकाल का स्थायित्व – 3/70 वर्ष

(5) आयोग की वित्तीय स्वायत्तता – धारा 33

(6) निष्कासन की जटिल प्रक्रिया — राष्ट्रपति द्वारा

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

राज्य मानवाधिकार के कार्य व भूमिका —

(1) लोकसेवक के विरूद्ध मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित शिकायत या अपील प्राप्त करना। (राज्य या समवर्ती सूची से संबंधी मामलें)

(2) आयोग स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई कर सकता है।

(3) आयोग को CPC 1908 के अन्तर्गत विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्न प्रकार हैं —

- लोकसेवक को नोटिस जारी करना।
- लोकसेवक को गवाही या साक्ष्य हेतु बुलाना।
- लोकसेवक का बयान शपथ पत्र पर रिकार्ड करना।
- किसी सरकारी कार्यालय से दस्तावेजों को मँगवाना।

(4) जाँच के पश्चात् —

(क) लोकसेवक के विरूद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना।

(ख) पीड़ित को राज्य सरकार द्वारा मुआवजें या क्षतिपूर्ति की सिफारिश

(ग) पीड़ित के पक्ष में न्यायालय में अपील करना।

(5) राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना।
जैसे — पुलिस थाने, जेल, नारी निकेतन

(6) आम आदमी में मानवाधिकारों संबंधी साक्षरता या जागरूकता बढ़ाना।
(सेमिनार व कान्फ्रेंस के माध्यम से)

CamScanner

(7) मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाले गैर-सरकारी संस्थानों (NGO) को प्रोत्साहित करना।

(8) जिला मानवाधिकार इकाई की स्थापना करना।

(9) 'मानवाधिकार संदेश' नामक पत्रिका का प्रकाशन करना।

10. मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा संवर्धन करना।

11. मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा तथा इनके क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें करना।

12. मानवाधिकार के संरक्षण के लिए संविधान अथवा किसी अन्य विधि का पुनर्विलोकन करना।

13. मानवाधिकार संरक्षण में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करना।

14. वे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय की अनुमति से जाँच।

→ वे मामलें जो आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं —

(1) वे मामलें जो एक वर्ष से पुराने हो।

(2) वे मामलें जिनका संबंध सैन्य प्रशासन से हैं।

(3) वे मामलें जो पूर्व में न्यायालय में लंबित हो।

(4) वे मामलें जो पूर्व में अन्य आयोग में लंबित हो।

(5) व्यक्तिगत विवाद।

(6) औद्योगिक विवाद।

(7) वे मामलें जिनका संबंध सेवानिवृत लोकसेवकों से हो।

(8) यदि शिकायत अस्पष्ट हो।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

कमियाँ —

(1) आयोग केवल एक सलाहकारी निकाय है अतः इसे दंतविहिन या शाकाहारी बाघ कहा जाता है।

(2) आयोग केवल एक वर्ष से पुराने मामले एवं वे मामलें जिनका संबंध सैन्य प्रशासन से है, जाँच का अधिकार नहीं है।

(3) अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पद।

(4) आयोग में अत्यधिक लंबित मामलें।

(5) आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा या विमर्श न होना।

सुझाव-

- स्वतं की पुलिस एजेंसी।
- रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति।
- क्षेत्राधिकार बढ़ाना चाहिए।
- लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान
- वार्षिक प्रतिवेदन पर निर्णय (विधानसभा में पर्याप्त चर्चा)।

आयोग द्वारा शुरु किए गए अन्य प्रमुख कार्य-

अपनी व्यापक रूप से उठती हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतों की जाँच के अलावा निम्नलिखित कार्यों को भी अपने हाथ में लिया-

CamScanner

नागरिक स्वतन्त्रताएँ-

पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा- निर्देश।

जिला मुख्यालय में "मानव अधिकार प्रकोष्ठ" की स्थापना।

हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार और मानवीय उत्पीड़न को रोकने के उपाय।

- व्यवस्थागत सुधार - पुलिस, जैल, नजर बन्दी केन्द्र
- माताओं में अल्परक्तता और बच्चों में जन्मजात मानसिक अपंगता की रोकथाम।
- HIV/ एड्स से पीड़ित लोगों के मानव अधिकार।
- मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए प्रयास।
- गैर अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सिफारिशें करना।
- जनस्वास्थ्य प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, औषधियों में मिलावट व अवधि पार औषधियों पर रोक।
- धर्म, जाति, उपजाति आदि के बहिष्कार के मामलात।
- मानवाधिकारों की शिक्षा का प्रसार और अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010051

CamScanner

आयोग के कार्यों का केन्द्र बिन्दु-

- आयोग के कार्य क्षेत्र में नागरिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल है।

(i) आयोग हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार, पुलिस उत्पीड़न और जेलों मे ढाँचागत सुधार, सुधार गृहों, मानसिक अस्पतालों की हालात सुधारने के मामलों में विशेष ध्यान दे रहा है।

(ii) समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने की दृष्टि से 14 वर्ष तक बच्चों को आवश्यक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सिफारिशें।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(iii) गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने, माताओं और बच्चों के कल्याण हेतु प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की आयोग ने सिफारिशें की।

(iv) विस्थापित हुए लोगों की समस्याएँ, भूख के कारण लोगों की मौतें, बाल श्रमिकों का शोषण, बाल वैश्यावृति आदि।

आयोग द्वारा शिकायतों की जाँच प्रक्रिया-

- आयोग सरकार या प्राधिकरण से सूचना या रिपोर्ट माँग सकता है तथा वह अपनी ओर से स्वयं शिकायत की जाँच कर सकता है।
- आयोग यदि सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है कि अब आगे कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है अथवा संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित जाँच शुरू कर दी गई है तो आयोग ऐसी शिकायत पर आगे जाँच नहीं करेगा।

CamScanner

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	23.03.2000	11.08.2000	• मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रहने वाली पहली महिला। • 1968 में राजस्थान में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। • अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल।
2.	न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद	16.02.2001	03.06.2004	• उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश रहे। • उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तर रेलवे के स्थायी वकील रहे। • जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश रहे। • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे।
3.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन (नगेन्द्र कुमार जैन)	16.07.2005	15.07.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे। • जोधपुर विश्वविद्यालय में अंशकालिक व्याख्याता रहे। • कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। • हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त व हिमाचल प्रदेश में ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
4.	न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया	11.03.2016	25.11.2019	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश भी रहे। • झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश।
5.	न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास	जनवरी, 2021	जून 2024	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। • राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति के सदस्य रहे। • राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष। • राजस्थान न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष। • न्यायिक मजिस्ट्रेटो के चयन की निचली न्यायिक समिति व चयन बोर्ड के अध्यक्ष।
6.	न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी	28 जून 2024		सेवानिवृत न्यायाधीश।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518 7610010054

CamScanner

मानवाधिकार आयोग के सदस्य

क्र.स.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	07.07.2000	06.07.2005	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
2.	श्री आर.के. आकोदिया	25.03.2000	24.03.2005	---
3.	श्री बी.एल. जोशी	25.03.2000	31.03.2004	• 1957 में राजस्थान राज्य पुलिस सेवा से करियर शुरू। • इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस्लामाबाद और लंदन में भारतीय उच्चायोगों और वाशिंगटनडीसी में भारतीय दूतावास के साथ कार्य किया। • 9 जून 2004 को दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला। • अप्रैल 2007 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। • अक्टूबर 2007 में उत्तराखण्ड राज्यपाल नियुक्त। • उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे।
4.	प्रो. आलमशाह खान	24.03.2000	16.05.2003	---
5.	श्री नमोनारायण मीणा	11.09.2003	23.03.2004	• राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक • राष्ट्रपति पुलिस पदक और राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। • 2004 से 2009 में UPA सरकार के दौरान– ✓ पर्यावरण और वन राज्यमंत्री। ✓ वित्त मंत्रालय के व्यय, बैंकिंग और बीमा विभाग में राज्यमंत्री।
6.	श्री धर्म सिंह मीणा	07.07.2005	06.07.2010	• पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार।
7.	न्यायमूर्ति जगत सिंह (कार्यवाहक अध्यक्ष)	10.10.2005	09.10.2010	• राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश रहे।
8.	श्री पुखराज सीरवी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	15.04.2006	13.04.2011	• पुलिस महानिरीक्षक व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रहे। • 1967 में RPS बने। • राष्ट्रपति पुलिस पदक से दो बार सम्मानित।
9.	श्री एच.आर. कुरी (कार्यवाहक अध्यक्ष)	01.09.2011	31.08.2016	---
10.	डॉ. एम.के. देवराजन	01.09.2011	31.08.2016	• राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक। • सहायक निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो। • राजस्थान पुलिस के सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभारी। • पुलिस महानिरीक्षक • राजस्थान पुलिस के सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी। • चार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते जिनमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस से प्राप्त तीन पुरस्कार शामिल।
11.	न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष)	03.10.2018	29.04.2021	---
12.	श्री महेश गोयल	25-01-2021	निरन्तर	• कमाण्डेंट RAC, DIG राजस्थान, व IGP (इंटेलीजेंस) राजस्थान। • राष्ट्रपति पुलिस पदक (वर्ष 2000 में)।
13.	राम चन्द्र सिंह झाला (कार्यवाहक अध्यक्ष)	16-01-2023	निरन्तर	• राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। • RCA में नैतिकता आयुक्त रहे।
14.	अशोक गुप्ता	28 June 2024	निरन्तर	सेवानिवृत IPS

- **महत्वपूर्ण तथ्य** – प्रथम अध्यक्ष – कान्ता भटनागर, वर्तमान अध्यक्ष – न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी
- **वर्तमान सदस्य** – महेश गोयल (आईपीएस), राम चन्द्र सिंह झाला
- **अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – कान्ता भटनागर
- **पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे है** – नमोनारायण मीणा
- **सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल** – पुखराज सीरवी (7 वर्ष)
- **सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – नमोनारायण मीणा (1 वर्ष)
- **अध्यक्ष के रूप में अधिकतम कार्यकाल** – एन.के. जैन
- **आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे**– अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, पुखराज सीरवी, एच.आर. कुरी, महेश चन्द्र शर्मा।, रामचन्द्र
- **एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष**– एस. सगीर अहमद (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(5) राज्य सूचना आयोग

→ प्रथम देश जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। → स्वीडन (1766 ई.)

→ सूचना के अधिकार कानून को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय → S.P. Gupta V/S भारत सरकार, 1981

→ गैर-सरकारी संगठन (NGO) जिनका सूचना का अधिकार कानून में महत्वपूर्ण योगदान रहा → मजदूर किसान शक्ति संगठन ↓ श्रीमति अरुणा रॉय + परिवर्तन ↓ श्री अरविन्द केजरीवाल

→ प्रथम राज्य जिसने सूचना के अधिकार का कानून लागू किया। → तमिलनाडु – 1996

दूसरा राज्य → गोवा – 1997

राजस्थान में → 2000

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

क्रियान्वयन → 26 Jan 2001

→ RTI की माँग की शुरुआत - ब्यावर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग — मुख्यालय - जयपुर

→ प्रावधान – सूचना का अधिकार कानून 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 में।

→ यह एक सांविधिक आयोग है।

CamScanner

→ इसके आदेश राज्य सरकार के सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी है — धारा 19(7)

→ स्थापना → आयोग की अधिसूचना जारी हुई — 13 April 2006

→ आयोग की स्थापना हुई — 18 April 2006

→ राजस्थान में सूचना का अधिकार नियम — 2007 में बनाये गये।

संरचना — 1 (राज्य मुख्य सूचना आयुक्त) + 10 (अधिकतम) (राज्य सूचना आयुक्त)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राजस्थान में संरचना → 1 + 4

वर्तमान संरचना - मुख्य राज्य सूचना आयुक्त

↓

M.L. लाठर — पूर्व पुलिस महानिदेशक, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त
(मुख्य राज्य सूचना आयुक्त)

4
- महेन्द्र कुमार पारख → अध्यक्ष राज्य कर बोर्ड, राजस्व एवं भू-प्रबंध आयुक्त, सदस्य (7/7/2024 से लगातार)
- सुरेश चंद्र गुप्ता → पूर्व प्रमोटी IAS, वित्त सचिव, गृह सचिव, आयुर्वेद सचिव (7/7/2024 से लगातार)
- टीकाराम शर्मा - विधि विभाग में संयुक्त शासन सचिव रहे (7/7/2024 से लगातार)
- वर्तमान में एक सदस्य का पद रिक्त है।

CamScanner

योग्यता — एक व्यक्ति जिसे निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त हो —

(1) विधि
(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी
(3) प्रबन्ध
(4) जन संचार
(5) पत्रकारिता
(6) समाजसेवक
(7) प्रशासक

(2) सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए
(3) किसी लाभ के पद पर नहीं हो।

नियुक्ति — राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर

↓

समिति की संरचना — मुख्यमंत्री
— विपक्ष का नेता
— मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित कैबिनेट मंत्री

NOTE- वर्तमान में कैबिनेट मंत्री - जोगाराम पटेल मनोनीत सदस्य है।

शपथ — राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति ।

कार्यकाल / वेतन / भत्ते — 2019 के संशोधन से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण

• वर्तमान में कार्यकाल- 3/05 वर्ष (सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा)

• वर्तमान में वेतन भत्ते- (2019 के संसोधन से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित)
मुख्य सूचना आयुक्त - H.C के C.J के समान
राज्य सूचना आयुक्त - H.C के J. के समान

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

इस्तीफा — राज्यपाल को

निष्कासन — (1) कदाचार व असमर्थता के मामलें में — राज्यपाल द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के पश्चात्

(2) दिवालियापन, लाभ का पद, मानसिक विकृति, दोषी — राज्यपाल को

NOTE- सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के दौरान राज्यपाल द्वारा निलंबन के प्रावधान है।

वार्षिक प्रतिवेदन — राज्य सरकार को

सूचना का अधिकार कानून 2005 — कुल अध्याय=6, कुल धाराएँ= 31, अनुसूचियाँ=2

• लोकसभा द्वारा पारित = 15 जून, 2005

• राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में लागू - 13 अक्टूबर, 2005

• 12 अक्टूबर, 2005 से जम्मू- कश्मीर राज्य को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इसके साथ ही सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2002 निरस्त हो गया है।

CamScanner

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, धारा-4 की उपधारा-1, धारा 5 की उपधारा-1 व 2, धारा-12, 13, 15, 16, 24, 27 व 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे। इस एक्ट के शेष उपबंध इस एक्ट के 120 वें दिन को लागू होंगे।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

मुख्य धाराएँ

धारा		प्रावधान
धारा 6	→	अपील का प्रारूप
15	→	राज्य सूचना आयोग
16	→	कार्यकाल
17	→	निष्कासन
18, 19, 20, 25	→	राज्य सूचना आयोग के कार्यों का उल्लेख] अध्याय-5
19	→	अपील की प्रक्रिया
19(1)	→	प्रथम अपील अधिकारी (SPIO)
19(3)	→	द्वितीय अपील अधिकारी (राज्य सूचना आयोग)
19(7)	→	आयोग के आदेश बाध्यकारी होंगें।
19(8)	→	आयोग सूचना के अधिकार कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
20	→	जुर्माना या शास्ति (250₹ से 25000₹)
25(1)	→	आयोग को Act के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार
25(5)	→	आयोग को सुसंगत बनाने हेतु उठाए गए कदम।

अध्याय-4 राज्य सूचना आयोग के प्रावधान

अध्याय-5 आयोग के कार्य व जुर्माना

RTI आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य-

- आवेदन लिखित होना चाहिए।
- 10 ₹ की आवेदन फीस चुकानी आवश्यक।
- सूचना माँगने पर कारण बताना आवश्यक नहीं।
- आवेदन में निजी जानकारियाँ नहीं माँगी जा सकती।
- आवेदन का कोई पूर्ण निर्धारित स्वरूप या फॉर्म नहीं है।
- BPL परिवारों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया।
- सूचनाएँ मुफ्त दी जाती है लेकिन स्टेशनरी की लागत वसूली जाती है।
- आवेदन संबंधित विभाग लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

सूचना देने की समय सीमा-

- सामान्य सूचनाएँ 30 दिन में।
- किसी के जीवन की रक्षा से संबंधित सूचनाएँ 48 घण्टे में।
- आवेदन हस्तांतरित होने पर 35 दिन में।
- तृतीय पक्षकार संबंधित सूचनाएँ 40 दिन में।

- 1996 में गठित एच. डी. शौरी आयोग के अनुसार सूचना की स्वतन्त्रता का तात्पर्य – सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता जिसमें निरीक्षण, टिप्पणियाँ – उद्धरण लेना, कागजात की प्रमाणिक प्रतियाँ, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड लेना, कम्प्यूटरों का अन्य किसी इलेक्ट्रोमैगनेटिक

CamScanner

यंत्र में रखी सामग्री - दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि अन्तर्निहित है।

तृतीय पक्ष की सूचना से तात्पर्य-

यदि माँगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष अर्थात् जो आवेदक व सूचना प्रदाता से भिन्न हो, और यदि यह सूचना उसकी व्यक्तिगत व गोपनीयता से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को नोटिस देकर यह पुछेगा की वह यह जानकारी प्रकट करे अथवा नहीं। यह नोटिस 5 दिन के भीतर भेजेगा। तीसरा पक्ष सूचना नहीं प्रदान करने का मत व्यक्त करता हो किन्तु लोक सूचना अधिकारी प्रकट करना लोक हित में उचित मानता हो तो वह सूचना दे सकता है।

सूचना आयोग के आदेशों को चुनौती-

आयोग द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उच्च न्यायलय एवं सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार होता है, अतः वहाँ जाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु-

- 4 अप्रैल, 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामले के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य सूचना आयोग द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च।
- 30 मार्च 2023, को CM अशोक गहलोत ने जोधपुर में सूचना आयोग की पीठ स्थापित की।

(बजट 2023-24 में CM ने घोषणा की)

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

- **मुख्य सूचना आयुक्त :–**
  मोहन लाल लाठर (सदस्य रहे है)
  पुलिस महानिदेशक, डीजीपी अपराध शाखा, राष्ट्रपति पुलिस पदक (2016), ऑपरेशन पराक्रम पदक (2005), भारतीय पुलिस पदक (2003), वीरता के लिए भारतीय पुलिस पदक (2002), राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल (1997).
- **अन्य अध्यक्ष :**
  - **प्रथम अध्यक्ष :– एम.डी. कोरानी** (कार्यकाल :– 18 अप्रैल, 2006 से 17 अप्रैल, 2011)। (सर्वाधिक कार्यकाल)
  - **टी. श्रीनिवासन :** – (कार्यकाल :– 5 सितम्बर 2011 से 13 अगस्त 2015) (सदस्य रहे है)
  - **सुरेश चौधरी :–** (कार्यकाल :– नवम्बर 2015 से दिसम्बर 2018) (न्यूनतम कार्यकाल)
  - **डी.बी. गुप्ता (देवन्द्र भूषण) :–** (कार्यकाल :– दिसम्बर 2020 से 2024)
    राजस्थान में लम्बे समय तक मुख्य सचिव रहे।

सदस्य =
1. T. श्री निवासन (न्यूनतम कार्यकाल)
2. P.L. अग्रवाल
3. चन्द्रमोहन मीणा
4. आशुतोष शर्मा (सर्वाधिक कार्यकाल)
5. लक्ष्मण राठौड़
6. राजेन्द्र बरवड़
7. नारायण बारेठ
8. शीतल धनखड़ (प्रथम महिला सदस्य)
9. महेन्द्र कुमार पारख
10. सुरेश चन्द गुप्ता
11. टीकाराम शर्मा

} वर्तमान में

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(6) नागरिक अधिकार पत्र

→नागरिक अधिकार पत्र वह दस्तावेज हैं जो नागरिकों को विभिन्न सूचनाएँ व अधिकार प्रदान करता हैं साथ ही लोकसेवकों की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करता हैं।

NOTE- यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।

नागरिक अधिकार पत्र के तत्व –

(1) संगठन का उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टिकोण ।

(2) सेवाओं के नाम

(3) कार्य विभाजन

(4) सेवा या कार्य करने की समयावधि

(5) शिकायत की प्रक्रिया

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

महत्व –

(1) लोकसेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है।

(2) जन जागरूकता में वृद्धि ।

(3) लोक प्रशासन में पारदर्शिता में वृद्धि ।

(4) भ्रष्टाचार में कमी

(5) जन शिकायत निवारण का प्रभावी माध्यम ।

(6) प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि ।

(7) सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में जनसहभागिता में वृद्धि

नागरिक अधिकार पत्र का विकास —

(1) नागरिक अधिकार पत्र की शुरूआत 1991 में जॉन मेजर द्वारा ब्रिटेन से की गई।

(2) चार्टर मार्क स्कीम भी ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र से जुड़ी हुई थी।

(3) भारत में इसकी सर्वप्रथम माँग 'कॉमन कॉज' नामक NGO ने की। जिसके प्रमुख H.D. शौरी है।

(4) नागरिक अधिकार पत्र की शुरूआत पर सर्वप्रथम 1996 में नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गई।
(थीम – नौसूत्री कार्य योजना 'सम्मेलन')

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(5) 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस पर पुनः चर्चा की गई।
→ उस समय भारत के प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल थे।

(6) भारत का प्रथम मंत्रालय जहाँ नागरिक अधिकार पत्र को लागू किया गया। — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय – 1997

(7) राजस्थान सरकार का प्रथम विभाग जहाँ नागरिक अधिकार पत्र को लागू किया गया। — राजस्थान सरकार का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग – 1998
(CM – अशोक गहलोत)

★ भारत सरकार द्वारा 2011 में नागरिक अधिकार पत्र विधेयक लाया गया। (पास नहीं हुआ)

विधिक अधिकार

→ वे अधिकार जो आम आदमी को विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए हो। (संसद या राज्यविधानमण्डल)

भारत व राजस्थान में नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार निम्न है-

↳ संविधान द्वारा प्रदत्त-

- सम्पत्ति का अधिकार- अनु. 300(A)
- मतदान का अधिकार-अनु. 326
- निःशुल्क विधिक सहायता — अनु. 39A

↳ संसद द्वारा पारित-

- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम - 1961
- गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम - 1971
- समान पारिश्रमिक अधिनियम - 1976
- दहेज प्रतिषेध (वर-वधु भेंट सूची) अधिनियम - 1985
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम - 1986 (2019 में संशोधन)
- प्रसवपूर्व निदान तकनीकी (विनियोग और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम - 1994
- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 (लागू-12 Oct. 2005)
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधि.- 2005

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधि. - 2007
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधि. 2009
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2011
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम - 2013
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार- भारतीय पेटेंट कानून - 1970
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम - 1961

राजस्थान सरकार द्वारा पारित अधिनियम–

राजस्थान लोकसेवा गारंटी कानून

राज्यपाल द्वारा – 21 Sep. 2011 सहमति

राजस्थान में क्रियान्वयन – 14 Nov. 2011

विशेषताएँ / प्रावधान

(1) यह नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है

(2) इस कानून का क्रियान्वयनकर्ता विभाग – प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD)

राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम, 2012

राज्यपाल द्वारा – 21 May 2012 सहमति

राजस्थान में क्रियान्वयन – 1 Aug. 2012

विशेषताएँ / प्रावधान

(1) यह नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है

(2) इस कानून का क्रियान्वयनकर्ता विभाग – प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD)

CamScanner

(3) उद्देश्य – लोकसेवाओं का निश्चित समयावधि में वितरण करना है। (वर्तमान – 28 विभाग, 306 सेवाएँ)

(4) अपीलार्थी 30 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है (21 दिवस में निस्तारण) राजकीय अवकाश को समयावधि की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

(5) अपीलार्थी प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील कर सकता है।

(6) प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी दोनों को CPC–1908 के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं–

(i) लोकसेवक को नोटिस जारी करना।

(ii) लोकसेवक को गवाही / साक्ष्य हेतु बुलाना

(iii) लोकसेवक के बयानों को शपथ पत्र पर रिकार्ड करना।

(3) उद्देश्य – जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(4) इसके अंतर्गत लोक सुनवाई अधिकारी का प्रावधान किया गया है जो 15 दिवस में शिकायत या अपील का निस्तारण करेगा

(5) लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।

(6) प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है।

(7) प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी दोनों को सिविल संहिता प्रक्रिया–1908 के अंतर्गत विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त हैं–

CamScanner

(iv) सरकारी कार्यालयों से दस्तावेजों की मँगवाना ।

(i) लोकसेवक को नोटिस जारी करना ।

(ii) लोकसेवक को गवाही / साक्ष्य हेतु बुलाना

(iii) लोकसेवक के बयानों को शपथ पत्र पर रिकार्ड करना ।

(iv) सरकारी कार्यालयों से दस्तावेजों की मँगवाना ।

(7) जुर्माने के प्रावधान —

(क) सेवाओं में देरी – ₹50 – 5000 (अधिकतम प्रतिदिन)

(ख) सेवा प्रदान करने – 500 – 5000 से मना करने पर (प्रतिदिन)

(8) लोकसेवक द्वितीय अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उस प्राधिकरण में अपील करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है

(9) न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार को वर्जित किया गया है।

(8) जुर्माने के प्रावधान —

(क) 500 – 5000 (अधिकतम प्रतिदिन)

(9) लोकसेवक द्वितीय अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उस प्राधिकरण में अपील करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है

(10) न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार को वर्जित किया गया है

CamScanner

10. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी अपील करने की समयावधि के पश्चात् भी अपील कर स्वीकार कर सकते है बशर्ते अपीलार्थी के पास पर्याप्तकारण है।

11. द्वितीय अपील अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध भी जुर्माना लगा सकता है।

12. <u>द्वितीय अपील अधिकारी-</u>
लोक सेवक व प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

13. जुर्माना अपीलार्थी को दिया जा सकता है।

14. द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध 60 दिवस में आयोग को अपील कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा।

15. प्रथम व द्वितीय अधिकारी को शुल्क देय नहीं है।

11. सरकार ने इस कानून के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न प्रावधान किए हैं-

(i) सूचना व सुविधा केन्द्र

(ii) Help desk द्वारा प्रसार-प्रसार

12. जनशिकायतों की सुनवाई हेतु विभिन्न समितियों का गठन जैसे-

(i) जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सर्तकता समिति- अध्यक्ष = DM

(ii) उपखण्ड स्तरीय जन शिकायत एवं सर्तकता समिति- अध्यक्ष = SDO

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 761001

13. प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी अपील करने की समयावधि के पश्चात् भी अपील कर स्वीकार कर सकते है बशर्ते अपीलार्थी के पास पर्याप्तकारण है।

14. इस अधिनियम को लागू करने हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है।

16 इस अधिनियम को लागू करने हेतु नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है।	

NOTE:- दोनों अधिनियमों में लोक प्राधिकारी की परिभाषा –

लोक प्राधिकारी से राज्य सरकार और उसके विभाग अभिप्रेत है और इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन / प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से सारतः वित्त पोषित कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित है।

दोनों कानूनों का महत्व —

(1) आम आदमी को विधिक अधिकार प्रदान किए गए।

(2) जनजागरूकता में वृद्धि

(3) लोकसेवकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है।

(4) पारदर्शिता में वृद्धि

(5) भ्रष्टाचार में कमी

(6) जनशिकायतों का प्रभावी समाधान

(7) लोकप्रशासन में जनता का बढ़ता विश्वास

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

दोनों कानूनों की कमियाँ –

(1) दोनों कानूनों की जटिल शब्दावली।

(2) आम आदमी में जनजागरूकता का प्रभाव

(3) प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के रिक्त पद।

CamScanner

(4) जुर्मानें के साधारण प्रावधान (अधिकतम 5000)

(5) द्वितीय अपील अधिकारी हेतु अपील के निस्तारण की समय सीमा निश्चित न होना।

(6) न्यायपालिका की अधिकारिता को वर्णित करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610070054

सुझाव —

(1) कानूनों की शब्दावली सरल होनी चाहिए।

(2) कानूनों को स्थानीय भाषा में लोगों तक पहुँचाना चाहिए।

(3) प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के पदों को रिक्त नहीं रखना चाहिए।

(4) जुर्मानें के प्रावधान कठोर होने चाहिए।

(5) न्यायपालिका का गठन किया जाना चाहिए जो केवल इन कानूनों की सुनवाई करें

(6) अपीलों के जल्द निस्तारण हेतु विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

CamScanner

राज्यपाल

राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 'दोहरी क्षमता' से कार्य करता है।

लक्षद्वीप, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली में यह प्रशासक कहलाता है

दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार तथा पुदुचेरी में उपराज्यपाल का पद है।

→ यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता हैं।

→ यह राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता हैं।

→ राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता हैं।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

संवैधानिक प्रावधान —

153 → राज्यपाल पद का प्रावधान
↳ 7 वाँ संविधान संशोधन, 1956 की धारा-6 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

154 → राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता हैं।

155 → नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा (केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर)

156 → कार्यकाल –

156 (1) → राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करता हैं।

156 (2) → इस्तीफा – राष्ट्रपति को

156 (3) → कार्यकाल – 5 वर्ष

NOTE- राज्यपाल को हटाने का आधार एवं प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं।

NOTE — राज्यपाल का स्थानान्तरण अन्य राज्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। (संविधान में उल्लेख नहीं है।)

NOTE — कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
* कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी शपथ लेता है।

NOTE- कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् राज्यपाल को उसी राज्य या अन्य राज्य में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।
(संविधान में उल्लेख नहीं)

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय-

1. रघुकुल तिलक वाद (1979)- राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।
2. रामेश्वर प्रसाद वाद (2006)- राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

NOTE — राज्यपाल को जानबूझकर राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित नहीं किया जाएगा। उक्त निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की K.G. बालाकृष्णन बेंच द्वारा 2010 में B.P. Singhal V/S भारत सरकार वाद में दिया गया।

157 → योग्यता
(i) भारत का नागरिक
(ii) न्यूनतम आयु — 35 वर्ष

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010064

NOTE- • राज्यपाल हेतु कोई भी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएँ निर्धारित नहीं।
• राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की इच्छा पर निर्भर है।

CamScanner

NOTE- सामान्यतः राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विशिष्ट योग्यता प्राप्त गैर राजनीतिक व्यक्तियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।

परम्परा ⟶ (i) राज्यपाल को बाहरी व्यक्ति होना चाहिए अर्थात् उस राज्य का निवासी नहीं हो जहाँ उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा हो। (संविधान में उल्लेख नहीं)

अपवाद – पंजाब – सरदार उज्जवल सिंह

पश्चिम बंगाल – H.C. मुखर्जी

(ii) राज्यपाल को सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए।

पूंछी आयोग के अनुसार अंतिम दो वर्ष से सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं हो।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

158 ⟶ सेवा / शर्तें

158(1) ⟶ MP/MLA/MLC सदस्य नहीं होना चाहिए।

158(2) ⟶ राज्यपाल लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।

158(3) ⟶ राज्यपाल निःशुल्क आवास, वेतन-भत्तों एवं अन्य परिलब्धियों (सेवा) का हकदार होगा।

158(3a) ⟶ यदि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसके वेतन / भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। (अनुपात)
(7 वाँ संविधान संशोधन 1956 की धारा-7 द्वारा अन्तः स्थापित)

158(4) ⟶ नियुक्ति के पश्चात् राज्यपाल के वेतन / भत्तों व सेवा / शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे।

CamScanner

NOTE — राज्यपाल के वेतन / भत्तों का निर्धारण ससंद द्वारा किया जाता है।

वेतन / भत्ते → राज्य की संचित निधि से

पेंशन → केन्द्र की संचित निधि से

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518 7610010054

NOTE- राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही हेतु शर्तें-

- सूचना लिखित में राज्यपाल को देनी होगी।
- सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा माँगें गए अनुतोष का विवरण देना चाहिए।
- सिविल कार्यवाही की सूचना के बाद २ माह का समय राज्यपाल को।

159 → शपथ

→ संविधान व विधि का - परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण

→ शपथ – राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
या
CJ की अनुपस्थिति में – HC का वरिष्ठतम न्यायाधीश।

#राज्यपाल के कार्य व शक्तियाँ – (Art. 163)

↓

दो श्रेणियाँ

वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री (अथवा मंत्रिपरिषद) की सलाह से करता है।

वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आधार पर करता है।

CamScanner

(1) कार्यपालक शक्तियाँ –

(A) विभिन्न नियुक्तियाँ प्रदान करना।

(1) मुख्यमंत्री व मंत्री [164(1)]

(2) राज्य में जनजाति व OBC कल्याण मंत्री – झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, मध्यप्रदेश

[NOTE – बिहार को 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा हटा दिया गया।]

(3) महाधिवक्ता की नियुक्ति – (165)

(4) मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना – [166(2)]

(5) राज्य निर्वाचन आयुक्त

(6) RPSC अध्यक्ष व सदस्य

(7) लोकायुक्त व उपलोकायुक्त

(8) राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य

(9) मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त

NOTE- संसदीय सचिव की नियुक्ति व शपथ- मुख्यमंत्री

(B) राज्यपाल विभिन्न आयोगों / बोर्ड आदि का अध्यक्ष / संरक्षक होता है –

(1) अध्यक्ष राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

(2) अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र – उदयपुर

(गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान)

(3) अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति

(4) संरक्षक स्काउट एवं गाईड

CamScanner

(5) अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसायटी (उपाध्यक्ष – CM)

(6) कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय – राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010024

(C). अन्य कार्यपालक शक्तियाँ

अनुच्छेद-

166(1)- राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।

166(2,3)- राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्य विधि और नियम बनाना एवं मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा।

208(3)- राज्यपाल विद्यानपरिषद् वाले राज्य में विद्यानसभा के अध्यक्ष और विद्यानपरिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा।

244- विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ होती है।

- निम्न उपकरणों में आदेश जारी करने से पूर्व CM के साथ-साथ राज्यपाल महोदय के सम्मुख भी प्रस्तुत करना आवश्यक है –

1. राज्य सरकार के अधिकारियों। जिनकी नियुक्तिकर्ता राज्य सरकार है) की सेवा समाप्ति तथा अनिवार्य सेवानिवृति के मामले।
2. किसी पुनरीक्षा याचिका को रद्द करने से संबंधित मामले।
3. राजभवन तथा राज्यपाल के कार्मिकों से संबंधित मामले।
4. अनुसूचित क्षेत्रों की शांति एवं प्रशासन से संबंधित संसदीय या राज्य विधायिका के कानूनों एवं विनियमों के मामले।

- कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण मामला जिसे मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव प्रस्तुत करना चाहे।

(2) विधायी शक्तियाँ —

160 → कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन।

163 → राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् (विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर)

164(3) → मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

168 → विधानमण्डल का सदस्य / अंग

171(5) — राज्य विधानपरिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनित करना जो निम्न क्षेत्रों से होगें —

[साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाजसेवा]

174(i) → सत्राहूत

174(ii) → विधानसभा का विघटन / भंग व सत्रावसान

175 → राज्यपाल का अभिभाषण

176 → राज्यपाल का विशेष अभिभाषण (प्रारंभिक भाषण)

180 → अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष की नियुक्ति करना। (विधानसभा अध्यक्ष)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

189 → विधानपरिषद् सभापति व उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में किसी सदस्य को नियुक्त करना (विधानसभा अध्यक्ष)

188 → प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना ।

192(i) → अनु. 191(1) से संबंधित राज्य विधानमण्डल सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में निर्णय लेना ।

192(ii) → भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह के पश्चात्

200 → विधेयकों के संबंधी शक्तियाँ —

(i) विधेयकों को अनुमति प्रदान करना ।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

(ii) विधेयक विधानमण्डल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ।

(iii) विधेयकों को अनुमति प्रदान करने से मना करना —
(राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर निजि विधेयकों को)

(iv) विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना —

(a) यदि विधेयक संघ सूची से संबंधित हो

(b) यदि समवर्ती सूची से संबंधित हो जिस पर संसद पूर्व में कानून बना चूकी हो ।

(c) उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक

(d) सम्पति का अधिकार से संबंधित हो

(e) यदि विधेयक नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार से संबंधित हो ।

अनु- २१३ → अध्यादेश जारी करने की शक्ति -

	अध्यादेश	कानून
२०२०	8	37
२०२१	0	२०
२०२२	0	15
२०२३	0	34

↳ राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर

↳ अध्यादेश की आयु - 6 माह - 6 सप्ताह

(3) वित्तीय अधिकार —

२०० → धन विधेयक को पूर्वानुमति प्रदान करना।

२०२ → बजट को पूर्वानुमति प्रदान करना।

२०३(3) → राज्यपाल की पूर्वानुमति से अनुदान की माँग पर मतदान होता है।

↳ वित्तीय आपातकाल में धन विधेयक राष्ट्रपति को भेजना।

२०5 → अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की माँग

२४3 (I व ४) राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना।

२67(2) → राज्य आकस्मिक निधि पर नियंत्रण

↳ वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को अग्रिम राशि देता है।

(4) न्यायिक शक्तियाँ —

161 → क्षमादान की शक्तियाँ

NOTE - राज्यपाल को मृत्युदंड व कोर्ट मॉर्शल के मामले में शक्ति प्रदान नहीं है।

२17 → उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के नियुक्ति पूर्व - राष्ट्रपति राज्यपाल से विमर्श /चर्चा करता है।

219→ उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। (IIIrd अनुसूची)

233→ जिला न्यायधीशों की नियुक्ति करना।

234→ न्यायिक सेवा में जिला न्यायधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती सरकार द्वारा।

(5) मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना-

सर्वोच्च न्यायलय ने अपने 5 नवम्बर 2004 के निर्णय में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। भले ही मंत्रिपरिषद् ने इसकी अनुमति देने से इन्कार कर दिया हो।

(6) स्वविवेक की शक्तियाँ — राज्यपाल संघीय सरकार की तरह कार्य करता है —

163(3)→ इस प्रश्न की किसी न्यायलय में जाँच नहीं की जायेगी, कि क्या मंत्रियों ने सरकार को कोई सलाह दी है और दी तो क्या दी।

→ Art.–164(1) – मुख्यमंत्री की नियुक्ति – त्रिशंकु सरकार (बहुमत नहीं हो)

→ Art.–167 – मुख्यमंत्री से विभिन्न विधायी व प्रशासनिक सूचनाएँ प्राप्त करना।

→ Art.–174(2) – विधानसभा की भंग करना।
मंत्रिपरिषद की बर्खास्त करना।

Art. 175(2) राज्यपाल सत्ताधारी दल को बहुमत परीक्षण हेतु बुला सकती है (फ्लोर टेस्ट)

CamScanner

Art. 176 - विधानसभा का 'विशेष सत्र' बुलाना।

→ Art. - 200 में स्वविवेकीय शक्तियाँ

- → विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना - राज्य विधानमण्डल को
- → विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना।

Art. 239 → संघ क्षेत्र के लिए सरकार की शक्तियाँ वर्णित की गई है।

→ Art. - 356 - के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा

→ Art. - 371 - में स्वविवेकीय शक्तियाँ निम्न राज्यों के संदर्भ में

- -371 - महाराष्ट्र व गुजरात
- -371 A - नागालैण्ड
- -371 B - असम
- -371 C - मणिपुर
- -371 D - तेलंगाना व आंध्रप्रदेश
- -371 E - आंध्रप्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- -371 F - सिक्किम
- -371 G - मिजोरम
- -371 H - अरुणाचल प्रदेश
- -371 I - गोवा
- -371 J - कर्नाटक

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

→ मुख्यमंत्री के विरुद्ध FIR की अनुमति प्रदान करना।

उदा. बिहार - A.R किदवई द्वारा लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध।

→ श्री हंसराज भारद्वाज द्वारा B.S येदुरप्पा (कर्नाटक के मुख्यमंत्री) के विरुद्ध, 2011

→ हाल ही में - कर्नाटक के CM सिद्धारमैया के विरुद्ध राज्यपाल थावरचंद गहलोत होंगे।

NOTE - स्वविवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

CamScanner

- महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को आकार दिया-
  - (i) एस. आर बौम्मई बनाम भारत सरकार
  - (ii) रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार

राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में —

→ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ राज्यपाल का निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

→ राज्यपाल का स्थानान्तरण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है।

→ राज्यपाल Art.– 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति हेतु विधेयकों को आरक्षित करता है।

→ राज्यपाल Art.– 256 व 257 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों का क्रियान्वयन राज्य में सुनिश्चित करता है।

→ राज्यपाल राज्य में Art.– 356 या राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है।

→ 2015 का नियम → राज्यपाल की विदेश यात्रा पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी।

→ पेंशन केन्द्र की संचित निधि से

राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है —

→ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

→ राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है।

→ राज्यपाल का वेतन → राज्य की संचित निधि से

→ कार्यकाल का स्थायित्व – B.P. Singhal V/S भारत सरकार वाद – 2010

राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में –

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
(1) केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर प्रभावी नियंत्रण	(1) वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के कारण राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। Art. 200, 356 – शासन
(2) कनाड़ा से अभिप्रेरणा	(2) राज्यपाल का पद वृद्ध राजनीतिज्ञों हेतु चारागाह बनता जा रहा है।
(3) राज्यपाल केवल राज्य में औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होता है।	(3) चूंकि राज्यपाल अन्य राज्य से होता है अतः उसका जनता के प्रति अपनत्व, लगाव स्थानीय लोगों से नहीं होता।
(4) चुनाव के कारण अनावश्यक व्यय में वृद्धि	(4) राज्य सरकार के कार्यों में राज्यपाल का अनावश्यक हस्तक्षेप
(5) निर्वाचन से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य विवाद का कारण बन सकता है	(5) राष्ट्रपति भी केन्द्र में औपचारिक प्रमुख होता है जबकि उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।
(6) निर्वाचन के कारण राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी	(6) पूंछी आयोग की सिफारिश – राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम पर की जानी चाहिए –

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(7) वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया राज्य में अलगाव वाद को रोकती है। (Art. 356 के माध्यम से)

(8) यह विधानसभा द्वारा लिया गया निर्णय है।

(9) संघीय शासन व्यवस्था में मजबूत केन्द्र का होना जरूरी है।

(i) PM, (ii) लोकसभा अध्यक्ष (iii) गृह मंत्री केन्द्र (iv) मुख्यमंत्री राज्य का

(7) राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनावश्यक आरक्षित रखना। (राष्ट्रपति के लिए)

(8) संघीय शासन व्यवस्था में सरकार की नियुक्ति केन्द्र द्वारा करना राज्य की स्वायतत्ता में हस्तक्षेप

NOTE—

(1) राज्यपाल सहायता कोष – 14 मार्च 1973

(2) राजभवन में जनजाति कल्याण इकाई – 2011 से

(3) राज्यपाल द्वारा यूनिवर्सिटी सोशल रेसपोन्सिबिलिटि प्रोग्राम को मॉनिटर किया जाता है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

#राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य —

→ प्रथम राजप्रमुख → सवाई मानसिंह द्वितीय

→ प्रथम राज्यपाल → गुरूमुख निहाल सिंह (सर्वाधिक कार्यकाल)

→ राज्यपाल जो संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य रहे- ↳ सरदार जोगिन्दर सिंह

→ प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल → जगत नारायण

CamScanner

→ राज्यपाल जो RPSC सदस्य रहे → रघुकुल तिलक

→ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, एयर चिफ मार्शल - ओमप्रकाश मेहरा
(मॉर्शल, हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स (HCL) लिमिटेड के अध्यक्ष रहे)

→ 'मंगलाप्रसाद' पुरस्कार से सम्मानित → सम्पूर्णानन्द

→ जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई → (1) प्रभा राव
(2) दरबारा सिंह
(3) शिलेन्द्र कुमार सिंह
(4) निर्मल चन्द्र सैन

→ राज्यपाल जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे → (1) D.P. गुप्ता
(2) मिलाप चंद जैन

राज्यपाल को लेकर विभिन्न आयोग व समितियाँ-

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 ई.) - निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए।

राजमन्नार आयोग (1969)

↳ किसी व्यक्ति को एक राज्य में एक बार ही राज्यपाल बनाना चाहिए।

↳ राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष की जानी चाहिए।

जम्मू एवं कश्मीर की भगवान सहाय समिति (1970)

सरकारिया आयोग- (1983)

↳ राज्यपाल की नियुक्ति CM की सलाह पर।

↳ राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यकाल का प्रावधान।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300734518, 7610010054

CamScanner

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

↳ राजनीति में सक्रिय व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

↳ राज्य का निवासी न हो।

↳ अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अवसर देना चाहिए।

↳ राज्यपाल किसी सामाजिक/वैज्ञानिक/कला/साहित्यिक क्षेत्र में प्रख्यात हो।

↳ राज्यपाल को हटाने से पहले कारण बताना चाहिए।

↳ राजनीति में हो तो "Cooling of Period" में होना चाहिए।

↳ Art. 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।

↳ राज्यपाल को बिना किसी ठोस कारण के कार्यकाल (5 वर्ष) से पूर्व नहीं हटाना चाहिए।

2nd ARC– अंतर्राज्यीय परिषद को इस बारे में दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए कि सरकार अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है।

राज्यपाल पर पूंछी आयोग की सिफारिश – 2007

(1) राज्यपाल की नियुक्ति हेतु एक समिति बनाई जानी चाहिए

– सदस्य → PM
→ संबंधित राज्य के CM
→ गृहमंत्री
→ लोकसभा अध्यक्ष

(2) राज्यपाल की सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए – 2 वर्ष तक

(3) राज्यपाल का निष्कासन महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए।

(4) राज्यपाल को साधारण विधेयक अधिकतम 6 माह तक अपने पास रखना चाहिए।

CamScanner

(5) राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।

(6) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए।

(7) राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद या मंत्री के खिलाफ कार्यवाही, मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए।

* राज्यपाल से संबंधित मत भिन्नता के क्षेत्र-

1. विवेकों पर समयबद्ध विचार का अभाव-

आलोचकों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि राज्यपालों द्वारा विभिन्न अवसरों पर अनुच्छेद 200 व 201 का दुरुपयोग किया गया है।

2. शक्तियों के स्पष्ट सीमांकन का अभाव-

यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के संवैधानिक अधिदेश को चांसलर के रूप में कार्य करने के वैधानिक प्राधिकार से पृथक करके कैसे देखा जाए। इसके परिणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच बारंबार संघर्ष की स्थिति बनी रही है।

3. नियुक्ति संबंधी पूर्वाग्रह-

आलोचकों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने राज्यपालों के रूप में राजनीतिक हस्तियों और विशेष राजनीतिक विचारधाराओं के साथ सहानुभूति रखने वाले पूर्व नौकरशाहों को नियुक्त किया है, जो संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट पद की तटस्थता की भावना का उल्लंघन है।

4. केन्द्र का एजेंट होने संबंधी आशंकाएँ-

वर्ष 2001 में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने माना था कि चूंकि राज्यपाल अपनी नियुक्ति और पद

पर बने रहने के लिए केन्द्र का आभारी होता है, इसलिए ये आशकाएँ बनी रहती है, कि वह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।

आलोचक मानते है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (Art. 356) के लिए राज्यपाल की अनुशंसा के पीछे यह एक प्रमुख कारण रहा है। यह हमेशा ही 'तथ्यात्मक तत्व' पर आधारित नहीं रहा है। बल्कि राजनीतिक सनक या कल्पना पर निर्भर रहा है।

5. पद से हटाने की कोई लिखित प्रक्रिया नहीं-

राज्यपालों को कई बार मनमाने ढंग से हटाया गया है क्योंकि उन्हें हटाने के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया मौजूद नहीं है।

6. राज्यपाल द्वारा केन्द्र के प्रशासनिक निर्देशों (Art. 256, 257) का राज्य में क्रियान्वयन करवाना।

7. राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त होना।

8. चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी/ गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अवसर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है।

राज्यपाल के विशेषाधिकार-

➤ राज्यपाल को Art. 361 के अन्तर्गत निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त है-

1. पद पर रहने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

2. राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामलों की सूचना राज्यपाल को 2 माह पूर्व देनी होगी।

- राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान न्यायालय राज्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता है।
- राज्यपाल अपने किसी भी कार्य हेतु न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं।

राज्यपाल के प्रतिकात्मक नाम-

- श्री प्रकाश ने राज्यपाल की भूमिका मात्र "निधारित शून्य स्थान पर हस्ताक्षर करने" की बतायी है।
- एम. वी. पायली के अनुसार " राज्यपाल एक सूझ-बूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का संस्थापक है।"
- श्री मती इन्दिरा गाँधी का मानना था कि राज्यपाल के माध्यम से भारत में "संकीर्ण प्रातीयतावाद" पर नियंत्रण स्थापित किया गया है।
- के. एम. मुंशी ने इस पद को संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी माना है जो केन्द्र राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है।

राजस्थान के राज्यपाल

क्र. सं.	राज्यपाल	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)	31.03.1949	31.10.1956	• जयपुर के पूर्व महाराजा, (राजप्रमुख पद को सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया)। • प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी। • चैम्बर ऑफ प्रिन्सेस व बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कोर्ट के वंशानुगत सदस्य। • इण्डियन पोलो एसोंसिएशन के अध्यक्ष (1961) • मेयो कॉलेज अजमेर की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष। • जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संरक्षक।
2.	सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	01.11.1956	15.04.1962	• सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। • पूर्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। • दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष। • राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के स्थान पर राजभवन नें रखा गया।
3.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	16.04.1962	15.04.1967	• उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री (1954-60 तक) रहे। • असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। • जयपुर के सांगानेर की खुली जेल इन्हीं की देन है। • इनके कार्यकाल में पहली बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। • इंटर महाविद्यालय बीकानेर के प्राचार्य रहे। • अपनी समाजवाद पुस्तक के लिए "मंगलाप्रसार" पुरस्कार से सम्मानित। • अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए (1940)।

THE NOTES HUB * Notes are Available * All Competition Books * 7300134518, 7610010054

CamScanner

				• नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष व संरक्षक। • प्रेम महाविद्यालय (वृदांवन) तथा डूंगर कॉलेज (बीकानेर) के प्रधानाध्यापक रहे। सत्याग्रह आंन्दोलन में हिरसा। • ज्ञानमण्डल संस्था में रहकर "अंतर्राष्ट्रीय विधान" लिखी और मर्यादा पत्रिका का संपादनभार भी संभाला। • उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के तीन बार सचिव रहे। • गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री रहे तथा वित्त व श्रम मंत्री भी रहे।
4.	सरदार श्री हुकुम सिंह	16.04.1967 24.12.1970	19.11.1970 30.06.1972	• लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी (1962–1967) रहे। • 1951 में दिल्ली में स्पॉक्समैन पत्रिका का प्रमोचन किया। • राज्य उच्च न्यायालय के उत्तरवर्ती न्यायाधीश भी रहे। • संविधान सभा, अंतरिम संसद, प्रथम व द्वितीय लोकसभा सदस्य। • अकाली दल के सदस्य व अध्यक्ष रहे। • राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। (लंदन 1961) • संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया (1962 – सोवियत संघ, 1963 – संयुक्त राज्य अमेरिका) • 2 वर्ष राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन की संचालन परिषद के चयनित सदस्य रहे। • शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सदस्य। • साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया (1928)। • राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट के सचिव। • पंजाबी सूबों का हल तलाशने वाली लोकसभा समिति के सदस्य (1965)। • दो अंग्रेजी पुस्तक (i) दि सिख कॉस, (ii) दि प्रॉब्लम ऑफ सिखिज्म। • हॉकी खिलाड़ी।
5.	न्यायमूर्ति जगत नारायण(कार्यवाहक)	20.11.1970	23.12.1970	• न्यायाधीश। • प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल।
6.	सरदार श्री जोगिन्दर सिंह	01.07.1972	14.02.1977	• संविधान सभा, अंतरिम संसद, लोक सभा व राज्य सभा के सदस्य। • नेशनल राईफल एसोसिएशन के महासचिव रहे। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। • जन लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • कृषि आयोग के सदस्य। • राज्य सभा की गृह समिति के अध्यक्ष • ओडिशा के कार्यवाहक राज्यपाल (1971–1972)
7.	न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15.02.1977	11.05.1977	• न्यायाधीश। • कैबिनेट मंत्री रहे। • राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।
8.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977	08.08.1981	• अप्रैल 1977 से जून 1977 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। • वर्ष 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • काशी विद्यापीठ के वाईस चांसलर रहे। • सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले राज्यपाल। • सरकारी नीतियों के विरोध स्वरूप राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। • असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त। • गोलमेज सम्मेलन के बाद गिरफ्तार (प्रथम बार) • राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

9.	न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	08.08.1981	05.03.1982	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे। • न्यायाधीश।
10.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	06.03.1982 01.02.1985	04.01.1985 03.11.1985	• एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेनाध्यक्ष थे। • उन्हें 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। • हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स के अध्यक्ष रहे। • पद्मविभूषण। • भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष। • इनकी आत्मकथा – स्वीट एण्ड सॉर • महाराष्ट्र के 11वें राज्यपाल रहे। • गोल्फ के शोकीन तथा सेन्टर फॉर एयर पावर स्टडीज के सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष। • प्राथमिक उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के कमांडेंट (जोधपुर) 1980–82। • एशियाई खेल महासंघ के अध्यक्ष। • राजीव रत्न पुरस्कार (1991)। • मेयर इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली निदेशक। • भारतीय हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष।
11.	न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	05.01.1985	31.01.1985	• न्यायाधीश।
12.	न्यायमूर्ति डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	04.11.1985	19.11.1985	• न्यायाधीश। • राजस्थान के कार्यवाहक लोकायुक्त पद पर रहे।
13.	श्री वसंतराव (वसंतदादा) पाटिल	15.10.1987	19.02.1988	• महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। • महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया। • लोक सभा सदस्य रहे। • पद्मभूषण • भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • प्रथम राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। • अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव। • महाराष्ट्र राज्य सहकारी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष। • शिवाजी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य (1962 – 64)। • राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष भी रहे।
14.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (कार्यवाहक)	20.11.1985 03.02.1989	14.10.1987 19.02.1989	• राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। • 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन हेतु बनी समिति के अध्यक्ष (तीन सदस्यीय आयोग) • भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश। • 2002 की गुजरात हिंसा में न्याय के लिए 'मंच तैयार करने' के लिए जाना जाता है।

CamScanner

				• इनके उल्लेखनीय निर्णय–(i) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (ii) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
15.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1988 20.02.1989	02.02.1989 02.02.1990	• राज्यसभा सदस्य व कैबीनेट मंत्री रहे। • कार्यकाल के बीच में विदेश में चिकित्सा हेतु गए इस दौरान जे. एस. वर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • भारत छोड़ों आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। (1942) • भारतीय खेल परिषद व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। • अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्य।
16.	श्री मिलापचन्द जैन (कार्यवाहक)	03.02.1990	13.02.1990	• राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे। • राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु बनाये गये जैन आयोग के अध्यक्ष रहे। • दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। • राजस्थान के लोकायुक्त रहे।
17.	प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14.02.1990	25.08.1991	• इण्डिय· कांउसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष व स्थापनाकर्ता। • पद्मविभूषण। • राज्यसभा सदस्य। • भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रहे।
18.	डॉ. स्वरूप सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	26.08.1991	04.02.1992	• दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाईस चांसलर • गुजरात व केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। • संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य रहे। • राजस्थान में राज्यपाल का पहली बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया। • दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रिंसिपल व उप–प्रिंसिपल। • कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रमुख (1961)। • हरियाणा से राज्यसभा सदस्य।
19.	डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी (मर्री चेन्ना रेड्डी)	05.02.1992	30.05.1993	• आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। • वे उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। • तेलंगाना आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। • अंतिम राज्यपाल जिनके कार्यकाल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। • राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े। • हैदराबाद राज्य में कृषि, खाद्य, योजना व पुनर्वास मंत्री। • कृषि विशेषज्ञों के विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया (1953 रोम) • इन्होंने आंध्र राज्य के साथ तेलंगाना के विलय का विरोध किया और जेंटलमैन समझौते (1956) के चार हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। • लोक लेखा समिति सदस्य व दो बार प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। • केंद्रीय मंत्रिमण्डल में इस्पात, खान और धातु, मंत्री के रूप में नियुक्ति। • पुदुचेरी के राज्यपाल।
20.	श्री धनिक लाल मण्डल (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	31.05.1993	29.06.1993	• राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। • लोकसभा सदस्य। • बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • भारत छोडो आंदोलन में भाग लिया। • सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव।

THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books ★ 7300134518, 7610010054
Springboard Academy

CamScanner

				• जयप्रकाश नारायण के 'सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन' में शामिल हुए। • हरिजन सेवक संघ बिहार के अध्यक्ष। • शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित। • हरियाणा के राज्यपाल (1990-95) • मोरारजी देसाई सरकार में केन्द्रीय गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री रहे।
21.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993	30.04.1998	• भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 2 समाचार पत्रों का संपादन किया – क्विट इंडिया, आवर स्ट्रगल • भारत सरकार में योजना राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश व्यापार आपूर्ति मंत्री, इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री रहे। • लोक सभा अध्यक्ष भी रहे। • अंतरिम संसद के सदस्य रहे। • पहली से पांचवी तक एवं सातवीं व आठवीं लोकसभा के सदस्य रहे। • केंद्रीय सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। • राष्ट्रदूत पत्र (हिंदी साप्ताहिक) का प्रकाशन शुरु किया। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के वैकल्पिक गवर्नर।
22.	श्री सरदार दरबारा सिंह	01.05.1998	24.05.1998 (मृत्यु)	• पंजाब विधानसभा अध्यक्ष रहे। • राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। • मृत्यु का कारण–पोकरण मे भारत के परमाणु परीक्षण के समय लू लगने से मृत्यु हुई। • पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे।
23.	श्री एन.एल. टिबरेवाल (नवरंग लाल टिबरेवाल) (कार्यवाहक)	24.05.1998	15.01.1999	• राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध व राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। • राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे ।
24.	न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह	16.01.1999	13.05.2003	• इलाहाबाद व राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। • 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। • हाल ही में कोविड–19 से मृत्यु। • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। • राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। • गुजरात के राज्यपाल। • राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश।
25.	श्री निर्मल चन्द्र जैन	14.05.2003	22.09.2003 (मृत्यु)	• भारतीय वित्त आयोग के सदस्य • पद पर रहते हुए मृत्यु। • लोकसभा सदस्य रहे। • मध्यप्रदेश राज्य के महाधिवक्ता रहे।
26.	श्री कैलाशपति मिश्र (राज्यपाल गुजरात) अतिरिक्त प्रभार	22.09.2003	13.01.2004	• भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। • भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। (गिरफ्तार हुए) • बिहार के वित्त मंत्री। • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य।
27.	श्री मदनलाल खुराना	14.01.2004	31.10.2004	• दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री • वाजपेयी सरकार में संसदीय मामलात एवं पर्यटन मंत्री • इन्हें 'दिल्ली का शेर' भी कहा जाता था। • राज्यपाल रहते राजस्थान में "जनता दरबार" लगाने के कारण सुर्खियों में रहे। • अपने पद से त्यागपत्र दिया।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

28.	श्री टी.वी. राजेश्वर (राज्यपाल उत्तरप्रदेश) अतिरिक्त प्रभार	01.11.2004	07.11.2004	• भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। • इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख। • सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। • भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव। • उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। • सबसे कम समय के लिए राज्यपाल रहे। • अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल। • आंध्रप्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर।
29.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08.11.2004	23.06.2007 (त्याग पत्र)	• विधायक व लोकसभा सदस्या रही। • 2007 से 2012 तक भारतीय प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। • मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **"ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एज्टेका"** (ऑर्डर ऑफ एज्टेक ईगल) से सम्मानित किया गया। • राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। • महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों में मंत्री रहीं। • राज्यसभा की उपसभापति। • लोकसभा की गृहसमिति की अध्यक्षा।
30.	डॉ. ए. आर. किदवई (अख्लाक उर रहमान किदवई) (राज्यपाल हरियाणा) अतिरिक्त प्रभार	23.06.2007	05.09.2007	• एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, जो हरियाणा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। • किदवई 1974 से 1977 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। • अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहे। • अध्यक्ष, चयन बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट्स पूल। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • जम्मू एवं कश्मीर बैंक के निदेशक भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए।
31.	श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यवाहक)	06.09.2007 23.07.2009	09.07.2009 01.12.2009	• भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप 77 के अध्यक्ष रहे। • अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। • अतिरिक्त विदेश सचिव व सचिव रहे। • यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवानिया इंस्टिट्यूट फॉर दी एडवांस स्टडी ऑफ इण्डिया के महासचिव (दिल्ली)। • भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक। • न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में ''परमानेंट मिशन ऑफ इण्डिया'' के सदस्य। • जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (दिल्ली) के विजिटिंग प्रोफेसर।
32.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10.07.2009	22.07.2009	• भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी। • कर्नाटक, ओडिशा और आन्ध्रप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार), मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। • सिटी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता। • दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर। • राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार के साथ राजीव गाँधी सद्भावना पुरस्कार के संस्थापक सचिव। • इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (छठी परिषद) के अध्यक्ष। • आर.बी.आई. के पूर्व संयोजक व पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक। • पूर्व निदेशक, पंजाब–हरियाणा और दिल्ली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (3 वर्ष)। • केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य।

THE NOTES HUB
All Notes are Available
All Competition Books
7340134518, 7610010054
Springboard

				• राज्यसभा के लिए निर्वाचित (दो बार)। • राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति व लोक लेखा समिति के सदस्य।
33.	श्रीमती प्रभा राव (कार्यवाहक)	03.12.2009 25.01.2010	24.01.2010 26.04.2010	• लोकसभा सदस्य रही। • पद पर रहते हुए मृत्यु। • विधानसभा सदस्य (महाराष्ट्र) • महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री। • महाराष्ट्र में विपक्ष की नेता। • हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)। • 13वीं लोकसभा की सांसद निर्वाचित। • राजस्व एवं सांस्कृतिक मामलात विभाग की मंत्री।
34.	श्री शिवराज पाटिल (राज्यपाल पंजाब) अतिरिक्त प्रभार	28.04.2010	11.05.2012	• भारत के विदेश मंत्री • भारत के गृहमंत्री रहते समय मुम्बई में आतंकवादी हमला। • CSIR के उपाध्यक्ष रहे। • लोक सभा अध्यक्ष रहते हुए इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रारम्भ किया गया। (1992) • केंद्रीय सरकार में रक्षामंत्री भी रहे। • राज्यसभा सांसद भी रहे। • केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे। • कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अधिकतम कार्यकाल।
35.	श्रीमती मार्गरेट अल्वा (कार्यवाहक)	12.05.2012	07.08.2014	• उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया। • वे मर्सी रवि अवॉर्ड से सम्मानित हैं। • दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उन्हें वहाँ के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। • चार बार लगातार राज्यसभा सदस्या रही। • लोकसभा सदस्या रही। • राज्यसभा की उपसभापति भी रहीं। • गुजरात व गोवा की राज्यपाल रही। • इनके प्रयासों से 1987 को सार्क देशों के "बालिका वर्ष" घोषित किया।
36.	श्री राम नाइक (अतिरिक्त प्रभार)	08.08.2014	03.09.2014	• भारत सरकार में ऑयल एवं नेचुरल गैस मंत्री। • केंद्रीय सरकार में रेलमंत्री भी रहे। • लोकसभा सदस्य भी रहे। • उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे।
37.	श्री कल्याण सिंह	04.09.2014	09.09.2019	• दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। • विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगस्त 2021 में मृत्यु। • लोकराभा सदस्य भी रहे। • पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। • हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल (अतिरिक्त प्रभार)।
38.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019	30.07.2024 को सेवानिवृत	• भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे। तीन बार राज्यसभा सदस्य। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। • उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व विधानपरिषद के सदस्य भी रहे। लोकसभा सदस्य भी रहे। • 'निमित्त मात्र हूँ मैं' आत्मकथा लिखी। • उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री। 16वीं लोकराभा सदस्य। • पुस्तकें प्रकाशित – (i) न्यायिक जबावदेही, (ii) हिन्दुत्व एक जीवन शैली।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054
Springboard

CamScanner

39.	श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े	31.07.2024	लगातार	• राजस्थान के 45वें राज्यपाल। • महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। (2014) • महाराष्ट्र में दो बार मंत्री।

- **राजस्थान के प्रथम राज्यपाल** – गुरूमुख निहाल सिंह
- **राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल**– प्रतिभा पाटिल
- **राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ** – दरबारा सिंह, निर्मलचन्द जैन, शीलेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव।

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय रहे राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री –

राज्यपाल	मुख्यमंत्री
➢ डॉ. सम्पूर्णानन्द (1967)	➢ मोहनलाल सुखाड़िया (1967)
➢ सरदार हुकुमसिंह (1967)	
➢ रघुकुल तिलक (1977,1980)	➢ हरिदेव जोशी (1977) ➢ भैरोंसिंह शेखावत (1980)
➢ डॉ. एम. चेन्नारेड्डी (1992–1993)	➢ भैरोंसिंह शेखावत (1992)
➢ बलिराम भगत (1993)	

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

- **1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री** – हरिदेव जोशी,
- **1975 के आपातकाल के समय राज्यपाल** – सरदार जोगिन्दर सिंह
- **वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनो के सदस्य रहे है** – कलराज मिश्र, सरदार जोगिंदर सिंह, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल।
- **वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे है** – बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह।
- **वह राज्यपाल जो राज्यसभा की उपसभापति भी रही** – प्रतिभा पाटिल
- **राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर रहे है** – श्री गुरुमुख निहाल सिंह, श्री दरबारा सिंह, श्री धनिक लाल मंडल
- **वे राज्यपाल जो किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं** – कल्याणसिंह, मदनलाल खुराणा, एम.चेन्नारेड्डी, वसंतदादा पाटिल, सम्पूर्णानन्द, गुरुमुख निहाल सिंह।
- **सर्वाधिक समय तक राज्यपाल**–गुरुमुख निहाल सिंह
- **राज्यपाल पद पर महिलाएँ** – श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रभा राव, श्रीमती मार्गरेट अल्वा।
- **वे न्यायाधीश जो राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे है** – नवरंग लाल टिबरेवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चन्द जैन, जगत नारायण, के.डी. शर्मा, पी.के. बनर्जी, डॉ. पी. गुप्ता, जे.एस. वर्मा, अंशुमान सिंह।
- **सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे है** –टी.वी. राजेश्वर
- **श्री गुरुमुख निहाल सिंह, डॉ. सम्पूर्णानन्द, सरदार हुकूम सिंह, श्री जोगिंदर सिंह, श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके।**
- राज्यपाल को सरोजनी नायडू ने **"सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया"**, विजय लक्ष्मी पण्डित ने **"वेतन का आकर्षण"**, पट्टाभी सीतारमैया ने **"अतिथि सत्कार करने वाला"**, मार्गरेट अल्वा ने **"सरदर्द"** कहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- रेडक्रॉस सोसायटी 1951 - जयपुर (उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री, 23 जिला शाखा)
- गवर्नर रिलीफ फण्ड – (उपाध्यक्ष – मुख्यमंत्री)।
- राष्ट्रपति के निदेश पर राज्यपाल द्वारा जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों में ¾ विधायक जनजाति से होते हैं।
- अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।

दुर्गादास बसु – "थोड़े में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकट कालीन अधिकारों को छोड़कर"।

CamScanner

मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद

↳ 1935 के अधिनियम में कहा गया कि राज्यों में गवर्नर को परामर्श तथा सहायता प्रदान करने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री (1947 में मुखिया को मुख्यमंत्री नाम दिया गया) होगा।

संवैधानिक प्रावधान —

अनुच्छेद 163(1) → राज्यपाल की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300124518, 7610010054

163(ii) → राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ

163(iii) → मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जाँच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी।

164(i) → मुख्यमंत्री की नियुक्ति — राज्यपाल द्वारा की जाती है।
मंत्रियों की नियुक्ति — राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।

↳ मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

164(ia) → मंत्रिपरिषद का आकार व संरचना

(91वें संविधान संशोधन — 2003 द्वारा)

(क्रियान्वयन — 1 Jan 2004 द्वारा)

→ अधिकतम आकार — निम्न सदन या विधानसभा का 15% (CM सहित)

→ न्यूनतम आकार — 1 + 11
↳ (अपवाद - सिक्किम, मिजोरम, गोवा)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

↳ वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल सीट = 200
(जनसंख्या का आधार वर्ष - 1971)

राज्य मंत्रिपरिषद् की शक्तियाँ एवं कार्य-

1. नीति निर्माण- शासन के विभिन्न विभागों के संबंध में नीति निर्माण मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

↳ संबंधित विभाग का मंत्री लोक सेवकों की सूचना के आधार पर तथा उनकी सहायता से नीतियाँ बनाता है।

2. विधानमण्डल में शासन का पक्ष रखना-
मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधानमण्डल की गतिविधियों में भाग लेते हुए सदन में अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते है तथा वाद-विवाद में भाग लेते है।

3. कानून निर्माण में भागीदारी-
वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से वित्त मंत्री द्वारा विधानमण्डल में रखा जाता है।

↳ समस्त सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद् द्वारा विधानमण्डल में रखे जाते है।

↳ राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश लाये जाते है, वे मंत्रिपरिषद् द्वारा ही तैयार किये जाते है।

4. राज्यपाल को परामर्श-

↳ राज्यपाल के समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद् द्वारा परामर्श दिया जाता है।

↳ राज्य में उच्च पदों पर समस्त नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर ही राज्यपाल द्वारा की जाती है।

CamScanner

5. बजट तैयार करना-

- मंत्रिपरिषद् में वित्त मंत्री द्वारा वर्ष के आरंभ में राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है।
- बजट का निर्धारण मंत्रिपरिषद् में अनुमोदित नीति के आधार पर ही किया जाता है।

6. मंत्रिपरिषद्, मंत्रिमण्डल की कार्यप्रणाली-

- मंत्रिमण्डल द्वारा ही मंत्रिपरिषद् के समस्त निर्णय लिए जाते है। सर्वप्रथम मंत्रिमण्डल की बैठक के लिए कार्यसूची बनाई जाती है, इसके बाद CM की सहमति से मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाई जाती है।
- मंत्रिमण्डल में विचारार्थ विषयों की सूची मंत्रियों को भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् उस निर्णय का क्रियान्वयन किया जाता है।

7. सामूहिक उत्तरदायित्व-

मंत्रिपरिषद् में किसी एक मंत्री के निर्णय कार्य के लिए सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है।

- किसी एक मंत्री की त्रुटि के लिए विधानसभा द्वारा सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र मांगा जा सकता है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

मंत्रिमण्डल की भूमिका

- मंत्रिपरिषद् का एक छोटा-सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमण्डल कहलाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते है। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केन्द्र होता है।

CamScanner

(1.) राज्य की राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में यह सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है।

(2.) यह उच्च नियुक्तियाँ करती है जैसे- संवैधानिक कार्यकारिणी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की।

(3.) यह राज्य सरकार की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है।

(4.) यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है।

(5.) यह राज्यपाल की सलाहकार होती है।

(6.) यह मुख्य आपात प्रबन्धक होती है और इस तरह आपात स्थितियों को संभालती है।

(7.) यह सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखती है।

मंत्रिपरिषद	मंत्रिमण्डल
(1) सभी मंत्री मंत्रिपरिषद का भाग हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	(1) केवल कैबिनेट मंत्री ही इसका का भाग हैं
(2) इसका आकार बड़ा होता हैं।	(2) इसका आकार छोटा होता हैं।
(3) सभी विभाग मंत्रिपरिषद का भाग हैं	(3) केवल महत्वपूर्ण विभाग इसका भाग हैं
(4) इसका उल्लेख मूल संविधान में हैं। जैसे- अनु.-163(1)	(4) इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं हैं (कैबिनेट शब्द को 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनु.-352 के संदर्भ में जोड़ा गया)
(5) बैठक - महिने में एक बार	(5) बैठक - साप्ताहिक
(6) मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित हैं। (91 वें संविधान संशोधन-2003 द्वारा)	(6) मंत्रिमण्डल का आकार निर्धारित नहीं हैं।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

राजस्थान की वर्तमान मंत्रिपरिषद —

1 + 14 + 4 + 5 → 24 प्रथम बार

1 → CM व कैबिनेट मंत्री
14 → राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
4 → राज्य मंत्री
5 → राज्य मंत्री

NOTE- गठन के समय = २५ मंत्री

→ २ उपमुख्यमंत्री
- → दिया कुमारी (6 विभाग) — विद्याधरनगर, जयपुर
- → प्रेमचंद बैरवा (4 विभाग) — दूदू

→ मुख्यमंत्री के पास कुल विभाग → 8

→ मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है — सुरेन्द्रपाल सिंह टी.टी. (करणपुर)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री
- → दीया कुमारी (उपमुख्यमंत्री)
- → मंजू बाघमार (राज्य मंत्री)

(नागौर जिले की जायल (ST) सीट से विधायक)

→ वर्तमान मंत्रिपरिषद में उपमंत्री व संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं की गई है।

NOTE — संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद की गठना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए — यह अनुशंसा रामनारायण विश्नोई समिति द्वारा 2008 में की गई।

→ मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे के आदेश मंत्रिमण्डलीय सचिवालय जारी करता है।

CamScanner

→ छाया मंत्रिमण्डल (विपक्ष में अस्थायी कैबिनेट मंत्री) की शुरुआत 13वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री मति वसुन्धरा राजे द्वारा की गई।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

किचन कैबिनेट मंत्री — मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र मंत्री

संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा 4th विधानसभा में की गई (1967)

→ 164(1b) — एक MLA जो दल-बदल के मामले में दोषी पाया गया हो, मं बनने हेतु भी अयोग्य होगा। (अयोग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 192(2) द्वारा)

→ 164(2) → मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के/निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है।

→ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है।

→ 164(3) → मंत्रियों की शपथ राज्यपाल द्वारा

शपथ का प्रारूप — 3rd अनुसूची में

→ मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

→ 164(4) → एक व्यक्ति जो ना तो MLA हो, ना MLC मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है बशर्ते वह 6 माह में MLA या MLC चुना जाना चाहिए। (न्यूनतम आयु- 25 वर्ष)

→ 164(5) → मंत्रियों के वेतन/भत्ते — राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारण।
(दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट)

- मुख्यमंत्री = 75,000 ₹
- उपमुख्यमंत्री = 65,0000 ₹
- कैबिनेट मंत्री = 65,000 ₹
- राज्य मंत्री = 62,000 ₹
- उपमंत्री = 60,000 ₹

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

मुख्यमंत्री

संवैधानिक योग्यता – MLA के समान

(1) भारत का नागरिक हो

(2) न्यूनतम आयु – 25 वर्ष

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

अन्य योग्यता –

(1) दल में सकारात्मक छवि

(2) विधायकों की स्वीकार्यता

(3) जनता में लोकप्रियता

(4) चमत्कारीक व्यक्तित्व

(5) द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन से हो सकता है।

(6) दोनों सदनों से सदस्य नहीं होने की स्थिति में CM को 6 माह में सदस्य चुना जाना आवश्यक है।

- त्यागपत्र- राज्यपाल को संबोधित करके (लिखित व हस्ताक्षरित कर)
- CM के पद त्याग करते ही मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है।
- कार्यकाल- सरकार के प्रसादपर्यन्त विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास बने रहने तक।

CamScanner

कार्य व भूमिका –

(I) मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में –

- मंत्रियों का चयन करना ।
- मंत्रिपरिषद का आकार तय करना ।
- मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना ।
- मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना ।
- मंत्रियों के इस्तीफें स्वीकार करना ।
- राज्यपाल को मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश करना ।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी है ।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् की विभिन्न बैठकें बुलाता है।
- मंत्रिपरिषद के विवादों, घोटालों या कृत्यों हेतु जनसाधारण या प्रेस को सफाई देने का कार्य CM का होता है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(II) राज्य प्रशासन के मुखिया के रूप में –

- सामान्यतः मुख्यमंत्री निम्नलिखित विभागों का राजनीतिक प्रमुख होता है–
  - (i) कार्मिक विभाग
  - (ii) सामान्य प्रशासनिक विभाग
  - (iii) प्रशासनिक सुधार विभाग
  - (iv) आयोजना विभाग
- राज्य में विभिन्न प्रशासनिक सुधारों व नवाचारों को प्रोत्साहन देना।

CamScanner

उदा.- राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून, 2011
राजस्थान जन सुनवाई अधिकार Act. 2012
सम्पर्क पोर्टल।

- राज्य में कानून, शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना, जनसामान्य की समस्याओं का समाधान करना।
- राज्य के वार्षिक बजट का निरुपण करना तथा राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना।
- मुख्यमंत्री राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं पर नियंत्रण रखता है।
- मुख्यमंत्री निम्नलिखित विभागों / आयोग / परिषद का प्रमुख होता है—
  - → राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2005) —(SDMA)
  - → मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद
  - → जनजाति कल्याण सलाहकार परिषद्
- मुख्यमंत्री राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति व शपथ दिलाता है।
- लगभग 6.50 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

विधायी कार्य-

- राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना।
- मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों का पुर्वानुमोदन।
- राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

- विभिन्न आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखना उदा.- राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग।
- राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, योजनाओं, अभियानों में सदन में स्वयं का पक्ष रखना।
- CM सत्ताधारी दल का नेता, राज्य का नेता तथा राज्य के अधीन सैन्यबलों का राजनीतिक प्रमुख होता है।
- राज्यपाल को अभिभाषण तैयार करके देना।
- राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि तथा नियम बनाना।

(3) राज्यपाल के सलाहकार के रूप में —

- मुख्यमंत्री राज्यपाल को-

निम्नलिखित नियुक्तियों में सलाह प्रदान करता है —

(i) मंत्री
(ii) महाधिवक्ता
(iii) RPSC अध्यक्ष व सदस्य
(iv) मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
(v) राज्य निर्वाचन आयुक्त
(vi) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

- मुख्यमंत्री राज्यपाल को सदन के सत्राहूत व सत्रावसान की सिफारिश भी करता है।
- क्षमादान संबंधी मामलों में सलाह प्रदान करना - (161)
- राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करना।

CamScanner

- संविधान के अनुसार केवल उन कार्यों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है अन्य सब कार्यों में राज्यपाल को परामर्श देना CM का अधिकार व कर्त्तव्य है।

(4) मुख्यमंत्री के संवैधानिक कार्य — (अनु. - 167)

- राज्यपाल को विधायी व प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करना।
- राज्यपाल द्वारा माँगी गई प्रशासनिक व विधायी सूचनाएं उपलब्ध करवाना।
- मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय जो अभी मंत्रिपरिषद द्वारा विचारित नहीं किया गया हो, से संबंधित सूचना।

(5) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में —

मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निम्नलिखित मंच पर प्रतिनिधित्व करता है, जो निम्न प्रकार है —

(i) अंतरराज्यीय परिषद (1990 में गठन, Art. 263 में प्रावधान)

(ii) नीति आयोग

(iii) क्षेत्रीय परिषद

(iv) अंतरराज्यीय जल आयोग (Art. 262)

(v) राष्ट्रीय एकता परिषद

(vi) GST परिषद

(vii) प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

(6) समन्वयक के रूप में — मुख्यमंत्री निम्नलिखित के मध्य समन्वय स्थापित कर सकता है।

(i) विभागों के मध्य

(ii) मंत्रियों के मध्य

(iii) सचिवालय और निदेशालय के मध्य

(iv) विभिन्न सेवाओं के मध्य

(v) सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के मध्य

(vi) विभागों के सचिवों के मध्य

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134513, 7610010054

(7) राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में —

मुख्यमंत्री विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों पर सरकार की ओर से मीडिया के समक्ष राय रखता है।

जैसे — यूक्रेन संकट, मँहगाई, गरीबी आदि ।

(8) जनमत के निर्माता के रूप में — मुख्यमंत्री राज्य में जनता की विभिन्न मुद्दों पर राय बदलने का भी कार्य करता है,

जैसे • मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे — महिला सशक्तिकरण (सात सूत्री कार्यक्रम)

• श्री अशोक गहलोत — पानी बचाओ, बिजली बचाओ सबको पढाओ

• श्री मोहनलाल सुखाड़िया - राजस्थान में पंचायती राज के जनक

• श्री वी. एस शेखावत - अंत्योदय योजना।

CamScanner

मुख्यमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कारक —

- राजनीतिक दल को प्राप्त बहुमत
- मुख्यमंत्री की छवि
- मीडिया से मुख्यमंत्री के संबंध
- आलाकमान से संबंध
- केन्द्र में राजनीतिक दल समान हो
- राज्यपाल से संबंध
- प्रधानमंत्री से संबंध
- गठबंधन सरकार
- मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राज्य सरकार के कार्यविधि नियमों के अनुसार निम्नांकित कार्यों या प्रकरणों की स्वीकृति मुख्यमंत्री स्तर पर होना अनिवार्य है —

1. Art. 22(4) के अन्तर्गत गठित होने वाले 'परामर्शकारी बोर्ड' जो कि बिना ट्रायल व्यक्ति को बंदी बनाने के क्रम में गठित होते है।
2. मृत्युदण्ड से दण्डित व्यक्ति के लिए क्षमादान के प्रकरण
3. राजकीय वायुयानों तथा हैलिकॉप्टर का आवंटन।
4. वित्त विभाग के नियमों में परिवर्तन के मुद्दे।
5. सचिवों, विशिष्ट सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा विभागाध्यक्षों की नियुक्ति तथा पदस्थापन के प्रस्ताव।

CamScanner

6. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदस्थापन में मुख्य सचिव की टिप्पणी सहित मामले।

7. सेवानिवृति के बाद भी किसी राजपत्रित अधिकारी के कार्यकाल में वृद्धि करनी हो।

8. एक करोड़ ₹ से अधिक की सरकारी सम्पति का निस्तारण।

9. राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की राज्य में यात्रा के प्रकरण।

10. सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि को वापिस करने के मामले।

#गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियाँ –

- मंत्रियों का चयन
- मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना।
- मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- नीति निर्माण में आम सहमति विकसित करना। – राजनीतिक दलों में
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- राज्यपाल से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।
- मंत्रिपरिषद् की संस्चना या आकार तय करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य–

मुख्यमंत्री	विशिष्ट कार्य
श्री टीकाराम पालीवाल	भूमि सुधार
श्री जयनारायण व्यास	दस्यु आतंक उन्मूलन
श्री मोहनलाल सुखाड़िया	इंदिरा गांधी नहर एवं पंचायती राज संस्था
श्री भैरोसिंह शेखावत	अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना
श्री हरिदेव जोशी	माही बांध
श्री अशोक गहलोत	प्रशासनिक मितव्ययता, विद्युत सुधार, अतिक्रमण मुक्त अभियान, सूचना का अधिकार अधिनियम, सुनवाई का अधिकार, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम
श्रीमती वसुंधरा राजे	महिला सशक्तिकरण

राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल

क्र. सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949	05.01.1951	• वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना। • वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना (यहीं इनका समाधि स्थल है)। • 1947 में संविधान सभा के सदस्य चुने गए। • 1948 में जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • लोक सभा सदस्य रहे। • 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। • जयपुर राज्य प्रजामंडल के दो बार अध्यक्ष रहे। • आत्मकथा– 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' • लोकप्रिय गीत– 'प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः' • हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री राजस्थान की एकमात्र महिला जिन्हें पद्म श्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2.	श्री सी.एस. वेंकटाचारी	06.01.1951	26.04.1951	• उत्तर प्रदेश में नौकरशाह के बतौर सेवाएँ दी। • बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। • राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के सचिव रहे। • कनाड़ा में भारत के उच्चायुक्त रहे। • Witness to the Century नामक पुस्तक लिखी। • संविधान सभा के सदस्य रहे। • राजप्रमुख के सलाहकार भी रहे। • इनके कार्यकाल की अवधि मे ICS अधिकारियों का मंत्रिमण्डल कार्यरत रहा। Book- Witness to the Century
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951	03.03.1952	• 1948 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री बने। • राज्यसभा के 2 बार सदस्य चुने गए। • मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा चुनाव हार गए। • केंद्र द्वारा मनोनीत होने वाले तीसरे मुख्यमंत्री। • प्रथम विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में। • मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मन्त्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।

THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books ★ 7300134518, 7610010934

4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952	31.10.1952	• प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री • 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव में जयनारायण व्यास के हारने पर मुख्यमंत्री बने। • प्रथम आम चुनाव में 140 निर्वाचित क्षेत्रों से 160 सीटों पर चुनाव हुए (120 निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय, 20 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय) • जय नारायण व्यास की सरकार में मंत्री रहे। फिर मुख्यमंत्री बने। • 2 बार एम.एल.ए. एक बार लोक सभा (स्वतंत्र) सदस्य रहे। • राज्यसभा सदस्य भी रहे। • मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री रहे (ऐसे पहले व्यक्ति) • दो विधानसभा क्षेत्र मलारना चौड़ व महवा से विधायक रहे।
5.	श्री जयनारायण व्यास	01.11.1952	12.11.1954	• 'किशनगढ़' के उपचुनाव में जीतने पर पुनः मुख्यमंत्री बने (1 नवम्बर 1952)
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.11.1954 13.04.1957 12.03.1962 26.04.1967	11.04.1957 11.03.1962 13.03.1967 08.07.1971	• मुम्बई की छात्र राजनीति में रहते हुए अंग्रेजों का विरोध किया। • मेवाड़ प्रजामण्डल में शामिल हुए। नाथद्वारा निवासी। क्रिकेट खिलाड़ी थे। • राजस्थान संघ के समय सिंचाई व श्रम मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास सरकार में राजस्व, सिंचाई व श्रम जैसे विभागों में मंत्री रहे। • जयनारायण व्यास द्वारा 'राम राज्य परिषद' को कांग्रेस में शामिल करने का विरोध हुआ। जिसके बाद हुए विश्वास मत में मोहनलाल सुखाड़िया ने जयनारायण व्यास को 8 मतों से हराया एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम–1959 इनके समय में पारित हुआ। • तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। • इन्हें "आधुनिक राजस्थान का निर्माता" भी कहा जाता है। • 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। जो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। • पंचायती राज व्यवस्था– 1959 शुरु की। नागौर के बगदरी गांव में शुभारंभ हुआ। • सर्वाधिक अवधि के लिए व सर्वाधिक चार बार मुख्यमंत्री रहे। • इनके कार्यकाल में पहली महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल बनी। • 1962 में 1949 से शुरु की गई संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर चालू हुई। • मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक विधानसभाओं का सामना करने वाले नेता रहे। • स्वतंत्रता पश्चात् किसी राज्य में सत्तारुढ़ दल के विधायक दल के नेता पद के लिए पहला मुकाबला राजस्थान में 06 नवम्बर 1954 में रहा जिसमें मोहन लाल सुखाड़िया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को हराया।
7.	श्री बरकतुल्लाह खान	09.07.1971	11.10.1973	• जोधपुर निवासी बरकतुल्लाह खान की 11 अक्टूबर 1973 को हार्ट अटैक से उनके कार्यालय में मृत्यु हुई। • 1971 के भारत–पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे।
8.	श्री हरिदेव जोशी	11.10.1973	29.04.1977	• बांसवाड़ा से लगातार 8 बार विधायक। • असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। • इनके नाम पर जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054
Springboard

CamScanner

				• सम्पूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो प्रथम दस विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। • देश में लगे आपातकाल (1975) के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। • तीन बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। • विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे। • विधानसभा में सती प्रथा विरोधी कानून पास करवाया। • इनके कार्यकाल में सरिस्का में केंद्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी।
9.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06.1977	16.02.1980	• 8 वें मुख्यमंत्री। • उपराष्ट्रपति रहे। • मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे। • 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी। • 2002 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुशील कुमार शिंदे को हराया • 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हारे। • 2 बार विपक्ष के नेता रहे। • पहली बार जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। • राजस्थान पुलिस में निरीक्षक पद पर कार्य किया। • दस बार विधायक रहे। • इनके कार्यकाल में पहली बार विधानसभा समय से पहले भंग की गई। • राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। • प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य थे, फिर कोर्ट छबड़ा से चुनाव लड़ा। • राज्य के प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री। • पद्म विभूषण से सम्मानित।
10.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया	06.06.1980	13.07.1981	• हरियाणा व बिहार के राज्यपाल रहे। • 4 बार लोक सभा सदस्य रहे एवं राज्यसभा सदस्य भी रहे। • राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री। • 25 वर्ष तीन महीने की आयु में पहली बार सांसद चुने गए। द्वितीय लोकसभा में सबसे युवा सांसद बने। • इनकी पत्नी श्रीमती शांति पहाड़िया भी लोकसभा सदस्या रही। • राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू की। • कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। • जब मुख्यमंत्री बने उस समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे बल्कि बयाना से लोकसभा सदस्य व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में वित्त राज्य मंत्री थे।
11.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981	23.02.1985	• जन्म– मध्य प्रदेश • असम के राज्यपाल रहे। • लोकसभा सदस्य रहे। • राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। • विधानसभा चुनाव के दौरान डीग विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार श्री मानसिंह की पुलिस की गोली लगने से मृत्यु होने के बाद माथुर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा।
12.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985	10.03.1985	• मुख्यमंत्री के रूप में न्यूनतम कार्यकाल। • विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। • मुख्यमंत्री रहते हुए कभी विधानसभा नहीं गए।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300194518, 7610010054

Springboard

CamScanner

13.	श्री हरिदेव जोशी	10.03.1985	20.01.1988	• 1987 में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरु किया।
14.	श्री शिवचरण माथुर	20.01.1988	04.12.1989	
15.	श्री हरिदेव जोशी	04.12.1989	04.03.1990	
16.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.03.1990 04.12.1993	15.12.1992 01.12.1998	• अपनी सरकार बचाने के लिए 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल किए।
17.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998	08.12.2003	• 3 बार मुख्यमंत्री। • सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे। • AICC के महासचिव रहे। • केन्द्र सरकार में पर्यटन, नागरिक उड्डयन, खेल और टैक्सटाइल मंत्री रहे। • 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। • 6 बार विधायक रहे (1999 से लगातार) • NSUI के अध्यक्ष रहे। • राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। • इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के मंत्रिपरिषद में मंत्री रहे। • शिवचरण माथुर की सरकार में गृहमंत्री रहे। • लोकसभा सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
18.	श्रीमती वसुंधरा राजे	08.12.2003	13.12.2008	• केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री रही। • 6 बार विधानसभा सदस्या और 5 बार लोकसभा सदस्या रही। • केंद्र सरकार में लघु उद्योग, कार्मिक, प्रशिक्षण, पेंशन प्रशासनिक सुधार, परमाणु ऊर्जा की राज्य मंत्री रही। • अंतरिक्ष विभाग का स्वतंत्र प्रभार संभाला। • राजस्थान प्रदेश भाजपा की अध्यक्षा रही। • राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता रही। • वर्तमान में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। • 2003 से लगातार विधायक रही। 1985–90 में भी विधायक रही। • राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला।
19.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008	13.12.2013	
20.	श्रीमती वसुंधरा राजे	13.12.2013	16.12.2018	
21.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018	15.12.2023	
22.	श्री भजन लाल शर्मा	15.12.2023	लगातार	• व्यक्तिगत रूप से 14वें। भरतपुर के अटारी गाँव के निवासी। • सांगानेर विधानसभा क्षेत्र (जयपुर) से निर्वाचित।

THE NOTES HUB * Notes are Available * All Competition Books * 7300134518, 7610010654

महत्वपूर्ण तथ्य –

पहली विधानसभा में टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे।

चौथी विधानसभा (मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान) पांचवीं विधानसभा (बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी) आठवीं विधानसभा (हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर) इन विधानसभाओं में दो–दो मुख्यमंत्री रहे।

7वीं विधानसभा में जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा एवं शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे।

1990 या 9वीं विधानसभा से सभी विधानसभा में एक ही मुख्यमंत्री रहे।

सबसे ज्यादा 13 सत्र 5वीं विधानसभा में हुए।

सबसे कम 6 सत्र 6वीं विधानसभा में हुए।

CamScanner

सबसे ज्यादा 306 बैठक दूसरी विधानसभा में हुई।
सबसे कम 95 बैठक 9वीं विधानसभा में हुई।
सबसे ज्यादा काम (1665.57 घंटे) दूसरी विधानसभा में हुआ।
सबसे कम काम (691.52 घंटे) 9वीं विधानसभा में हुआ।

राजस्थान विधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व:– पहला आम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुआ जिसमें चार महिलाओं ने भाग लिया चारों ही चुनाव हार गईं। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952–57 की अवधि में उप चुनाव संपन्न हुए जिसमें बांसवाड़ा (सामान्य) की विधानसभा से 1953 में यशोदा देवी निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित होकर आई। प्रथम विधानसभा में उप चुनाव में दूसरी महिला श्रीमती कमला बेनीवाल थी जो 1954 में विधायक निर्वाचित हुई। सबसे ज्यादा महिलाओं ने 2018 के चुनाव में भाग लिया।

सबसे ज्यादा महिला विधायक 2008 (28) व 2013(28) थीं।

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री – हीरालाल शास्त्री
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक कार्यकाल – मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष)
- न्यूनतम कार्यकाल – हीरालाल देवपुरा (16 दिन)
- प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- पहली महिला मुख्यमंत्री – वसुंधरा राजे
- भारत पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री – बरकतुल्लाह खान (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री – हरिदेव जोशी
- प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री – जगन्नाथ पहाड़ियाँ
- वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे – हरिदेव जोशी एवं मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाडिया।
- मुख्यमंत्री जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे – शिवचरण माथुर
- वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व विधायक नहीं थे – जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत
- मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा दो बार शपथ दिलायी गयी – मोहनलाल सुखाड़िया (गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा)
- वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य भी रहे – जयनारायण व्यास, भैरोंसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाडिया, टीकाराम पालीवाल
- वे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे – हीरालाल शास्त्री, श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, जगन्नाथ पहाडिया, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर
- वह मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हीरालाल देवपुरा
- वह मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री भी रहे – श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत
- वह मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री भी रहे – टीकाराम पालीवाल
- सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री जिस मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहे – अशोक गहलोत
- राजस्थान के प्रथम गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री – भैरोंसिंह शेखावत
- राजस्थान के केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री – टीकाराम पालीवाल
- मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे – भैरोंसिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे
- **एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति –**
  1. श्री मोहन लाल सुखाड़िया (4 बार), 2. श्री हरिदेव जोशी (3 बार), 3. श्री भैरोंसिंह शेखावत (3 बार), 4. श्री अशोक गहलोत (3 बार), 5. श्री शिवचरण माथुर (2 बार), 6. श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार), 7. श्री जयनारायण व्यास (2 बार)
- दूसरी विधानसभा में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था।
- सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष (तीन) 6, 12, 13वीं विधानसभा में रहे।
- नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह, परसराम मदेरणा दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी रहे।
- राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं– हीरालाल शास्त्री, सी.एम. वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास
- राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने जीवनकाल में किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे – टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, बरकतुल्लाह खान, भैरोंसिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा

THE NOTES HUB All Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

➢ राज्य के मुख्यमंत्री जो किसी राज्य में राज्यपाल रहे – मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया

➢ 2023 16वीं विधानसभा – 20 महिला विधायक, नेता प्रतिपक्ष – टीकाराम जुली।

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री (गैर संवैधानिक पद)

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	दल	मुख्यमंत्री	विशेष विवरण
1.	टीकाराम पालीवाल	1 नवम्बर 1952 से 13 नवम्बर 1954	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	जय नारायण व्यास	
2.	हरिशंकर भाभड़ा	4 दिसम्बर 1993 से 30 नवम्बर 1998	भारतीय जनता पार्टी	भैरोंसिंह शेखावत	• उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे। • हरिशंकर भाभडा राजस्थान विधानसभा के चूरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा से विधायक रहे। • निधन :– 25 जनवरी, 2024
3.	बनवारीलाल बैरवा	19 मई 2002 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• टोंक (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से संसद सदस्य थे। न्यूनतम कार्यकाल रहा।
4.	कमला बेनीवाल	12 जनवरी 2003 से 4 दिसम्बर 2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	अशोक गहलोत	• त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही। • पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें ताम्र–पत्र से सम्मानित किया। • किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। • गृह, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मंत्री रही। • राजस्व मंत्री व कैबिनेट मंत्री रही। • महासचिव, राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर। • इफको द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ सहकारी पुरस्कार प्राप्तकर्ता (1994–95)। • 1954 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजस्थान सरकार में पहली महिला मंत्री बनी। • 15 मई 2024 को निधन।
5.	सचिन पायलट	24 दिसम्बर 2018 से 14 जुलाई 2020	भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस	अशोक गहलोत	• 15वीं लोकसभा के मंत्रिमण्डल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे।
6.	दीया कुमारी	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• राजसमन्द से लोकसभा सांसद रही। (2019 – 2023) • सवाईमाधोपुर से विधायक थी। (2013 – 2018) • इन्हें राजस्थान सरकार द्वारा "सेव द गर्ल चाइल्ड" के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था।
7.	प्रेमचन्द बैरवा	15 दिसम्बर 2023 से लगातार	भारतीय जनता पार्टी	भजन लाल शर्मा	• 2013 के बाद 2023 में दूसरी बार दूदू सीट से विधायक बने।

❖ उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का उल्लेख नहीं है।

THE NOTES HUB ☆ Notes are Available ☆ All Competition Books ☆ 7300134518, 7610010054
Springboard Academy

CamScanner

- ✓ राजस्थान में अब तक उपमुख्यमंत्री – 7
- ✓ राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री – श्रीमती कमला बेनीवाल
- ✓ राजस्थान के एक मात्र उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे – हरिशंकर भामड़ा
- ✓ उपमुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल – हरिशंकर भामड़ा
- ✓ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय उपमुख्यमंत्री रहे – बनवारी लाल बैरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल एवं सचिन पायलट

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन

क्र.स.	राष्ट्रपति शासन	कारण	राज्यपाल	मुख्यमंत्री
1.	13 मार्च 1967 – 26 अप्रैल 1967 (सबसे कम समय 42 दिन)	स्पष्ट बहुमत नहीं मिला	डॉ. संपूर्णानन्द सरदार हुकुमसिंह	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
2.	30 अप्रैल 1977 – 21 जून 1977	केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था	श्री वेदपाल त्यागी श्री रघुकुल तिलक	श्री हरिदेव जोशी
3.	17 फरवरी 1980 – 5 जून 1980	केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया।	श्री रघुकुल तिलक	श्री भैरोंसिंह शेखावत
4.	15 दिसम्बर 1992 – 3 दिसम्बर 1993 तक (सर्वाधिक समय तक)	बाबरी मस्जिद ढहा दिए जाने के कारण	डॉ. एन चेन्ना रेड्डी धनिकलाल मण्डल बलिराम भगत	श्री भैरोंसिंह शेखावत

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

राज्यविधानमण्डल

(Art – 168)

राज्यपाल	विधानसभा	विधानपरिषद
(Art – 153)	(Art – 170)	(Art – 169)
	अधिकतम – 500 MLA	न्यूनतम – 40
	न्यूनतम – 60 MLA	विधानसभा की 1/3

द्विसदनात्मक व्यवस्था –

1) महाराष्ट्र
2) उत्तर प्रदेश
3) बिहार
4) कर्नाटक
5) तेंलगाना
6) आंध्रप्रदेश

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

Trick

TU BHI MJA KAR

तेंलगाना UP महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक

NOTE – 2019 में जम्मू-कश्मीर की विधानपरिषद को समाप्त कर दिया

राजस्थान – राज्यपाल + विधानसभा

CamScanner

राजस्थान विधानसभा की संरचना —

अधिकतम — 500 MLA

न्यूनतम — 60 MLA

NOTE → 1952 में विधानसभा सदस्य / विधानसभा क्षेत्र — 160
(1st चुनाव)

→ 1956 में (अजमेर के विलय पर) — 190 (160+30)

→ 2nd और 3rd विधानसभा — 176

→ 4th और 5th विधानसभा — 184

→ 6th विधानसभा (1977) — 200

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

वर्तमान विधानसभा क्षेत्र — 200
आधार वर्ष — 1971 की जनसंख्या

* विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2026 तक स्थिर रहेगी — 84 वे संविधान संशोधन 2002 द्वारा

* **विधानसभा में आरक्षण** — (Art — 332)

* राजस्थान में — कुल आरक्षित सीटें — 59 (34 SC + 25 ST)

NOTE → बांसवाड़ा (5), डूँगरपुर (1), प्रतापगढ़ (2) → सभी सीटें ST के लिए आरक्षित

CamScanner

NOTE → एक जिले में अनुसूचित जाति (SC) की सर्वाधिक आरक्षित सीट – जयपुर (3)

NOTE → राजसमंद, जैसलमेर → सभी सीटें अनारक्षित हैं।

NOTE → विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता – झोटवाड़ा (जयपुर)
विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदाता – बसेड़ी (धौलपुर)

✱ Anglo Indian हेतु आरक्षण – अनु. 333

→ विधानसभा में 1 सीट Anglo Indian हेतु आरक्षित थी जिसे 104 वें संविधान संशोधन 2019 को समाप्त कर दिया।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

कार्यकाल – 5 वर्ष

सत्र – 2 (संवैधानिक प्रावधान)

राजस्थान में – 3 सत्र

- बजट सत्र
- मानसून सत्र
- शीतकालीन सत्र

न्यूनतम 60 बैठकें अनिवार्य है।

शपथ → राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति (प्रोटेम स्पीकर) (Art – 188)

NOTE → वर्तमान प्रोटेम स्पीकर → श्री कालीचरण सर्राफ

3 बार प्रोटेम स्पीकर → श्री पुनमचंद बिश्नोई (10 वीं विधानसभा)
(विधानसभा अध्यक्ष भी)

प्रथम प्रोटेम स्पीकर → महारावल संग्राम सिंह

CM जो प्रोटेम स्पीकर → श्री भैरोसिंह शेखावत

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

योग्यता – अनु. 173

→ (1) भारत का नागरिक हो
→ (2) न्यूनतम आयु – 25 वर्ष
→ (3) अन्य योग्यताएँ जिनका निर्धारण संसद द्वारा किया गया हो।

अयोग्यता (अनु. 191)

→ यदि सदस्य 60 दिवस तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित हो (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा)
→ दल-बदल के मामलों में – विधानसभा अध्यक्ष द्वारा (अनु. 191(2))
→ दिवालियापन
→ न्यायालय द्वारा दोषी
→ अन्य अयोग्यताएँ जिनका निर्धारण संसद द्वारा किया गया हो।

विधानसभा के पदाधिकारी –

(1) विधानसभा अध्यक्ष – (अनु. 178)

CamScanner

निर्वाचन की तिथि – राज्यपाल द्वारा तय की जाती है।

चयन – विधानसभा सदस्यों या MLA द्वारा

निर्वाचन की पद्धति – साधारण बहुमत

इस्तीफा – उपाध्यक्ष को
या
विधानसभा सचिव

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

वेतन/भत्ते – राज्यविधानमण्डल द्वारा निर्धारित – 70,000 रु.

निष्कासन – साधारण बहुमत द्वारा

[इस प्रकार का प्रस्ताव न्यूनतम 1/5 सदस्यों (40) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए]

NOTE→

→ अध्यक्ष को निष्कासित करने हेतु लाए गए प्रस्ताव – 6

(1) नरोत्तम लाल जोशी – 3

(2) निरंजन देव आचार्य – 1

(3) गिरीराज प्रसाद – 1

(4) शान्तिलाल चपलोत – 1

शपथ – प्रावधान नहीं

कार्यकाल – 5 वर्ष (नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक)

CamScanner

कार्य –

(1) धन विधेयक के मामलों में निर्णय लेना ।

(2) विधानसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि तय करना ।

(3) विधानसभा की 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है ।

- कार्य सलाहकार समिति / मंत्रणा समिति
- नियम समिति
- सामान्य उद्देश्य समिति

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

उपाध्यक्ष –

निर्वाचन की तिथि — विधानसभा अध्यक्ष द्वारा

कार्यकाल — 5 वर्ष

इस्तीफा — अध्यक्ष को

NOTE → वर्तमान विधानसभा (16 वीं) में उपाध्यक्ष का चयन नहीं किया गया है ।

(3) विधानसभा सचिव —

→ यह विधानसभा सचिवालय (Art-187) का प्रशासनिक प्रमुख होता है ।

→ सचिव 21 दिन पूर्व विधानसभा की बैठक की सूचना MLA को देता है ।

वर्तमान सचिव – महावीर प्रसाद शर्मा

विधानसभा के कार्य –

(i) विधायी कार्य – यह राज्य व समवर्ती सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का कार्य करती है।

NOTE → विधानपरिषद सामान्य विधेयक को केवल 4 महिने तक रोक सकती हैं। (3 महीने + 1 महीना)

NOTE → विधानसभा में निजी विधेयक – 4 पास हो चुके है।

प्रथम विधानसभा – 2 (द लीगल प्रेक्टीशनर एक्ट – 1952)
राजस्थान पशु संरक्षण अधिनियम - 1954

दूसरा विधानसभा – 1. राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम – 1958

पांचवी विधानसभा – 1. राजस्थान पशु व पक्षी बलि प्रतिषेध अधिनियम - 1973

[अंतिम बिल – राजस्थान पक्षी व पशु बलि रोक अधिनियम – 1974]

→ अधिकतम निजी विधेयक तीसरी विधानसभा में रखे गए – 16

(ii) वित्तीय शक्तियाँ –

→ धन विधेयक का निर्धारण

NOTE – विधानपरिषद धन विधेयक को केवल 14 दिवस तक रोक सकती है।

(iii) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण –

(i) मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण के विभिन्न तरीके –

- प्रश्न काल
- शून्य काल
- आधे घंटे की बहस

→ प्रश्न पूछ कर

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(ii) विभिन्न प्रस्ताव —

- ध्यान आकर्षण
- कार्यस्थगन / काम रोको प्रस्ताव
- निन्दा प्रस्ताव
- अविश्वास प्रस्ताव – सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है – विपक्ष द्वारा
  - ↓
  - प्रावधान – नियम – 132

* राजस्थान में कुल अविश्वास प्रस्ताव – 13
* प्रथम अविश्वास प्रस्ताव – मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया (1952)
  - → इन्द्रनाथ मोदी (निर्दलीय MLA)
* अंतिम अविश्वास प्रस्ताव – मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया (1985)
  - → भैरोसिंह शेखावत
  - → नाथूराम मिर्धा
  - → प्रो. केदार
  - → शीपत सिंह
  - } – के द्वारा

→ मोहनलाल सुखाड़िया → 6 बार (अधिकतम 5-3 विधानसभा में)

→ हरिदेव जोशी → 2

→ भैरोसिंह शेखावत → 2

→ बरकतुल्ला खाँ → 1

→ टीकाराम पालीवाल → 1

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

→ जगन्नाथ पहाड़िया → 1

विश्वास प्रस्ताव – नियम – 132A (सदैव मुख्यमंत्री द्वारा लाया जाएगा)

1990 – 2 बार → CM भैरोसिंह शेखावत द्वारा (9 वीं विधानसभा)

1993 – 1 बार → CM भैरोसिंह शेखावत द्वारा (10 वीं विधानसभा)

2009 – 1 बार → CM अशोक गहलोत द्वारा (13 वीं विधानसभा)

2020 – 1 बार → CM अशोक गहलोत द्वारा (15 वीं विधानसभा)

* यदि दोनों प्रस्ताव साथ जाए तो सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

विधानसभा की समितियाँ — (कुल – 25 → वर्तमान 16 वीं विधानसभा में)

सामान्यतः 22 समितियाँ होती है।

सामान्य समिति (21)

→ समिति के अध्यक्ष – विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति द्वारा

→ कार्यकाल – 1 वर्ष

[अपवाद – महिला एवं बाल विकास समिति – 2 वर्ष]

→ गणपूर्ति – 1/3

→ समितियों की अधिकतम संरचना – 15

→ अपवाद → सदाचार समिति – 10 से कम
→ पुस्तकालय समिति

वित्तीय समिति (4)

→ लोकलेखा समिति — कार्यकाल संरचना → 1 वर्ष — 1+14

→ प्राक्कलन समिति A → 1 वर्ष — 1+14

→ प्राक्कलन समिति B → 1 वर्ष — 1+14

→ लोक उपक्रमों की समिति → 1 वर्ष — 1+14

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

* अध्यक्ष की नियुक्ति – विधानसभा अध्यक्ष द्वारा

→ विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल – 6 माह तक बढ़ा सकता है।

→ अध्यक्ष 3 समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है ⟶ (1) कार्य सलाहकर समिति
(2) नियम समिति
(3) सामान्य उद्देश्य समिति

⟶ मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है।

[अपवाद – कार्य सलाहकर समिति]

→ श्री जोगाराम पटेल → संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री
→ जोगेश्वर गर्ग – मुख्य सचेतक

NOTE – कार्य सलाहकर समिति → राज्यपाल के अभिभाषण का दिन व समय निर्धारित करती है।

→ यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य है तो वे समिति के अध्यक्ष होगें।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

विधानपरिषद

प्रावधान – अनुच्छेद 169

गठन की प्रक्रिया – सर्वप्रथम विधेयक विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा ।

↓

संसद द्वारा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा ।

NOTE– विधानपरिषद – समाप्त की जा सकती हैं
भंग नहीं की जा सकती हैं
राज्य सभा – भंग / समाप्त X

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

संरचना (अनुच्छेद – 171)

अधिकतम सदस्य – विधायकों का 1/3 (66) (7 वाँ संविधान संशोधन)

न्यूनतम सदस्य – 40

निर्वाचन प्रक्रिया –

1/3 MLC – MLA
1/3 MLC – स्थानीय शहरी निकायों द्वारा
1/12 MLC – अध्यापकों द्वारा [माध्यमिक व उच्च माध्यमिक द्वारा]
1/12 MLC – स्नातक 3 वर्ष पूर्व
1/6 MLC – राज्यपाल द्वारा [171(5)]
[साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा]

MAHESH PUBLICATIONS

राजस्थान में विधानपरिषद — → C.M वसुंधरा राजे

→ यह प्रस्ताव मंत्रिमण्डल द्वारा पारित किया गया — 11 Dec.2008

→ यह प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा से पारित हुआ — 18 अप्रैल 2012

→ यह प्रस्ताव राज्यसभा में रखा गया — 6 Aug.2013

[नाम — राजस्थान विधानपरिषद विधेयक - 2013]

THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books 7300134518, 7610010054

→ पारित नहीं हुआ इसलिए विधानपरिषद नहीं है।

→ शांताराम नायक समिति- राज्यों में विधानपरिषद के गठन हेतु मानक तय करने हेतु।

विधानसभा के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य—

→ संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा (निम्न सदन) में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते है।

→ अपवाद- सिक्किम, गोवा जैसे कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 30 है।

→ जयपुर महाराजा मानसिंह -II द्वारा सितम्बर 1945 में जयपुर राज्य में द्विसदनीय विधानमण्डल का गठन किया गया था, जिसका एक सदन धारा सभा व दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा था।

→ प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव हुए - 4 से 24 जनवरी 1952 (160 सीट)

- गठन - 29 Feb. 1952
- प्रथम बैठक - 29 मार्च 1952 (सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर)

CamScanner

- कालान्तर में इसी लाउन्ज हॉल को विधानसभा नाम दिया।
- प्रथम अध्यक्ष-नरोत्तम लाल जोशी (झुंझुनूं से निर्वाचित)
- प्रथम उपाध्यक्ष- लालसिंह शक्तावत

↳ राजस्थान गठन के समय अजमेर-मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण यहाँ ३० सदस्यीय पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे।

↳ १२ वीं विधानसभा में २००३ में पहली बार सम्पूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया गया।

जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

↳ राज्य की पहली विधानसभा के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दो विधानसभा क्षेत्रों (जोधपुर 'बी' व जालौर 'ए') से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटों से हार गए।

↳ सर्वाधिक विधानसभा सीटें (सदस्य) जयपुर जिले से १७ एवं अलवर से ११ है।

↳ १५ वीं विधानसभा चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'मैंडेटरी वैरीफिकेशन पद्धति' को लागू किया गया।
(गुजरात व H.P चुनावों में पहले ही इसका प्रयोग हो चुका है)

↳ राज्य में पहली बार १४ वीं विधानसभा चुनाव २०१३ में EVM में नोटा बटन की व्यवस्था की गई।
(EVM का अन्तिम बटन- रंग गुलाबी)

CamScanner

- राज्य में पहली बार 14 वीं विधानसभा चुनाव 2013 में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए वोटर स्लिप का वितरण किया गया जिसे मतदान के लिए वोटर आईडी की तरह ही मान्यता थी।
- 15 वीं विधानसभा में सर्वाधिक बैठकें - 144 (3 वीं विधानसभा से लेकर अब तक)

राज्य विधानमण्डल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद-

- 332(A) → महिला आरक्षण 1/3 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) 106 वे C.A. द्वारा।
- 172 → राज्यों के विधानमण्डलों की अवधि
- 177 → सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार -
  - विधानसभा व विधानपरिषद् की कार्यवाही एवं समितियों (जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है) में भाग ले सकता है परन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राज्य विधानमण्डल के अधिकारी-

- 179 → अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना।
- 180 → अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति।
- 181 → जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।

CamScanner

↳ 186 → अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते - राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नियत करेगा।

↳ 187 → राज्य के विधानमण्डल का सचिवालय

↳ 193 → 500 ₹ का जुर्माना प्रतिदिन (यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधानपरिषद् का सदस्य नहीं है तथा इनकी कार्यवाही में भाग लेता है तो)

↳ 194 → विधानमण्डलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ या विशेषाधिकार।

↳ 195 → विधानसभा और विधानपरिषद् के सदस्यों के वेतन भत्ते।

विधायी प्रक्रिया-

↳ 196 (1) → धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधानपरिषद् वाले राज्य के विधानमण्डल के किसी भी सदन में आरम्भ हो सकेगा।

↳ 199 → धन विधेयक की परिभाषा

वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

↳ 204 → विनियोग विधेयक

↳ 206 → लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान

CamScanner

साधारणतः प्रक्रिया-

→ 184 → सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रुप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति।

→ 185 → जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना।

→ 208 (1) - राज्य के विधानमण्डल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

→ 209 → राज्य के विधानमण्डल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा क्रियान्वयन।

→ 210(1) → विधानमण्डलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। (Art.- 348 के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी)

→ 212 → न्यायलयों द्वारा विधानमण्डल की कार्यवाहियों की जाँच न करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	श्री नरोत्तम लाल जोशी (पहली विधानसभा)	31.03.1952	25.04.1957	• राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष और झुंझुनूं से कांग्रेस के विधायक रहे। • भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार व सांमती शोषण के विरुद्ध प्रजामण्डल आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका।
2.	श्री रामनिवास मिर्धा (दूसरी, तीसरी विधानसभा)	25.04.1957	03.05.1967	• विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। • भारत सरकार के केबिनेट मंत्री रहे (विदेशमंत्री) • यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य व इंडियन हेरिटेज सोसाइटी अध्यक्ष • राज्यसभा के उपसभापति (1977 - 80) • राजस्थान सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे • कृषि, सिंचाई और परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार (1954 - 1957) • प्रतिभूति एवं बैकिंग लेनदेन 1992 में अनियमितताओं की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष
3.	श्री निरंजननाथ आचार्य (चौथी विधानसभा)	03.05.1967	20.03.1972	• इनके समय राज्यमंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था प्रारंभ की गई • दल :- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस • इनके समय प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा।
4.	श्री रामकिशोर व्यास (पाँचवी विधानसभा)	20.03.1972	18.07.1977	• स्वतंत्रता सेनानी। • पुदुचेरी के उपराज्यपाल (1980) • राजस्थान के गृहमंत्री • इनके समय राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। • जयपुर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु (16 अप्रैल, 1981)
5.	श्री लक्ष्मण सिंह (छठी विधानसभा)	18.07.1977	20.06.1979	• डूँगरपुर रियासत के अंतिम शासक • राज्यसभा के पूर्व सांसद • इनके समय राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। • चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति के सदस्य • चित्तौड़ के विधायक के रूप में अध्यक्ष बने। • **सम्मान :** **नाइट कमांडर ऑफ व ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इण्डिया (1935)** **भारतीय स्वतंत्रता पदक (1947)**
6.	श्री गोपाल सिंह (छठी विधानसभा)	25.09.1979	07.07.1980	• अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे • दो बार जालौर जिले के आहोर से विधायक रहे • दल :- जनता पार्टी • इनके समय राज्य में पहली बार विधानसभा समय से पूर्व भंग कर दी गई

Springboard ACADEMY
THE NOTES HUB All Competition Books Notes are Available 7300134518, 7610018054

CamScanner

7.	श्री पूनमचन्द विश्नोई (सातवीं विधानसभा)	07.07. 1980	20.03.1985	• भीनमाल, फलोदी और लूनी से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए • राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष और राजस्थान सरकार में केबिनेट मंत्री • संसदीय सचिव राजस्थान सरकार
8.	श्री हीरा लाल देवपुरा (आठवीं विधानसभा)	20.03. 1985	16.10. 1985	• राजस्थान के मुख्यमंत्री। • उदयपुर संभाग के कुम्भलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। • राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे
9.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी (आठवीं विधानसभा)	31.01. 1986	11.03. 1990	---
10.	श्री हरि शंकर भाभड़ा (नौवीं, दसवीं विधानसभा)	16.03. 1990 30.02.1993	21.12. 1993 05.10.1994	• दो बार विधानसभा अध्यक्ष। • इनके समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा (बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण) • निवासी :– डीडवाना (नागौर) • राजस्थान के उपमुख्यमंत्री रहे। • राजस्थान सरकार में आर्थिक नीति और सुधार परिषद के उपाध्यक्ष रहे • निधन :– 25 जनवरी, 2024 • दल :– भारतीय जनता पार्टी • समय से पूर्व विधानसभा भंग तथा दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए
11.	श्री शांति लाल चपलोत (दसवीं विधानसभा)	07.04. 1995	18.03. 1998	• उदयपुर जिले के मावली से पांच बार विधायक रहे • उदयपुर से 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे • 2008 में "सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार" से सम्मानित • दल :– भारतीय जनता पार्टी
12.	श्री समरथलाल मीणा (दसवीं विधानसभा)	24.07. 1998	04.01. 1999	• अलवर जिले के राजगढ़ से पांच बार विधायक रहे • दल :– भारतीय जनता पार्टी
13.	श्री परसराम मदेरणा (ग्यारहवीं विधानसभा)	06.01. 1999	15.01. 2004	• 9बार विधानसभा के सदस्य रहे • राजस्थान विधानसभा में तीन बार विपक्ष के नेता रहे • लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्य। • केन्द्रीय सहकारी बैंक, अधीनस्थ विधान समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष रहे • इनके समय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत (पहली बार 153 सीट) के साथ जीत कर आयी। पहली बार किसी एक दल को तीन चौथाई बहुमत प्राप्त हुआ
14.	श्रीमती सुमित्रा सिंह (बारहवीं विधानसभा)	16.01. 2004	01.01. 2009	• राजस्थान में अध्यक्ष का पद संभालने वाली पहली महिला • दल :– भारतीय जनता पार्टी
15.	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (तेरहवीं विधानसभा)	22.01. 2009	20.01. 2014	• किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। 96 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बडा दल • अशोक गहलोत निर्दलीयों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। बाद में बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस मे शामिल हो जाने पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत 102 सीटे प्राप्त हो गया • दल :– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054
Springboard Academy

16.	श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (चौदहवी विधानसभा)	22.01. 2014	15.01. 2019	• प्रजा सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सचिव • भारत सरकार के पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष • सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री थे (2003 - 2004) • गृहमंत्री राजस्थान सरकार • राजस्थान विधानसभा के सदस्य (6 बार) व उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष • उदयपुर विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य थे
17.	श्री सी.पी. जोशी (पन्द्रहवीं विधानसभा)	15.01. 2019	20.12. 2023	• नाथद्वारा राजस्थान से 5 बार विधायक व राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। • 15वीं लोकसभा में भीलवाड़ा से सांसद थे। • उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, रेलमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (केन्द्र सरकार)
18.	श्री वासुदेव देवनानी (सोलहवीं विधानसभा) (व्यक्तिगत रूप से 17वें)	21.12. 2023	निरन्तर	• अजमेर उत्तर में विधायक • राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले सिंधी है • भूतपूर्व शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार व राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (राज्य सरकार)

निजी विधेयक जो विधानसभा में लाए गए

विधानसभा	निजी विधेयक की संख्या	स्वीकृत विधेयक
पहली	9	2 (सर्वाधिक)
दूसरी	8	1
तीसरी	10 (सर्वाधिक)	–
चौथी	5	–
पांचवीं	4	1
छठी	4	–
सातवीं	5	–
आठवीं	0	–
नवीं	3	–
दसवीं	1	–
ग्यारहवी	1	–
बारहवीं	1	–
तेरहवीं – पंद्रहवी	0	–

Springboard
THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश व स्वीकृत विधेयक –

(दिनांक 04.09.2014 से 08.10.2023 तक प्रकरणों की स्थिति)

वर्ष	अध्यादेश	विधेयक
2014	2	5
2015	7	40
2016	4	26
2017	3	40
2018	8	39
2019	3	37
2020	8	37
2021	0	20
2022	0	15
2023	0	34
कुल	35	293

महत्त्वपूर्ण तथ्य–

- ✓ **प्रथम अध्यक्ष** – नरोत्तम लाल जोशी
- ✓ **प्रथम महिला अध्यक्ष** – श्रीमती सुमित्रा सिंह
- ✓ **सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष** – श्री रामनिवास मिर्धा
- ✓ **सबसे कम समय तक अध्यक्ष** – श्री समरथलाल मीणा
- ✓ **प्रथम उपाध्यक्ष** – लालसिंह शक्तावत
- ✓ **राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष** – श्रीमती तारा भण्डारी
- ✓ **विधानसभा में प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक** – श्री मथुरादास माथुर
- ✓ **विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में दो कार्यकाल**– श्री महावीर प्रसाद जैन
- ✓ **विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष**– श्री लक्ष्मण सिंह
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो केन्द्र में मंत्री भी रहे**– श्री रामनिवास मिर्धा, श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, श्री सी.पी. जोशी
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल रहे**– श्री रामकिशोर व्यास, श्री गोपाल सिंह
- ✓ **विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे**– श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री पूनमचन्द विश्नोई, श्री गिरिराज प्रसाद तिवा श्री शांति लाल चपलोत, श्री समरथलाल मीणा
- ✓ **तीन बार प्रोटेम स्पीकर रहे**– श्री पूनमचन्द विश्नोई
- ✓ **राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य चुने गये**– श्री नाथूराम मिर्धा (कांग्रेस)
- ✓ **राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता**– श्री जसवंत सिंह
- ✓ **राजस्थान की पहली महिला सांसद**– श्रीमती शारदा भार्गव (राज्यसभा)
- ✓ **राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती महारानी गायत्री देवी
- ✓ **राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी**– डॉ. नारायण सिंह
- ✓ **राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य**– श्री रामनिवास मिर्धा, श्री जसवंत सिंह (दोनों चार–चार बार)
- ✓ **राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्या**– श्रीमती शारदा भार्गव (तीन बार)
- ✓ **राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती सुशीला बंगारू (जालौर)
- ✓ **राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्या**– श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर)

❖ **वर्तमान विधानसभा में पदाधिकारी–**

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

- **वर्तमान अध्यक्ष** – श्री वासुदेव देवनानी (उत्तरी अजमेर)
- **वर्तमान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर**– श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर)
- **वर्तमान विधानसभा में मुख्य सचेतक** – श्री जोगेश्वर गर्ग
- **वर्तमान मंत्रि परिषद में महिला मंत्री** – दीया कुमारी, मंजू बाघमार
- **संसदीय मंत्री – जोगाराम पटेल**

• हाल ही में प्रथम महिला उपसचिव - इंदिरा शर्मा

लोकसभा चुनाव 2024 – राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में सम्पन्न कराये गये।

प्रथम चरण – 19 अप्रैल 2024, **द्वितीय चरण** – 26 अप्रैल 2024

राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं। (SC - 4) (ST - 3). India → SC- 84, ST- 47

लोकसभा चुनाव परिणाम में विजयी दल–

भाजपा – 14, कांग्रेस – 8, CPI(M)– 01, RLP - 01, BAP - 01

वोट प्रतिशत – भाजपा – (49.24%), कांग्रेस **(37.91%), CPI (M)– 1.97% , BAP** (भारत आदिवासी पार्टी–बाँसवाड़ा) – **0.75%, RLP - 1.80%, Others - 7.51%, NOTA - (0.84%)**

लोकसभा चुनाव में विजयी महिला सांसद–संजना जाटव (भरतपुर), मंजू शर्मा (जयपुर), महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद)।

- सर्वाधिक मतों से विजयी सांसद – महिमा कुमारी मेवाड़, भाजपा (राजसमंद) 392223 मतों से विजयी।
- सबसे कम मतों से विजयी सांसद – राव राजेंद्र सिंह, भाजपा (जयपुर ग्रामीण) 1615 मतों से विजयी।

विधानसभा समितियाँ (25)

(सामान्यतः कुल समितियाँ–२२ होती है)

सामान्य समितियाँ (21) | **वित्तीय समितियाँ (4)**

- **समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।**
- **विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य बनते हैं तो वह उस समिति के अध्यक्ष होते हैं।**
- **समितियों का कार्यकाल – एक वर्ष (अपवाद – महिलाएँ एवं बाल विकास समिति – 2 वर्ष)**

नोट : विधानसभा अध्यक्ष समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है।

- **समितियों के सदस्यों की संख्या : (अधिकतम) – 15 (1 + 14), अपवाद – सदाचार समिति एवं पुस्तकालय समिति – 10 (1 + 9)**
- **वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष (श्रीवासुदेव देवनानी) 3 समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं।**
  1. कार्य सलाहकार समिति, 2. नियम समिति, 3. सामान्य उद्देश्य समिति
- **मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। (अपवाद – कार्य सलाहकार समिति)**

वित्तीय समिति –

- **लोक (जन) लेखा समिति – अध्यक्ष – टीकाराम जूली (नेता प्रतिपक्ष)**
- **प्राक्कलन समिति – क – अध्यक्ष – अर्जुनलाल जीनगर**
- **प्राक्कलन समिति – ख – अध्यक्ष – श्रीचंद कृपलानी**
- **लोक (राजकीय) उपक्रम समिति – अध्यक्ष – कालीचरण सर्राफ**

सामान्य समिति

- **आवास (गृह) समिति – अध्यक्ष – प्रतापसिंह सिंघवी**
- **सरकारी आश्वासन समिति – अध्यक्ष – जितेंद्र गोठवाल**
- **पर्यावरण समिति – अध्यक्ष – डॉ. दयाराम परमार**

THE NOTES HUB All Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति – अध्यक्ष – श्रीमती अनिता भदेल
- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति – अध्यक्ष – फूलसिंह मीणा
- अनुसूचित जाति कल्याण समिति – अध्यक्ष – डॉ. विश्वनाथ मेघवाल
- अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति – अध्यक्ष – पब्बाराम विश्नोई
- प्रश्न व संदर्भ समिति – अध्यक्ष – संदीप शर्मा
- पुस्तकालय समिति – अध्यक्ष – सुरेंद्र सिंह राठौड़
- पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति – अध्यक्ष – केसाराम चौधरी
- महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति – अध्यक्ष – श्रीमती शोभा चौहान
- याचिका समिति – अध्यक्ष – हमीर सिंह भायल
- विशेषाधिकार समिति – अध्यक्ष – पुष्पेंद्र सिंह राणावत
- सदाचार समिति – अध्यक्ष – हरीश चौधरी
- स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति – अध्यक्ष – हरि सिंह रावत

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

प्रोटेम स्पीकर

क्र.सं.	विधानसभा	नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि	शपथ की तिथि
1.	प्रथम	श्री महाराव संग्राम सिंह	24.03.1952	27.03.1952
		श्री जयनारायण व्यास	03.12.1956	03.12.1956
2.	द्वितीय	श्री नारायण सिंह मसूदा	22.04.1957	23.04.1957
3.	तृतीय	श्री नारायण सिंह मसूदा	07.03.1962	10.03.1962
4.	चतुर्थ	श्री पूनम चन्द्र विश्नोई	28.04.1967	02.05.1967
5.	पांचवी	श्री यशवंत सिंह नोहर	17.03.1972	19.03.1972
6.	छठी	मेजर फतेह सिंह	13.07.1977	17.07.1977
7.	सातवीं	श्री परस राम मदेरणा	03.07.1980	03.07.1980
8.	आठवीं	श्री लक्ष्मण सिंह	11.03.1985	16.03.1985
9.	नौवीं	श्री पूनम चन्द विश्नोई	08.03.1990	12.03.1990
10.	दसवीं	श्री पूनम चन्द विश्नोई	22.12.1993	22.12.1993
			05.04.1995	-
			18.07.1998	-
11.	ग्यारहवीं	श्री भैरोसिंह शेखावत	14.12.1998	03.01.1999
12.	बारहवीं	श्री गंगाराम चौधरी	06.01.2004	14.01.2004
13.	तेरहवीं	श्री देवी सिंह भाटी	24.12.2008	25.12.2008
14.	चौदहवीं	श्री प्रद्युमन सिंह	02.01.2014	20.01.2014
15.	पन्द्रहवीं	श्री गुलाबचन्द कटारिया	08.01.2019	14.01.2019
16.	सोलहवीं	श्री कालीचरण सराफ	18.12.2023	18.12.2023

CamScanner

राजस्थान उच्च न्यायालय

→ रियासत काल में उच्च न्यायालय — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर
(कुल न्यायाधीश – 20)

→ B.R. पटेल कमेटी ने 27 मार्च 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित करने की सिफारिश की।

समिति के सदस्य – TC पुरी, SP सिन्हा

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना → "राजस्थान उच्च न्यायालय एक अध्यादेश द्वारा की गई अध्यादेश 1949"

NOTE –

→ अध्यादेश की धारा 10 (1) मुख्य पीठ जोधपुर में होगी।

→ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालयों को स्थापित → 21 June 1949 को करने का निर्णय लिया

→ उच्च न्यायालयों की अधिसूचना जारी हुई – 25 Aug 1949

→ उच्च न्यायालय की स्थापना – 29 Aug 1949 ⟶ धारा-1 की उपधारा (3)

→ उद्घाटन – राजप्रमुख सवाई मानसिंह II

→ स्थापना के समय संरचना – 1 + 11

→ राजस्थान HC का उद्देश्य → "न्याय सबके लिए"

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

→ मुख्य न्यायाधीश → K.K. वर्मा

→ न्यायाधीश → जस्टिस नवल किशोर → जोधपुर
→ जस्टिस अमर सिंह → जोधपुर
→ जस्टिस इब्राहिम → जयपुर
→ जस्टिस बापन्ना → जयपुर
→ जस्टिस ऽऽ मेहता → उदयपुर
→ जस्टिस ज ऽ रावत → उदयपुर
→ जस्टिस आनन्द नारायण कौल → अलवर
→ जस्टिस K.K. शर्मा → भरतपुर
→ जस्टिस क्षेमचंद गुप्ता → कोटा
→ जस्टिस दुर्गाशंकर द्वे → बूंदी
→ जस्टिस त्रिलोचन दत्त → बीकानेर

वर्तमान संरचना — 1+49 — 2015 से

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

• 3 सितम्बर 1949 को 25 Aug. 1949 की पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए राजप्रमुख ने एक और अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश दिया गया कि "बीकानेर उच्च न्यायालय" के समक्ष लंबित मामलों के निपटारे के लिए राजस्थान के उच्च न्यायालय भी बीकानेर व कोटा में एक साथ बनेंगे। और पूर्व संयुक्त राजस्थान के उच्च न्यायालय की कोटा पीठ क्रमशः इस अधिसूचना के तहत पुनरीक्षण या पुनः प्रवेश के आवेदनों के अलावा नये मामलों पर विचार करने कोई अधिकार नहीं दिया गया।

CamScanner

- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया जिसमें राजस्थान भाग- B राज्य बन गया। B- श्रेणी के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम करके 6 कर दी गई और यह अनिवार्य कर दिया कि न्यायाधीशों को भारतीय संविधान के तहत प्रदान की गई पात्रता के अनुरूप होनी चाहिए।

- परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा सहित कुल न्यायधीशों को अपना पद छोड़ना पड़। न्यायमूर्ति नवलकिशोर और न्यायमूर्ति मोहम्मद की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों के खिलाफ इब्राहिम दो प्रतिष्ठित वकील अर्थात श्री इंदरनाथ मोदी और श्री डी. एम भंडारी को बेंच में पदोन्नत किया गया।

→ 8 May 1950 को उच्च न्यायालय की कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

→ 22 May 1950 को इन सभी पीठ को समाप्त कर दिया।
(अध्यादेश- 1949 की धारा- 10 के तहत)

- लेकिन जयपुर पीठ को जयपुर और डिवीजनों पर अधिकार क्षेत्र के कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी गई।

→ राजस्थान उच्च न्यायालय "राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952" (क्रियान्वयन – 1 Oct 1952) के अंतर्गत कार्य करता है।

→ 1956 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास राजस्थान उच्च न्यायालय आये एवं न्यायाधीशों की संख्या 6 करने की सिफारिश राष्ट्रपति को की।

→ 26 फरवरी 1958 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया।

- BK गुप्ता
- V. विश्वनायन

→ सदस्य सत्यनारायण समिति

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010064

CamScanner

- 1976 के आदेश के तहत मुख्य न्यायाधीश को यह आदेश देने का विवेक भी दिया गया है कि जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी जिले में उत्पन्न होने वाले मामले/मामलों की श्रेणी की सुनवाई जोधपुर में की जायेगी।

→ जयपुर पीठ — राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को पुनर्स्थापित किया। [राज्यपाल व राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात्]

→ निर्णय लिया गया — 8 Dec. 1976 → राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 (3) के तहत

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कार्य कर रही है — 31 Jan 1977

→ 1991 से उच्च न्यायालय में कम्प्यूटरिंग प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया।

→ राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठों का क्षेत्राधिकार —

जोधपुर — 19 जिला न्यायाधीश कोर्ट

[अतिरिक्त DJ कोर्ट — जोधपुर महानगर]

जयपुर — 17 जिला न्यायाधीश कोर्ट

[अतिरिक्त DJ कोर्ट — जयपुर महानगर I
— जयपुर महानगर II

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE —

जोधपुर — जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग के सभी जिले, अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, नागौर जिला

जयपुर — जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के सभी जिले, अजमेर संभाग के अजमेर व टोंक जिले

CamScanner

दो जिला न्यायालय जिला मुख्यालय पर अवस्थित नहीं है

बाड़मेर → बालोतरा नागौर → मेड़ता

उच्च न्यायालय का प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 में भी किया गया है।

अतिरिक्त पीठ का प्रावधान – धारा 5।

उच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना –

कुल संरचना – 1+49 [कार्यरत – 1+32] → 18 सितम्बर, 2025 तक

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश → जस्टिस M.M. श्रीवास्तव (42 वें)

महिला न्यायाधीश → (1) रेखा बोरॉन – जोधपुर बार एसोसिएशन की महासचिव रह चुकी है।

(2) शुभा मेहता

(3) नुपूर भाटी

वर्तमान रजिस्ट्रार → प्रमिल कुमार माथुर

प्रशासनिक कार्यप्रणाली-

- उच्च न्यायलय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी महापंजीयक कहलाता है।
- यह पद सन् 1918 से 1947 तक पंजीयक कहलाता था। महापंजीयक ही मुख्य न्यायाधीश का प्रधान सचिव होता है।

#अन्य महत्वपूर्ण तथ्य —

(1) मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल — कैलाशनाथ वांचू

(2) मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल — सतिश कुमार मित्तल

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश — J.M. पांचाल

(4) महिला न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश — (i) ज्ञान सुधा मिश्रा रह चुकी हैं (ii) बेला M त्रिवेदी

(5) उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो राज. — जस्टिस फारूख हसन सरकार में मंत्री रहे हैं

(6) राज H.C. के प्रथम रजिस्ट्रार — माधो प्रकाश गुप्ता

(7) रजिस्ट्रार के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल — मोहनलाल राजदान

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE- जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 7 dec. 2019 को किया गया था।

NOTE- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के साथ पठित अनु. 233 और 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान का राज्यपाल न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा से संबंधित शर्तों और अन्य मामलों के लिए नियम बनाता है।

राजस्थान उच्च न्यायालय संबंधित अन्य नियम-

1. न्यायालयों के लिए विडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय नियम २०२०
2. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम २०17
3. सामान्य नियम (सिविल व फौजदारी) २०18
4. राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, १९५२ (प्रभावी → 1 Oct. १९५२)
5. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापना नियम, 1986
6. वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया मैनुअल, २016
7. राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, २०10
8. राजस्थान उच्च न्यायालय स्टाफ सेवा नियम, २००२
9. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम - 1987

THE NOTES HUB
★ Notes are Available ★
All Competition Books
7300134518, 7610010054

उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद → २१४ से २३१ तक

अनु. २१४ → प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।

अनु. २१५ → प्रत्येक HC अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी।

अनु. २१६ → प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

अनु.217 ➝ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी पद की शर्तें

217 (1)= नियुक्ति, कार्यकाल (62 वर्ष)

217 (1) क= त्यागपत्र

217 (1) ख= पदमुक्ति

217 (2)- HC के न्यायाधीशों की योग्यताएँ

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

अनु.218- उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।

अनु.219- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ।

अनु.220- स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि व्यवसाय पर निर्बंधन

अनु.221- न्यायाधीशों के वेतन आदि - संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित। (दूसरी अनुसूची)

अनु.222- किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय मे अंतरण

NOTE- 1977 में SC का फैसला- स्थानांतरण केवल सार्वजनिक हित में है। सजा के तौर पर नहीं।

1994 में SC ने माना की स्थानांतरण की मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक।

अनु॰ २२३- कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा

अनु॰ २२४- अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।

अनु॰ २२४(क)- उच्च न्यायालयों की बैठकों में से सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति

अनु॰ २२5 उच्च न्यायालय की अधिकारिता

अनु॰ २२६ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनु॰ २२७ सभी न्यायलयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। (सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों को छोड़कर)

अनु॰ २२८- कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अन्तरण।

अनु॰ २२९- उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

अनु॰ २३०- उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार संसद विधि द्वारा।

अनु॰ २३१- दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

क्र.सं.	नाम	पद ग्रहण करने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति के. के. वर्मा	29-08-1949	24-01-1950	
2.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	02-01-1951	10-08-1958	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • विधि आयोग के सदस्य (1955) • उत्तर प्रदेश न्यायिक सुधार समिति के अध्यक्ष • इन्दौर फायरिंग जांच आयोग के एकमात्र सदस्य • धौलपुर उत्तराधिकार मामला आयोग के अध्यक्ष • जयपुर से लोकसभा सदस्य, जयपुर राज्य में मंत्री रहे। • सर्वाधिक कार्यकाल (राजस्थान मुख्य न्यायाधीश)
3.	न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद	28-02-1959	10-10-1961	---
4.	न्यायमूर्ति जे. एस. राणावत	11-10-1961	31-05-1963	---
5.	न्यायमूर्ति डी. एस. दवे	01-06-1963	17-12-1968	---
6.	न्यायमूर्ति डी. एम. भंडारी (दौलत मल भण्डारी)	18-12-1968	15-12-1969	• पहली लोकसभा के सदस्य और एक मात्र स्वतंत्रता सेनानी थे • जयपुर में "आजाद मोर्चा" का गठन किया (1942) • जयपुर राज्य में प्रजामण्डल का गठन • जयपुर राज्य के विकास व कृषिमंत्री (1947) • बार कांउसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील • राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व कानून आयोग के अध्यक्ष • कृष्णा–गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य • भारतीय विधि संस्थान (नई दिल्ली) के संस्थापक सदस्य • लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष।
7.	न्यायमूर्ति जे. नारायण	16-12-1669	13-02-1973	---
8.	न्यायमूर्ति बी. पी. बेरी	14-02-1973	16-02-1975	---
9.	न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल	17-02-1975	05-11-1975	---
10.	न्यायमूर्ति वी. पी. त्यागी	06-11-1975	27-12-1977	---
11.	न्यायमूर्ति सी. होनैया	27-04-1978	22-09-1978	---
12.	न्यायमूर्ति श्री. एम. लोढ़ा (चान्दमल लोढ़ा)	12-03-1979	09-07-1980	• गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (1978)
13.	न्यायमूर्ति के. डी. शर्मा	07-01-1981	22-10-1983	---

Springboard
THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610070054

CamScanner

14.	न्यायमूर्ति पी. के. बनर्जी	23-10-1983	30-09-1985	---
15.	न्यायमूर्ति डी. पी. गुप्ता	12-04-1986	31-07-1986	---
16.	न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (जगदीश शरण वर्मा)	01-09-1986	22-05-1989	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें के बाद आपराधिक कानून में संशोधन पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट के अध्यक्ष • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश • भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे।
17.	न्यायमूर्ति के. सी. अग्रवाल (कृष्ण चन्द्र अग्रवाल)	15-04-1990	07-04-1994	• कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश • इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक।
18.	न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल	12-04-1994	03-03-1995	---
19.	न्यायमूर्ति ए. पी. रवानी	04-04-1995	10-09-1996	---
20.	न्यायमूर्ति एम. जी. मुखर्जी (मुकुल गोपाल मुखर्जी)	19-09-1996	24-12-1997	• पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष
21.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	22-01-1999	14-03-2000	---
22.	डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन (अरुणाचलम आर. लक्ष्मणन)	29-05-2000	25-11-2001	• मद्रास व केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष (2006-2009) 18वाँ विधि आयोग
23.	न्यायमूर्ति अरूण कुमार	02-12-2001	02-10-2002	---
24.	न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह	24-12-2002	22-10-2004	---
25.	न्यायमूर्ति एस. एन. झा	12-10-2005	15-06-2007	---
26.	न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल	16-09-2007	11-11-2007	---
27.	न्यायमूर्ति नारायण राय	05-01-2008	31-01-2009	---
28.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	06-03-2009	10-05-2009	• कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व स्थायी न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश • भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाया। • क्रिकेट संघ में खेल लोकपाल • अखिल भारतीय टेनिस संघ की तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष (2013)
29.	न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला	10-8-2009	31-10-2010	• हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार कांउसिल मे वकील रहे • उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष वकील • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • पंजाब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष • DAV कॉलेज लखनऊ के विधि संकाय के मानद प्रमुख
30.	न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा	26-11-2010	13-12-2012	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष (8वें)

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7400134518, 7610010054

				• कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश
31.	न्यायमूर्ति अमिताव रॉय	02-01-2013	03-08-2014	• ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उप-न्यायाधीश • सिनेमाघरों में फिल्म स्क्रीनिंग से पहले भारत का राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया। • उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश
32.	न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी	24-03-2015	21-08-2015	• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के आजीवन सदस्य • उच्च न्यायालय और राज्य ई-कोर्ट संचालन समिति के अध्यक्ष • उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
33.	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल	05-03-2016	14-04-2016	---
34.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	14-05-2016	17-02-2017	• छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश • पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश
35.	न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग	02-04-2017	06-04-2019	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
36.	न्यायमूर्ति श्रीपति रविन्द्र भट्ट	05-05-2019	23-09-2019	• दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
37.	न्यायमूर्ति इन्द्रजीत महन्ती	06-10-2019	12-10-2021	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे और ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
38.	न्यायमूर्ति अकील कुरेशी	12-10-2021	06-03-2022	• त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • बॉम्बे उच्च न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
39.	न्यायमूर्ति शंभाजी शिवाजी शिंदे (एस.एस. शिंदे)	21-06-2022	01-08-2022	• बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
40.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	14-10-2022	05-02-2023	• जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश • इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश • उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त • राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष • ला मार्टिनियर कॉलेज, लखनऊ के अध्यक्ष
41.	न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	30-05-2023	09-11-2023	• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश
42.	न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव	06-02-2024	लगातार	• वर्तमान 42वें मुख्य न्यायाधीश • राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 300134518, 7610019004

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बने –

क्र.स	नाम	विशेष विवरण
1.	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू	भारत के 10 वें मुख्य न्यायाधीश रहे। स्वतंत्रता सेनानी, यह वकील नहीं थे ICS थे, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाले पहले विधि आयोग के सदस्य थे
2.	न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल	–
3.	न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा	भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। विशाखा गाइडलाइन जारी की। 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया। • दो बार राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी काम किया।
4.	न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल	कर्नाटक के लोकायुक्त रहे, NHRC के चेयरमेन रहे व सदस्य भी रहे।
5.	न्यायमूर्ति अरुण कुमार	–
6.	न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मणन	–
7.	न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल	–
8.	न्यायमूर्ति दीपक वर्मा	–
9.	न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा	सबसे युवा चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। राजस्थान उच्च न्यायालय का पहला न्यूज लैटर शुरू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के म्यूजियम का उद्घाटन किया।
10.	न्यायमूर्ति अमिताव राय	–
11.	न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा	–
12.	न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट्ट	–
13.	न्यायमूर्ति पंकज मिथल	वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश।
14.	ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह	

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे या है –

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
1.	न्यायमूर्ति ए.पी. सैन	2.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल
3.	न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल	4.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर
5.	न्यायमूर्ति पी.पी. नाओलेकर	6.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी
7.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा	8.	न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान
9.	न्यायमूर्ति जी.एस. मिश्रा (महिला)	10.	न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे
11.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	12.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी
13.	न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी (वर्तमान)	14.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता (वर्तमान)

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :–

- **वे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें अन्य राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया**– न्यायमूर्ति एम.जी. मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला (पंजाब)
- **वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया**– न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, न्यायमूर्ति अरूण कुमार मिश्रा
- **कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल**– जे.एम. पांचाल (प्रथम कार्यवाहक)
- **मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम कार्यकाल** – सतीश कुमार मित्तल

CamScanner

भारत में 25 में से 8 उच्च न्यायालय ऐसे हैं, जिनकी एक या एक से अधिक खण्डपीठ (बैंच) है:–

क्र.स.	उच्च न्यायालय	मुख्यपीठ	खण्डपीठ
1	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	गुवाहाटी	कोहिमा, ईटानगर, आइजोल
2	मुम्बई उच्च न्यायालय	मुम्बई	नागपुर, औरंगाबाद, पणजी
3	कर्नाटक उच्च न्यायालय	बेंगलुरु	धारवाड़, गुलबर्ग
4	मद्रास उच्च न्यायालय	मद्रास	मदुरई / मदुरै
5	कलकत्ता उच्च न्यायालय	कलकत्ता	जलपाईगुडी, पोर्ट ब्लेयर
6	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	जबलपुर	ग्वालियर, इंदौर
7	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	इलाहाबाद	लखनऊ
8	राजस्थान उच्च न्यायालय	जोधपुर	जयपुर

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
300134518, 7610010054

वे न्यायाधीश जिन्हें अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पदोन्नत किया गया

क्र.सं.	न्यायाधीश	न्यायालय
1.	न्यायमूर्ति सी.एस. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
2.	न्यायमूर्ति एम.एल. श्रीमाल	सिक्किम उच्च न्यायालय
3.	न्यायमूर्ति जी.एम. लोढा	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
4.	न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
5.	न्यायमूर्ति मिलाप चन्द जैन	दिल्ली उच्च न्यायालय
6.	न्यायमूर्ति कांता भटनागर	मद्रास उच्च न्यायालय
7.	न्यायमूर्ति एस.एन. भार्गव	सिक्किम उच्च न्यायालय
8.	न्यायमूर्ति ए.के. माथुर	कलकत्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
9.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	राजस्थान उच्च न्यायालय
10.	न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी	आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय
11.	न्यायमूर्ति वाई.आर. मीना	गुजरात उच्च न्यायालय
12.	न्यायमूर्ति राजेश बलिया	पटना उच्च न्यायालय
13.	न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा	पटना उच्च न्यायालय
14.	न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद	झारखण्ड उच्च न्यायालय
15.	न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया	झारखण्ड उच्च न्यायालय
16.	न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी	कर्नाटक, मेघालय उच्च न्यायालय
17.	न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी	त्रिपुरा उच्च न्यायालय
18.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
19.	न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान	उत्तराखण्ड व तेलंगाना उच्च न्यायालय
20.	न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक	हिमाचल, मध्यप्रदेश, मेघालय, ओडिसा उच्च न्यायालय
21.	न्यायमूर्ति एम.एन. भण्डारी	मद्रास उच्च न्यायालय
22.	न्यायमूर्ति संदीप मेहता	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
23.	न्यायमूर्ति विजय विश्नोई	गुवाहाटी उच्च न्यायालय
24.	न्यायमूर्ति अरुण भंसाली	इलाहाबाद उच्च न्यायालय

CamScanner

(3) जिला प्रशासन

→ जिला प्रशासन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन है।

→ जिला प्रशासन का प्रशासनिक मुखिया— जिला कलेक्टर

जिला शब्द मूल संविधान में – Art.- 233

इसे 74 वें संशोधन द्वारा भी जोड़ा गया है – 243 ZD – जिला आयोजना समिति

जिला प्रशासन का प्रशासनिक ढाँचा —

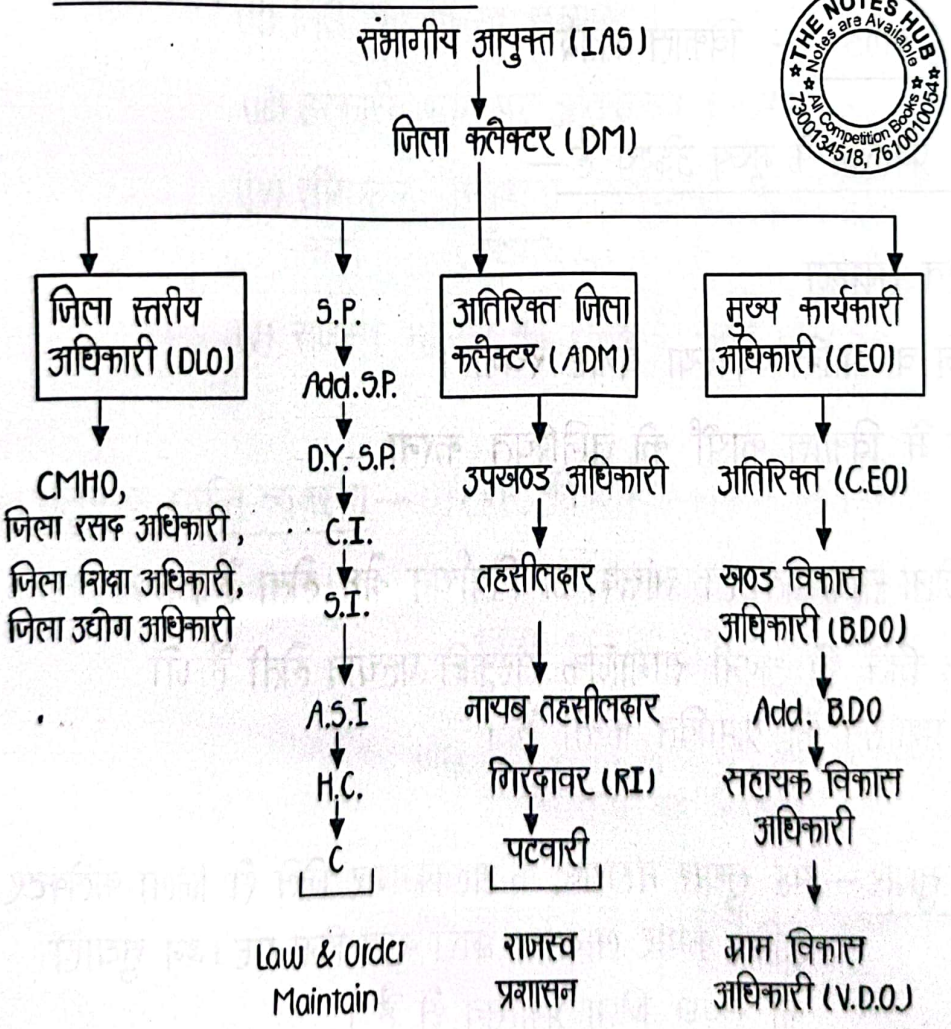

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610070054

CamScanner

जिला प्रशासन की विशेषताएँ —

(1) जिला प्रशासन राज्य सरकार व गावों के मध्य कड़ी है।

(2) जिला प्रशासन का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है।

(3) जिला प्रशासन में विभिन्न इकाईयाँ कार्य करती है।

जैसे — उपखण्ड — प्रशासनिक इकाईयाँ

तहसील — राजस्व इकाई

खण्ड — विकास इकाई

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(4) जिला प्रशासन के मुख्य उद्देश्य है —

(क) राजस्व संग्रहण

(ख) कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

(ग) जिले में विकास कार्यों को सुनिश्चित करना

(5) एक जिला सामान्यतः एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र होता है।

(6) प्रत्येक जिले की अपनी सामाजिक संस्कृति पहचान होती है जो जिला प्रशासन को प्रभावित करती है।

NOTE —

लाखीना सुधार — यह सुधार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से जिला कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना द्वारा शुरू किए गए। इन सुधारों का संबंध जिला प्रशासन से है।

जिला सरकार — यह सुधार 1999 में मध्यप्रदेश से तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा की गई। इसके तहत प्रत्येक जिलें में प्रभारी मंत्री की नियुक्ति।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

जिला प्रशासन के कार्य एवं भूमिका —

(1) राजस्व कार्य — (i) भूअभिलेखों का प्रबंधन जैसे जमाबंदी, भू-नक्शा

(ii) जिले का राजस्व संग्रहण।

(iii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।

(iv) सीमाज्ञान, तकाशमा, पत्थरगढ़ी (पत्थर गाड़ना) आदि कार्य (बँटवारा)

(v) राजस्व मामलों की सुनवाई करना।

(2) कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना → (i) CRPC की धारा -144 के तहत कर्फ्यू लगाना।

(ii) शान्ति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना (CRPC-151)

(iii) जिलें में आंतकवादी, तस्करी आदि गतिविधियों पर नियंत्रण

(iv) हथियारों के लाइसेंस जारी करना।

CamScanner

(3) विकास कार्य → (i) केन्द्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।

(ii) लाभार्थियों का नामांकन करना।

(iii) विकास कार्यों का निरीक्षण / पर्यवेक्षण

(4) निर्वाचन कार्य — (i) जिले में विभिन्न चुनाव करवाना। (सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय)

(ii) निर्वाचन नामावली का नवीनीकरण।

(iii) आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(iv) मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

NOTE — जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होने के साथ-साथ जिला पंजीयन अधिकारी भी होता है।

(5) आपदा प्रबंधन — आपदा प्रबंधन के दौरान जिला प्रशासन निम्नलिखित गतिविधि सुनिश्चित करता है —

(क) प्रभावितों का पुनर्वास

(ख) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(ग) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।

(घ) मुआवजा या क्षतिपूर्ति

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

NOTE – आपदा प्रबंधन कानून – 2005 के अनुसार

(1) मुख्यमंत्री – राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। (SDMA)

(2) जिला कलेक्टर – जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है।

(6) सांख्यिकी कार्य – जिला प्रशासन विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करता है। जैसे –

(1) (क) जन्म प्रमाण पत्र, (ख) मूल, (ग) जाति, (घ) हैसियत, (ड़) मृत्यु

(2) जनगणना व पशु जनगणना संबंधी कार्य

(7) प्रोटोकॉल कार्य – जिला प्रशासन जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आगवाणी करता है।

जैसे – राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आयोग के अध्यक्ष

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

संभागीय आयुक्त

विकास – भारत में संभागीय आयुक्त की शुरुआत विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में की गई।

→ स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में 5 जिलों को संभागीय मुख्यालय बनाया गया।
(1) जयपुर (2) जोधपुर (3) उदयपुर (4) कोटा (5) बीकानेर

→ 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को समाप्त किया गया।

→ 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को पुनःस्थापित किया गया एवं अजमेर (राजस्थान) 6 संभागीय मुख्यालय बना।

→ 4 जून 2005 में वसुन्धरा सरकार द्वारा भरतपुर को 7 वां संभाग बनाया गया।

→ 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की – सीकर, पाली, बांसवाड़ा (CM – अशोक गहलोत द्वारा)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ नए संभागों की अधिसूचना – 5 Aug 2023 (राजस्व विभाग द्वारा)

→ नए संभागों का गठन- 7 Aug. 2023

→ नए जिलों के मानक तय करने हेतु ललित के. पंवार समिति का गठन किया गया।

नए जिलों की समीक्षा हेतु उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है।

हाल ही में समिति का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया है।

सेवा व शर्तें —

नियुक्ति :- वरीष्ठ IAS अधिकारी को संभागीय आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

पदस्थापन :- राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (DOP) द्वारा

कार्यकाल :- अनिश्चित

स्थानान्तरण :- (DOP) द्वारा (Department of Personnel) - GoR

निलंबन व निष्कासन :-(DOP) द्वारा (कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय)

NOTE — 1962 के पश्चात् कुछ संभागीय आयुक्त अतिरिक्त कार्य करते रहे —

बीकानेर — IGNP

जोधपुर — मरू विकास कार्यक्रम

कोटा — चंबल कमाण्ड एरिया प्रोग्राम

उदयपुर — जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

संभागीय आयुक्त के कार्य व भूमिका —

(1) निरीक्षण व पर्यवेक्षण —

(i) जिला प्रशासन की विभिन्न बैठकें बुलाना।

(ii) बैठक के दौरान विभिन्न DLO को निर्देश देना।

(iii) संभाग के प्रशासनिक कार्यालयों का निरीक्षण करना।

(iv) केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

CamScanner

(२) प्रशासनिक कार्य —

(i) जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भरना। (ACR/PAR)

(ii) संभाग में गिरदावर व पटवारी का स्थानान्तरण करना।

(iii) संभाग के कर्मचारियों पर नियंत्रण।

(iv) जन शिकायतों की सुनवाई करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(३) समन्वय कार्य —

(i) राज्य सरकार व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय।

(ii) जिला प्रशासन के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना।

(iii) जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वय।

(iv) संभाग के सरकारी संस्थानों के मध्य समन्वय।

(4) न्यायिक कार्य — संभागीय आयुक्त निम्नलिखित कानूनों के तहत सुनवाई करता है —

(i) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

(ii) राजस्थान भू-राजस्व कानून — 1956

(iii) राजस्थान पंचायती राज कानून — 1994

(iv) राजस्थान नगरपालिका कानून — 2009

- राजस्थान वन अधि॰ - 1953
- राजस्थान आबकारी अधि॰ - 1950

 # अन्य कार्य —

संभागीय आयुक्त	परियोजनाएँ
बीकानेर	IGNP इंदिरा गाँधी नहर परियोजना।
भरतपुर व कोटा	चंबल कमाण्ड एरिया प्रोग्राम

CamScanner

अजमेर — बीसलपुर परियोजना
जोधपुर — मरूस्थल विकास कार्यक्रम
उदयपुर — जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

संभागीय आयुक्त प्रणाली के विपक्ष में तर्क —

(1) संभागीय आयुक्त का पद कलेक्टर पर कलेक्टर के समान है। (कलेक्टर के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप)

(2) यह राज्य सरकार पर वितीय भार है।

(3) चूंकि संभागीय आयुक्त वरीष्ठ IAS अधिकारी होता है तो उसे सचिवालय में नियुक्त किया जाना चाहिए (प्रभावी नीति निर्माण हेतु)

(4) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार संभागीय आयुक्त का पद वर्तमान परिस्थितियों में प्रांसगिक नहीं है।

पक्ष में तर्क —

(1) संभागीय आयुक्त सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है।

(2) राज्य में सत्ता का प्रत्यायोजन सुनिश्चित करता है। (राज्य सरकार से संभागीय आयुक्त को)

(3) राज्य सरकार के कार्यभार में कमी।

(4) संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करता है।

(5) संभागीय आयुक्त नए व युवा कलेक्टर के मित्र, मार्गदर्शक एवं दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।

THE NOTES HUB * Notes are Available * All Competition Books * 7300134518, 7610010054

CamScanner

जिला कलेक्टर

→ जिला कलेक्टर पद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में सृजित किया गया – बंगाल में राजस्व संग्रहण हेतु।

→ भारत के प्रथम जिला कलेक्टर – रॉल्फ शेल्डन

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ 1787 में कलेक्टर को न्यायिक शक्तियाँ स्थानान्तरित की गई।
अतः कलेक्टर को उस समय Little Napoleon भी कहा जाता था।

→ 1792 में कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ न्यायपालिका को हस्तांतरित की गई।

→ 1947 के पश्चात् भारत के सभी राज्यों ने कलेक्टर के पद को अनवरत जारी रखा।

कलेक्टर के अन्य नाम – (1) जिला मजिस्ट्रेट – उत्तरप्रदेश व पश्चिम बंगाल
(2) उपायुक्त → हरियाणा, कर्नाटक
(3) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट → राजस्थान

→ जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद –50 के कारण न्यायपालिका की ओर हस्तांतरित की जा रही है।

Art–50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का हस्तांतरण

CamScanner

→ 1993 से कलेक्टर की विकास प्रशासन में भूमिका परिवर्तित हुई है।
(73 व 74 संविधान संशोधन, 1992 के कारण)

→ 2009 में पहली बार RAS से पदोन्नत IAS अधिकारियों को जिला कलेक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
[CM - अशोक गहलोत सरकार द्वारा]

→ 1 Jan 2011 को राजस्थान के जयपुर व जोधपुर शहर से आयुक्त प्रणाली (Commissionate प्रणाली) की शुरुआत हुई। अतः कलेक्टर की दण्डनायक के रूप में भूमिका भी परिवर्तित हो गई।

#सामान्य सेवा व शर्तें —

नियुक्ति कर्ता मंत्रालय — कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

पदस्थापन — कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा IAS अधिकारी को कलेक्टर पद पर पदस्थापित किया जाता है।

कार्यकाल — अनिश्चित

स्थानान्तरण — कार्मिक विभाग द्वारा

निलंबन व निष्कासन — कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिक, लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की अनुमति के पश्चात्

CamScanner

जिला कलेक्टर के कार्य / भूमिका —

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में —

(i) जिले में राजस्व संग्रहण — भू-राजस्व संग्रहण, सिंचाई कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(ii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।

(iii) जिले में भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य।

NOTE — जिला कलेक्टर जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी भी होता है।

(iv) जिले में कृषि ऋण वितरण सुनिश्चित करना।

(v) राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन — राजस्थान भू-राजस्व कानून — 1956
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

(vi) राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण — तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी

(vii) भू-सुधारों का क्रियान्वयन — हदबंदी, चकबंदी

(viii) भू-अभिलेख प्रबंधन — जमाबंदी, भू-नक्शा, नामांतरण पंजिका

(ix) राजस्व अपीलों की सुनवाई करना।

(x) भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।

(2) दंडनायक के रूप में —

CamScanner

(A) जिलें में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।

(B) कर्फ्यू लगाना। (भारतीय न्यायसंहिता की धारा - 163)

(C) शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।

(D) विदेशियों के पार-पत्र (Passport) की जाँच करना।

(E) जिले में 'गुंडा सूची' का अवलोकन करना।

(F) पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना।

(G) सूर्यास्त के पश्चात् पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान करना।

(H) जिले में आंतकवादी घटनाओं व तस्करी जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण।

(I) राज्य सरकार के गृह विभाग को जिला पुलिस बल का वार्षिक प्रतिवेदन।

(J) विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन करना —

(i) मनोरंजन कानून
(ii) प्रेस की स्वतंत्रता कानून
(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980
(iv) राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 2006

(K) हथियारों का 'लाइसेंस जारी' करना।

(3) समन्वयक के रूप में — कलेक्टर निम्नलिखित के मध्य / साथ समन्वय सुनिश्चित करता है —

(i) विभागों के मध्य
(ii) कर्मचारियों के मध्य
(iii) NGO के साथ
(iv) जिले के विभिन्न कर्मचारियों के मध्य समन्वय

(v) केन्द्र सरकार के साथ समन्वय

(vi) राज्य सरकार के साथ समन्वय

(vii) सैन्य प्रशासन के साथ समन्वय

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

4. आपदा निवारक अधिकारी के रूप में-

जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। (आपदा प्रबंधन अधिनियम - 2005 के अनुसार)

अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करता है-

A. प्रभावितों का पुनर्वास

B. प्रभावितों को खाद्य व नागरिक आपूर्ति सुनिश्चित करना।

C. चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।

D. प्रभावितों के मुआवजे की व्यवस्था करना।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में-

(i) जिले में MP, MLA, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना।

(ii) जिले में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण - जिला पंजीयक अधिकारी के रूप में

(iii) जिले में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(iv) जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

(v) मतदाता सुविधा हेतु विभिन्न कार्य।

6. प्रशासनिक अधिकारी के रूप में-

(i) जिला प्रशासन के कार्मिकों पर नियंत्रण

(ii) जिले में सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण

(iii) सर्किट हाउस का प्रबंधन

(iv) जिले में सरकारी आवासों का आवंटन।

(v) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना।

(vi) जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष के रूप में जन शिकायतों की सुनवाई करना।

(vii) जिले में POSDCoRB कार्यों को सुनिश्चित करना-

(a) P- Planning (योजना बनाना)- जिले में संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। (मानव भौतिक व वित्तीय संसाधन)

(b) O- Organize (संगठित करना)- जिले में मानव संसाधन को संगठित करना।

(c) S- Staffing- कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पदोन्नति, पद स्थापन आदि सुनिश्चित करना।

(d) O- directing (निर्देशित करना)- अधीनस्थों को विभिन्न निर्देश प्रदान करना।

(e) Co- Coordinating (समन्वय करना)- जिले में सरकारी विभागों, कर्मचारियों व समीतियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(f) R- Reporting (प्रतिवेदन प्राप्त करना)- अधीनस्थों से विभिन्न प्रगति विवरण प्राप्त करना।

(g) Budgeting – जिले के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

(7) जिला विकास अधिकारी के रूप में —

(i) जिले में विकास कार्यों का निरीक्षण करना।

(ii) जिला आयोजना समिति की बैठकों में भाग लेना।

(iii) विकास प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं का समाधान करना।

(iv) पंचायतीराज संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

(8) जिला प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में —

जिला कलेक्टर जिले में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की आगवानी करता है जैसे – PM, CM, Ministers, etc.

जिला कलेक्टर के समक्ष चुनौतियाँ / कलेक्टर की बदलती भूमिका —

(1) अनुच्छेद 50 – कलेक्टर की न्यायिक भूमिका में परिवर्तन।

(2) पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा – कलेक्टर की विकास कार्यों में भूमिका परिवर्तित।

(3) आयुक्त प्रणाली – कलेक्टर की दंडनायक के रूप में भूमिका परिवर्तित।

(4) प्रेस की स्वतंत्रता कानून – लोकसेवकों की बढ़ती जवाबदेयता।

(5) विभिन्न प्रशासनिक सुधार व नवाचार – लोक प्रशासन में बढ़ती पारदर्शिता जैसे – लोक सेवा गारन्टी कानून, सम्पर्क पोर्टल।

CamScanner

चुनौतियाँ —

(1) अत्यधिक कार्यभार — जिले में बहुआयामी भूमिका

(2) राजनीतिक हस्तक्षेप / दबाव ।

(3) अनिश्चित कार्यकाल ।

(4) जिले में बढ़ती कानून व शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएँ

(5) जिले में मानव संसाधन या कर्मचारियों की कमी ।

(6) समन्वय का अभाव ।

(7) संभागीय आयुक्त का कलेक्टर के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ।

(8) बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010034

कलेक्टर पद पर विभिन्न कथन-

1. रजनी कोठारी - संस्थागत करिश्मा
2. मेक्डॉनाल्ड - कलेक्टर वह कछुआ है जिसकी पीठ पर केन्द्र सरकार रूपी हाथी बैठ है।
3. सी. के मैथ्यू - कलेक्टर जैसा ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा।
4. भारतीय स्टेच्युटरी कमीशन प्रतिवेदन, 1930- जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद, एक सर्वेक्षणकर्ता तथा प्रधानमंत्री राजपत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए।
5. के. के. दास- कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान ना तो कोई अधिकारी हुआ न होगा।
6. 20 मई, 2005 को दिया गया PM का भाषण → प्रशासन की धुरी

CamScanner

उपखण्ड अधिकारी [SDM/SDO]

→ पदस्थापन – RAS अधिकारी को कार्मिक विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारी पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

→ नियुक्ति
→ स्थानान्तरण
→ निलंबन
→ निष्कासन
→ APO – (पदस्थापन के इंतजार में)

→ कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा

प्रशिक्षण – हरिश्चन्द्र माथुर – लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी के अन्य नाम-

- राजस्थान – उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
- तमिलनाडु – सब- कलेक्टर
- महाराष्ट्र - प्रान्त अधिकारी

NOTE – उपखण्ड अधिकारी को कलेक्टर की "आँख व कान" कहा जाता है।

उपखण्ड अधिकारी के कार्य / भूमिका –

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में –

(i) उपखण्ड के भू – अभिलेखों का प्रबंधन।

(ii) उपखण्ड के राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण

जैसे – तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर पटवारी

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

(iii) विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत राजस्व अपीलों की सुनवाई करना —

(A) राजस्थान भू-राजस्व कानून - 1956
(B) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

(vi) पत्थरगढ़ी के आदेश करना — पत्थर गाड़ना

(v) उपखण्ड में फसलों का आकलन करवाना।

(vi) उपखण्ड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610070054

(vii) जिला कलेक्टर के स्थान पर भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य।

(viii) राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
जैसे — न्याय आपके द्वार

(ix) भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।

(2) दंडनायक के रूप में —

(i) उपखण्ड में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखना।
(ii) उपखण्ड में कर्फ्यू लगाना।
(iii) शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।
(iv) उपखण्ड के पुलिस थानों व जेलों का निरीक्षण करना।

(3) प्रशासनिक अधिकारी के रूप में —

(i) उपखण्ड के कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।
(ii) उपखण्ड के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना।
(iii) उपखण्ड में जनगणना व पशुगणना संबंधी कार्य।
(iv) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना जैसे जाति व EWS प्रमाण पत्र।
(v) उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उपखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना।

CamScanner

(vi) उपखण्ड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष के रूप में जन शिकायतों की सुनवाई करना।

(4) निर्वाचन अधिकारी के रूप में —

(i) उपखण्ड में यह MP, MLA के चुनाव करवाता है।

(सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी के रूप में - AERO)

(ii) उपखण्ड में मतदाता सूचियों का नवीनीकरण - (AERO) → सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी के रूप में यह मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने व हटाने का कार्य करता है।

(iii) उपखण्ड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

(iv) उपखण्ड में मतदाता सुविधा हेतु कार्य — पेयजल, रेम्प सुविधा आदि।

(v) बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की नियुक्ति करना।

(5) प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में —

उपखण्ड अधिकारी विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की उपखण्ड में आगवानी करता है।

जैसे - CM, केबिनेट मंत्री आदि।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चुनौतियाँ —

(1) अनिश्चित कार्यकाल
(2) अत्यधिक कार्यभार
(3) राजनीतिक हस्तक्षेप
(4) मानव संसाधन का अभाव
(5) बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य
(6) बढ़ती कानून व शांति संबंधी समस्याएँ

CamScanner

तहसीलदार

- नियुक्ति
- पदस्थापन
- स्थानान्तरण
- निलंबन
- निष्कासन
- APO – (Awaiting for Posting Order)

→ राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा

→ तहसीलदार और नायब तहसीलदार " राजस्थान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार नियम-1958 के अंतर्गत कार्य करता है।

→ तहसील राजस्थान में एक राजस्व ईकाई है।

तहसीलदार के कार्य / भूमिका –

(1) राजस्व अधिकारी के रूप में –

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(i) तहसील में भू-राजस्व संग्रहण।

(ii) तहसील में भू-अभिलेखों का प्रबंधन।

जैसे – जमाबंदी, भू-नक्शा, नामांतरण पंजिका (Mutation)

CamScanner

(iii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना।

(iv) तहसील में फसलों का आंकलन करवाना।

(v) नामांतरण स्वीकार करना।

(vi) अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

जैसे – नायब तहसीलदार, RI, पटवारी

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(vii) सीमाज्ञान, तकाश्मा आदि राजस्व कार्य

(viii) राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन

जैसे – प्रशासन गाँव के संग, न्याय आपके द्वार

(ix) भूमि रूपांतरण संबंधी कार्य।

(कृषि भूमि से – उद्योग, आवासीय जमीन में)

(x) राजस्व अपील की सुनवाई करना।

(2) प्रशासनिक कार्य –

(i) विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना –

जैसे – मूल निवास, आय व हैसियत प्रमाण पत्र।

(ii) सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य –

स्थानीय निकायों के चुनाव में।

(iii) तहसील के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना।

(iv) जनगणना व पशुगणना में SDO को सहायता प्रदान करना।

CamScanner

(v) तहसील में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करना।

(3) दंडनायक के रूप में —

(i) शांतिभंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।

(ii) भूमि अतिक्रमण के मामलों में 6 महीनें की जेल या 200 रू का जुर्माना या दोनों।

(4) उपपंजीयक के रूप में —

(i) विभिन्न दस्तावेजों का पंजीयन करना।

(ii) सरकार के पक्ष में विभिन्न शुल्कों का संग्रहण करना —
पंजीयन व मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty)

(5) उपराजकोष अधिकारी के रूप में —

TDR उपराजकोष के Caretaker (देखभाल) के रूप में कार्य करता है।

(6) अन्य कार्य —

(i) सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में

(ii) वन विभाग में सहायक वन अधिकारी के रूप में

(iii) भू-प्रबंधन विभाग में सहायक भू-प्रबंधन अधिकारी के रूप में

(iv) TDR के रूप में — जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
— JDA (जयपुर विकास प्राधिकरण)

CamScanner

– अजमेर व जोधपुर विकास प्राधिकरण

NOTE – तहसीलदार के अन्य नाम –

1. मौजादार → असम, बंगाल, झारखण्ड
2. मामलातदार → गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

पटवारी

→ भर्ती के नियम – राजस्व मण्डल अजमेर

→ परीक्षा आयोजन – अधीनस्थ चयन बोर्ड (RSMMB)

→ जिला आंवटन – राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा

→ नियुक्ति
→ निलंबन
→ निष्कासन
→ जिला कलेक्टर द्वारा

प्रशिक्षण केन्द्र– श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा, उदयपुर, टोंक, जोधपुर

पटवारी के कार्य / भूमिका –

(1) भू-अभिलेख प्रबंधन → जमाबंदी, भू-नक्शा, वाद पंजिका (Case or Appear Register) नामांतरण पंजिका आदि का संधारण करना।

(2) भू-राजस्व संग्रहण — भू-राजस्व संग्रहण में 3 शर्तें हैं –

(i) राज्यसरकार द्वारा निर्धारित दर पर राजस्व संग्रहण किया जाना चाहिए।

(ii) राजस्व संग्रहण निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए जो राज्यसरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

(iii) भू-राजस्व उपराजकोष में जमा करवाना चाहिए।

CamScanner

(3) सांख्यिकी कार्य — विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने में पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है —

मूल, आय, जाति, EWS, हैसियत प्रमाण पत्र ।

(4) विभिन्न राजस्व कार्य —

(i) TDR की नामान्तरण प्रस्तुत करना ।

(ii) सीमाज्ञान

(iii) तकाश्मा (बंटवारा)

(iv) पत्थरगढ़ी आदेशों का क्रियान्वयन

(v) भूमि - अतिक्रमण की रिपोर्ट TDR की करना ।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(5) आपातकालीन कार्य/राहत कार्य में भूमिका —

पटवारी की आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है —

जैसे - बाढ़, सूखा, आग, टिड्डी दल आक्रमण ।

आपदा में भूमिका → आर्थिक नुकसान का आंकलन करना ।

→ आर्थिक नुकसान की रिपोर्ट TDR की प्रस्तुत करना ।

(6) अन्य कार्य —

(i) TDR की निर्वाचन कार्यों में सहायता प्रदान करना ।

(ii) राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करना ।

CamScanner

(iii) भू-सुधारों का क्रियान्वयन करना – हदबंदी, चकबंदी

पटवारी के अन्य नाम –

- तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश — करनम
- उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड — लेखपाल
- गुजरात — पटेल
- महाराष्ट्र — तलेटी
- असम — पटोवारी

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE - राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (हरीशचन्द्र माथुर समिति) ने पटवारी का पद नाम 'लेखपाल' करने की अनुशंसा की।

CamScanner

पुलिस प्रशासन

पुलिस अधीक्षक

यह पद 1808 ई. में गवर्नर लॉर्ड मिन्टो-I द्वारा सृजित् किया गया।

नियुक्ति- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

DGP
↓
ADG
↓
IG
↓
DIG
↓
S.P. → जयपुर व जोधपुर कमीश्नर व्यवस्था
↓
Add S.P.
↓
DY. S.P.
↓
C.I.
↓
S.I.
↓
A.S.I.
↓
H.C.
↓
C.

पदस्थापन → कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा IPS अधिकारी को S.P. पद पर पदस्थापित किया जाता है।

कार्यकाल → अनिश्चित

निलंबन व निष्कासन → कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा —

केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय की अनुमति के पश्चात्

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

कार्य एवं भूमिका —

(1) जिलें में कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर जिलें में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना।

CamScanner

(2) पुलिस थानों व चौकियों का निरीक्षण करना।

(3) जिलें में गुंडा सुची का अवलोकन करना।

(4) संगठित अपराध पर नियंत्रण।

(5) जिला पुलिस बल पर नियंत्रण।

जैसे — पदोन्नति, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, अनुशासनात्मक कार्यवाही।

(6) जिलें में कॉन्सटेबल से लेकर C.I तक के स्थानान्तरण व निलंबन संबंधी कार्य।

(7) पुलिस वाहन, भवन, हथियार आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(8) जिलें में सामुदायिक पुलिसिंग। पुलिस व समुदाय के मध्य न्यूनतम दूरी को सुनिश्चित करना।

(9) राज्य पुलिस के विभिन्न अभियानों, ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना।

(10) अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(11) जिलें में यातायात प्रबंधन

(12) न्यायालय को विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध करना।

(13) जिला कलेक्टर के कर्फ्यू संबंधित आदेशों का क्रियान्वयन।

(14) प्रोटोकॉल में विभिन्न व्यक्तियों की आगवानी करना।

(15) जिलें में FIR व FR की समीक्षा करना।

#SP के समक्ष चुनौतियाँ —

(1) कार्यकाल की अनिश्चितता।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

(2) राजनीतिक हस्तक्षेप ।

(3) अत्यधिक कार्यभार

(4) मानव संसाधनों का अभाव ।

(5) कानून व शांति व्यवस्था संबंधी बढ़ती समस्या

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(6) बढ़ता प्रोटोकॉल कार्य

(7) परम्परागत हथियार

(8) सामुदायिक पुलिसिंग का अभाव

(9) साइबर अपराध बढ़ता हुआ ।

CamScanner

आयुक्त प्रणाली

→ इस प्रणाली की शुरूआत 1 जनवरी 2011 को जयपुर व जोधपुर शहर से हुई। [अशोक गहलोत सरकार द्वारा]

→ न्यूनतम IG रैंक के अधिकारी को कमीश्नर पद पर नियुक्ति की जाती है।

जयपुर – प्रथम पुलिस कमीश्नर – B.L. सोनी
वर्तमान पुलिस कमीश्नर – बीजू जॉर्ज जोसेफ

जोधपुर – प्रथम पुलिस कमीश्नर – भूपेन्द्र कुमार दक
वर्तमान पुलिस कमीश्नर – श्री राजेन्द्र सिंह

आयुक्त प्रणाली की आवश्यकता या उद्देश्य –

(1) पुलिस को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु।
(2) बड़े शहरों में अपराध पर नियंत्रण हेतु।
(3) पुलिसकर्मियों को अभिप्रेरित करने हेतु।
(4) जिला कलेक्टर का कार्यभार कम करने हेतु।
(5) आम आदमी को एक ही छत के नीचे पुलिस व दंडनायक के कार्य उपलब्ध कराने हेतु।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

पुलिस कमीश्नर कार्य एवं भूमिका –

(1) कमीश्नरेट क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना ।

(2) कर्फ्यू लगाना ।

(3) शांतिभंग के मामलों में जमानत प्रदान करना ।

(4) कमीश्नरेट क्षेत्र में धरना व प्रदर्शन आदि की अनुमति प्रदान करना ।

(5) हथियारों की लाइसेंस प्रदान करना ।

(6) विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन करना ।

जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, पासा-2006

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

आयुक्त प्रणाली का पदसोपान

आयुक्त
↓
अतिरिक्त आयुक्त
↓
उपायुक्त
↓
अतिरिक्त उपायुक्त
↓
सहायक पुलिस उपायुक्त

CamScanner

महाधिवक्ता

[ADVOCATE GENERAL]

→ महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है। (अनु.-165)

इसका प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भी किया गया है।

संवैधानिक प्रावधान:

अनु.-165(1)	(1) योग्यता – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान (Art.-217) (2) नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर
अनु.-165(2)	महाधिवक्ता के कार्य
अनु.-165(3)	(1) वेतन/भत्ते – राज्यपाल द्वारा निर्धारित (2) कार्यकाल – राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त

मुख्यालय – जोधपुर [वर्तमान महाधिवक्ता का मुख्यालय – जयपुर]

शपथ – प्रावधान नहीं है।

इस्तीफा – राज्यपाल

नियुक्ति के आदेश जारी किए जाते हैं – विधि विभाग द्वारा

THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books ★ 7300734518, 7610010054

CamScanner

NOTE – महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है।
– महाधिवक्ता निजी प्रैक्टिस को अनवरत जारी रखा जाता है।

महाधिवक्ता के कार्य –

(1) राज्य सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना। [Art.-165 (2)]

(2) विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना।

(3) राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेना। (Art.-177)

(4) महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

NOTE – (1) महाधिवक्ता को विधायक के समान विशेषाधिकार प्राप्त है।

(2) राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति 1957 में की गई।
– (GC कासलीवाल)

LM सिंघवी – (1) लोकसभा व राज्यसभा सांसद

(2) ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त

(3) पद्मभूषण

GC कासलीवाल – महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल (1957–1972)

प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता – AK माथुर

महाधिवक्ता के रूप में तीन कार्यकाल – B.P. अग्रवाल

वर्तमान महाधिवक्ता – राजेन्द्र प्रसाद (19वें)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE- • महाधिवक्ता का पद सरकारी नहीं है।

• महाधिवक्ता किसी भी कम्पनी में निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।

राजस्थान के महाधिवक्ता

1. जी.सी. कासलीवाल–कार्यकाल सर्वाधिक रहा। (15 वर्ष)
   - जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे।
   - एम.एल.ए रहे।
2. लक्ष्मीमल सिंघवी (लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे, हाई– कमीश्नर यू.के में, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित)
3. एस.के. तिवारी
4. पी.के. रस्तोगी
5. एस.के. तिवारी
6. ए.के. माथुर (कार्यवाहक)
7. एन.एल. जैन
8. डी.सी. स्वामी
9. एम.आर. काला
10. बी.पी. अग्रवाल
11. एस. एम. मेहता
12. बी.पी. अग्रवाल
13. एस.एम. मेहता
14. बी.पी. अग्रवाल
15. एन.एम. लोढ़ा
16. जी.एस. बाफना
17. एन.एम. लोढ़ा
18. एम.एस. सिंघवी
19. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (वर्तमान महाधिवक्ता)– जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) थे

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054
Springboard ACADEMY

CamScanner

स्थानीय निकाय

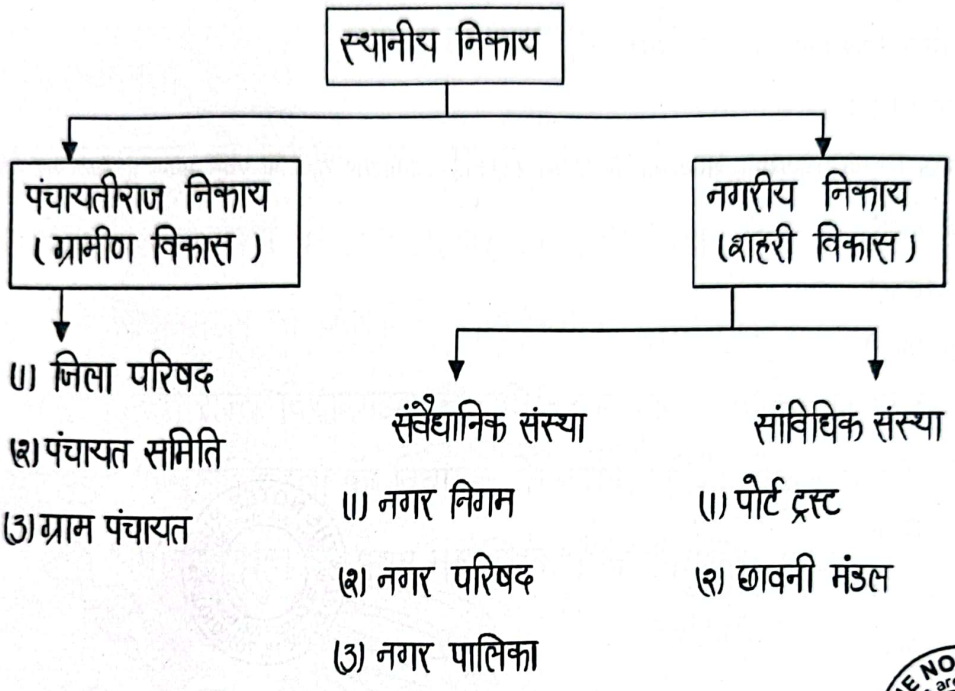

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

पंचायतीराज संस्थाओं का इतिहास —

(1) भारत का प्रथम नगर निगम — मद्रास (1687)

(2) भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक — लार्ड रिपन (1882 के प्रस्ताव के कारण)

(3) बीकानेर प्रथम रियासत है जिसने 1928 में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया।

➤ आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व भी विभिन्न देशी रियासतों में पंचायतीराज कानून बनाए गए थे —

1. बीकानेर - 1929
2. जयपुर - 1938
3. सिरोही - 1943
4. भरतपुर - 1945
5. करौली - 1949

- राजस्थान पंचायतीराज की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है।
- संयुक्त राजस्थान द्वारा 1948 में पंचायतीराज अध्यादेश लागू किया गया।
- 1949 में राजस्थान निर्माण के बाद मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन एक पृथक पंचायत विभाग स्थापित किया गया।

→ भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात् –

(1) ग्राम पंचायत का प्रावधान — अनु. 40

(2) स्थानीय सरकार राज्य सूची का पाँचवा विषय है। (अनु.- 246)

→ राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम पंचायतीराज कानून 1953 में बनाया गया।

- राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 जो 1 जनवरी, 1954 से लागू हुआ के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया।
- बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 लागू किया गया।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

पंचायतीराज संस्थाओं की विभिन्न समितियाँ —

(1) बलवंतराय मेहता समिति — स्थापना – 1957
→ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता को जानने हेतु।

सिफारिशें :— (i) भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए।

(ii) पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए।

(A) जिला परिषद
(B) पंचायत समिति
(C) ग्राम पंचायत

(iii) पंचायत समिति की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए

(iv) जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए।

NOTE – 2 Oct. 1959 को नागौर के बगदरी गाँव से पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत हुई। (जवाहरलाल नेहरू द्वारा)

दूसरा राज्य – आंध्र प्रदेश

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(2) अशोक मेहता समिति – 1977

सिफारिश :— (i) पंचायतीराज की द्विस्तरीय व्यवस्था।

→ जिला परिषद
→ मंडल पंचायत

CamScanner

(ii) पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।

(iii) राजनीतिक दलों की पंचायतीराज चुनावों में भागीदारी होनी चाहिए।

(iv) अनुसुचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान।

(v) कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य पृथक किए जाने चाहिए।

(vi) जिला परिषद् को कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए।

(vii) न्याय पंचायत की स्थापना।

(viii) पंचायतीराज मंत्रियों की नियुक्ति।

(3) GVK राव समिति – 1985 (इसे 'काई' समिति भी कहते है।)

सिफारिश :– (i) पंचायतीराज की चार स्तरीय व्यवस्था —

(A) राज्य परिषद

(B) जिला परिषद

(C) पंचायत समिति

(D) ग्राम पंचायत

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(ii) कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य पृथक किए जाने चाहिए।

(iii) एक नए पद का सृजन किया जाना चाहिए – जिला विकास आयुक्त

NOTE – इस समिति के अनुसार पंचायतीराज संस्थाएँ बिना जड़ की घास हैं।

CamScanner

(4) L.M. सिंघवी समिति – 1986

सिफारिश :– (i) पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा।
(ii) पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था
(iii) कार्यकाल – 5 वर्ष
(iv) राज्य निर्वाचन आयोग
(v) राज्य वित्त आयोग
(vi) महिलाओं हेतु आरक्षण

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(5) गाड़गिल समिति – 1988

(6) थुंगन समिति – 1989

64 वें संविधान संशोधन–1989 पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संसद में रखा गया लेकिन यह पारित नहीं हो पाया।

→ पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73 वें संविधान संशोधन–1992 द्वारा दिया गया।
राष्ट्रपति द्वारा अनुमति – 20 April 1993

→ भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन – 24 April 1993

NOTE – राजस्थान में – 23 अप्रैल 1994

इस अधिनियम के लिए जो 'संयुक्त प्रवर समिति' बनी उसके अध्यक्ष राजस्थान से सांसद नाथूराम मिर्धा थे।

→ प्रथम राज्य जहाँ संशोधन लागू किया गया – कर्नाटक

CamScanner

→ प्रथम राज्य जिसने चुनाव करवाए — मध्यप्रदेश

NOTE — राजस्थान में 73 वां संविधान संशोधन लागू होने के पश्चात् प्रथम बार चुनाव 1995 में करवाए गए।

THE NOTES HUB ★ Notes are Available ★ All Competition Books ★ 7300134518, 7610010054

पंचायतीराज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति —

अध्याय — 9 (शीर्षक — पंचायत)

अनुसूची — 11 (29 विषय (राजस्थान में 22 विषय / कार्य हस्तांतरित किये है।)

अनुच्छेद — 243 – 243(O)

→ राजस्थान पंचायतीराज कानून, 1994

→ राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 का क्रियान्वयन — 30 Sep 1996 को किया गया।

संवैधानिक प्रावधान —

(i) अनुच्छेद 243 — परिभाषा

(ii) 243(A) — ग्राम सभा का प्रावधान
↓
गठन — एक ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं द्वारा

→ यह एक संवैधानिक संस्था है। [Art. 243(A)]

CamScanner

→ यह एक स्थायी निकाय है। [राज्यसभा व विधानपरिषद की भाँति]

→ अध्यक्षता – सरपंच / उपसरपंच / ग्राम सभा सदस्य

→ बैठक बुलाने का अधिकार → सरपंच / उपसरपंच / VDO

→ बैठक – वर्ष में २ बार (राजस्थान में 4 बार)
(संवैधानिक प्रावधान)

(1) 15 अगस्त (२) 26 जनवरी

(3) 1 May (मजदूर दिवस) (4) 2 Oct.

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ ग्राम सभा की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। (2011 से)

→ राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा – मुहाना मंडी (1999)

(श्री अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन)

ग्राम सभा के कार्य-

1. पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना।
२. ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की पहचान।
3. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद दोनों ही प्रकार के अभिदान जुटाना।
4. ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना।
5. पंचायत क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में एकता व सौहार्द बढ़ाना।

CamScanner

6. किसी भी क्रियाकलाप, योजना, आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच व सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना।

7. अन्य कार्य जो विहित किए जाए।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(iii) 243 (B) (i) → त्रि-स्तरीय व्यवस्था

↓

जिला परिषद

↓

पंचायत समिति

↓

ग्राम पंचायत

243 (B) (ii) → राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, त्रि-स्तरीय व्यवस्था अपनाने से छूट दी गई है।

CamScanner

आधार	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
जनसंख्या	3000 की जनसंख्या पर ९ वार्ड तथा प्रति अतिरिक्त 1000 पर २ वार्ड	1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड प्रति अतिरिक्त 15,000 पर दो वार्ड	4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड प्रति अतिरिक्त 1 लाख पर २ वार्ड
न्यूनतम आकार संरचना	९ सदस्य	15 सदस्य	17 सदस्य
संरचना	संरपच, उपसंरपच, वार्डपंच	प्रधान, उपप्रधान, सदस्य पदेन सदस्य - MLA, सरपंच	प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य, सांसद, MLA, सभी प्रधान जिले के
अधिकारी	VDO	BDO	CEO
गणपूर्ति	1/3 सदस्य	1/3 सदस्य	1/3 सदस्य
बैठक	15 दिन में एक	1 माह में एक	3 माह में एक
निर्वाचन	सरपंच = प्रत्यक्ष उपसरपंच = वार्ड पंचों द्वारा वार्डपंच - प्रत्यक्ष	सदस्य - प्रत्यक्ष प्रधान व उपप्रधान - सदस्यों द्वारा।	सदस्य - प्रत्यक्ष प्रमुख, उपप्रमुख - सदस्यों द्वारा

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

243 (C) → पंचायतीराज संस्थाओं का गठन —

(i) तीनों स्तर पर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे।
(वार्ड पंच / पंचायत समिति सदस्य / जिला परिषद सदस्य)

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(ii) जिला परिषद व पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुख – अप्रत्यक्ष निर्वाचन
(जिला प्रमुख / प्रधान)

सरपंच – राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित पद्धति से – प्रत्यक्ष रूप से

NOTE – राज्य विधानमण्डल द्वारा MP व MLA (जिला परिषद ↔ पंचायत समिति) को भी पंचायतीराज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।

243 (D) → आरक्षण के प्रावधान

- SC/ST की आरक्षण — जनसंख्या के अनुपात में
- OBC हेतु आरक्षण — राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित
  (राजस्थान में 1999 से 21% आरक्षण)
- महिला हेतु आरक्षण — 1/3 (2010 से 50% – निर्णय 2009 में लिया गया)

243 (E) → कार्यकाल – 5 वर्ष

→ पद रिक्त होने के स्थान पर → 6 माह में उपचुनाव
(शेष समयावधि के लिए)

CamScanner

243 (F) → योग्यता → (1) स्थानीय मतदाता

(2) न्यूनतम आयु 21 वर्ष

(3) घर पर शौचालय

→ अयोग्यताएँ → (1) लाभ का पद

(2) मानसिक विकृति

(3) न्यायालय द्वारा दोषी

(4) राजस्थान मृत्युभोज प्रतिषेध अधिनियम 1960 में दोषी

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE – 2018 से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी पंचायतीराज चुनाव लड़ने हेतु योग्य माना गया है।

- 2018 से दिव्यांग संतान को गणना या परिवार की इकाई में नहीं किया जाता है।

NOTE – पंचायतीराज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता को राजस्थान पंचायतीराज कानून 1994 की धारा 19 के अंतर्गत अनिवार्य बनाया गया है।

↳ यह प्रावधान 2019 में समाप्त कर दिया गया है।

NOTE – 27 Nov. 1995 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर भी व्यक्ति को अयोग्य माना गया है।

243 (G) → पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य –

(1) सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना।

(२) सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

243 (H) → पंचायतीराज संस्थाओं को करारोपण का अधिकार

(1) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारण – जैसे – पथकर, मेलाकर

(२) पंचायतीराज संस्थाओं की विभिन्न निधि –

(i) ग्राम पंचायत निधि – इस निधि से धन सरपंच व VDO के हस्ताक्षर से निकाला / आहरित किया जा सकता है।

(ii) पंचायत समिति निधि – BDO एवं प्रधान

(iii) जिला परिषद – CEO व AO

243 (I) → राज्य वित्त आयोग

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(1) इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

(२) कार्यकाल – 5 वर्ष

(3) कार्य – (i) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्व हस्तान्तरण की सिफारिश करना। (शुल्क, पथकर फीस, आदि में से)

(ii) राज्य सरकार द्वारा संचित निधि से पंचायतीराज संस्थाओं को अनुदान की सिफारिश करना।

(iii) राज्य सरकार को पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना

CamScanner

NOTE – राज्य वित्त आयोग केवल एक सलाहकारी आयोग है।
जैसे – SHRC

राजस्थान के वित्त आयोग —

क्र.स.	अध्यक्ष	गठन की तिथि	समयावधि
प्रथम	श्री K.K. गौयल	24 अप्रैल, 1994 को गठन	1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2000
द्वितीय	हीरालाल देवपुरा (पूर्व CM)	7 May 1999	1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2005
तृतीय	मानिक चंद सुराणा	May 2004	1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च, 2010
चतुर्थ	B.D. कल्ला (पूर्व शिक्षा मंत्री)	13 अप्रैल, 2011	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015
पंचम	श्रीमति ज्योति किरण (एकमात्र महिलाध्यक्ष)	जुलाई, 2014	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020
छठा ↓	श्री प्रद्युमन सिंह	13 April 2021	1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025
2 सदस्य – लक्ष्मण सिंह, अशोक लाहोटी			

243 (J) → पंचायतीराज संस्थाओं का लेखा परीक्षण – राज्य विधानमण्डल द्वारा [Art-243]

243 (K) → राज्य निर्वाचन आयोग

243 (L) → उक्त प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे।

243 (M) → उक्त प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।

— मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, West Bengal का, दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

243 (N) → वर्तमान विधि व संस्थानों का बने रहना।

243 (O) → सिविल न्यायालयों के पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप पर रोक — परिसीमन व निर्वाचन संबंधी मामलें

73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधान

(1) पंचायतीराज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था

(2) कार्यकाल – 5 वर्ष

(3) उपचुनाव के प्रावधान – 6 माह में

(4) राज्य वित्त आयोग

(5) राज्य निर्वाचन आयोग

(6) महिलाओं को 1/3 आरक्षण

(7) ग्राम सभा का गठन

(8) वयस्कों को मताधिकार

(9) तीनों स्तर पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव

(10) न्यूनतम आयु – 21 वर्ष

ऐच्छिक प्रावधान

(1) महिलाओं को 50% आरक्षण

(2) OBC को आरक्षण

(3) संरपच का निर्वाचन

(4) PRI का लेखा परीक्षण

(5) PRI को कर लगाने का अधिकार

(6) 11वीं अनुसूची में विषय

(7) जिला आयोजना समिति की संरचना

(8) PRI में MP/MLA/MLC का प्रतिनिधित्व (Art 243 (c))

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

CamScanner

शपथ —

सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच → पीठासीन अधिकारी

प्रधान, उपप्रधान, सदस्य → BDO

जिलाप्रमुख, उपजिलाप्रमुख, सदस्य → जिला कलेक्टर

इस्तीफा —

सरपंच / उपसरपंच / वार्ड पंच → BDO

उपप्रधान / पंचायत समिति सदस्य → प्रधान

प्रधान / उपजिलाप्रमुख / जिला परिषद सदस्य → जिलाप्रमुख

जिलाप्रमुख → संभागीय आयुक्त

राजस्थान में पंचायतीराज समितियाँ —

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Exams 7300134518, 7610010054

(1) हरिश्चन्द्र शर्मा समिति — 1963

(2) सादिक अली समिति — 1964

(3) गिरधारीलाल व्यास समिति — 1973 (ग्राम सेवक पद की सिफारिश)

(4) हरलाल सिंह खर्रा — 1990 (पूर्व पंचायतीराज मंत्री)

(5) अरुण कुमार समिति - 1996

(6) कटारिया (गुलाब चंद कटारिया) समिति — 2009 (पंचायतीराज संस्थाओं की 5 विषय हस्तांतरित किए गए)

(7) V.S. व्यास समिति — 2010 — ग्राम सचिवालय की सिफारिश

CamScanner

पंचायतीराज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव — धारा 37

→ 2010 से → अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के शुरूआती 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता और अंतिम 1 वर्ष में भी।

→ 1/3 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है।

→ इसे 3/4 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

NOTE — जिसके खिलाफ लाया जाता है — (1) जिलाप्रमुख / उपजिलाप्रमुख

(2) प्रधान / उपप्रधान

(3) सरपंच / उपसरपंच

राजस्थान पंचायतीराज कानून - 1994 की महत्वपूर्ण धाराएँ —

धारा	प्रावधान
3	→ वार्ड सभा
7	→ वार्ड सभा के कार्य
8A	→ ग्राम सभा
8E	→ ग्राम सभा के कार्य
9	→ ग्राम पंचायत
10	→ पंचायत समिति
11	→ जिला परिषद
12	→ ग्राम पंचायत का गठन

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010034

CamScanner

13 → पंचायत समिति का गठन

14 → जिला परिषद् का गठन

17 → कार्यकाल / अवधि

18C → मतदान का अधिकार

19 → योग्यता

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

26 → सरपंच व उपसरपंच

32 → सरपंच व उपसरपंच के कार्य

36 → इस्तीफा

37 → अविश्वास प्रस्ताव

38 → निष्कासन

48 → गणपूर्ति

50 → पंचायतीराज संस्थाओं के कार्य

79 → BDO

89 → CEO

89 → VDO

90 → जिला संस्थापन समिति

94 → PRI का विघटन

117 → PRI चुनावों में न्यायपालिका की अधिकारिता को वर्जित किया गया है।

CamScanner

118	→ राज्य वित्त आयोग
120	→ राज्य निर्वाचन आयोग
121	→ जिला आयोजना समिति

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य-

- राजस्थान में प्रथम बार पंचायतीराज चुनाव-1960 में पंचायतीराज विभाग द्वारा (अब तक 11 बार आयोजन)
- राजस्थान में प्रथम बार नगरीय निकाय चुनाव-1960 में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा (अब तक 13 बार आयोजन)
- राजस्थान में 11 वें पंचायतीराज चुनाव Oct.,2020 में → 21 जिलों में
- राजस्थान में 13 वें नगरीय निकाय चुनाव Feb.2021 में → 91 नगरीय निकायों में
- राजस्थान में जिला परिषद् का गठन → 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड प्रत्येक 1 लाख पर 2 वार्ड की वृद्धि
- राजस्थान में पंचायत समिति की गठन → 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड प्रत्येक 15 हजार पर 2 वार्ड की वृद्धि।
- नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु योग्यता का प्रावधान- नगरपालिका अधिनियम-2009 की धारा 21 व 24

CamScanner

- नगरीय निकाय चुनाव में गोद दी गई संतान को भी गणना में शामिल करते है।
- नगरीय निकाय चुनाव हेतु प्रस्तावक-

  राजनीतिक दल के उम्मीदवार को = 1

  निर्दलीय उम्मीदवारों को = 5

- नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते है।
- एक व्यक्ति दो या दो से अधिक वार्डों से नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकता है।

PESA – कानून 1996

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतीराज का विस्तार

(Panchayati Raj Extension on Schedule Area)

→ दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर – 1994

→ राजस्थान में क्रियान्वयन – 30 Sep. 1999

→ राजस्थान के जिले – (8) डूँगरपुर, चित्तौड़, बासवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द

→ राजस्थान में पेसा नियम बनाए गए – 1999

राजस्थान पेसा नियम - 2011 (2 Nov. 2011 को लागू)

NOTE- इस नियम के तहत एक वर्ष में 4 बार ग्राम सभा आयोजित की जाती है। (तीन माह के अन्तराल पर)

CamScanner

नियम की मुख्य विशेषताएँ – (1) ग्राम सभा की विशेषाधिकार

(2) ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान

(3) शांति समिति का गठन

NOTE- भारत में PESA Act निम्न राज्यों में लागू है -

राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, ओडिशा, M.P, H.P

जिला आयोजना समिति —

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ प्रावधान – अनुच्छेद 243 ZD

→ उद्देश्य – जिले में एकीकृत विकास कार्यक्रमों का निर्माण (पंचायतीराज संस्थाओं व शहरी निकाय द्वारा)

→ सदस्य – न्यूनतम 4/5 सदस्य स्थानीय निकायों से – जनसंख्या के अनुपात में

→ संरचना – अध्यक्ष + 25 सदस्य

- अध्यक्ष ↓ जिला प्रमुख
- 25 सदस्य ↓ 16 + 4 + 3 + 2 → राज्य सरकार द्वारा मनोनीत
  - 16 ↓ PRI से
  - 4 ↓ शहरी निकाय
  - 3 ↓ पदेन सदस्य ⟶ कलेक्टर, CEO, ACEO

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश - २००० = 7 जनवरी, २००० को जारी

- ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी गाँव से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होंगे।
- ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होगी।

↳ पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूती देने के लिए 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें २९ कार्य समाहित है जो इन संस्थाओं के क्षेत्राधिकार व शक्ति में वृद्धि करते हैं। ये विषय है-

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।
२. भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन व भू-संरक्षण
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन और नदियों के मध्य भूमि विकास
4. पशुधन, दुग्ध का व्यवसाय तथा मुर्गी पालन।
5. मछली उद्योग
6. वन जीवन तथा वनों में कृषि।
7. लघु वन उत्पाद

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है।
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
10. ग्रामीण विकास
11. पेयजल
12. ईंधन व चारा
13. सड़क, पूल, नदी तट, जल मार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
14. ग्रामीण विद्युत एवं विद्युत विभाजन।
15. वैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. शिक्षा - प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय
18. तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा
19. प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय एवं वाचनालय
21. सांस्कृतिक गतिविधियाँ
22. मेले एवं बाजार
23. स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित संस्थाएँ - अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि।
24. परिवार कल्याण
25. महिला एवं बाल विकास

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010064

CamScanner

२६. समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक विमंदित व दिव्यांगों का कल्याण शामिल है।

२७. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर SC/ST के कल्याण व समृद्धि के कार्य।

२८. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

२९. सार्वजनिक सम्पत्तियों की देखरेख।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

नगरीय निकाय

→ भारत का प्रथम नगर निगम — मद्रास (1687)

→ 1726 में दो नए नगर निगम — मुम्बई और कोलकत्ता

इस प्रदेश में प्रथम नगरपालिका की स्थापना आबू में 1865 ई. में हुई।

→ राजस्थान का प्रथम नगरपालिका कानून — 1951

1951 में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया।

→ 65 वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संसद में रखा गया लेकिन यह पारित नहीं हो पाया।

→ भारत में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा 74 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा प्रदान किया गया।

→ भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन → 1 June 1993

→ राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वयन → 9 August 1994

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

नगरीय निकायों की संवैधानिक स्थिति —

नया अध्याय — 9A
शीर्षक — नगरपालिका
नई अनुसूची — 12 वीं (18 विषय)
अनुच्छेद — 243 P – 243 ZG

CamScanner

संवैधानिक प्रावधान —

अनुच्छेद 243 (P) → नगरीय निकायों की परिभाषा —

(1) महानगर क्षेत्र – जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो।
महानगरों के क्षेत्र में विकास हेतु विकास प्राधिकरण का गठन राज्य विधानमण्डल अधिनियम बनाकर करते है। यह निगमित निकाय होता है।

(2) नगर — न्यूनतम जनसंख्या — 5000
— जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग / कि.मी — 400
— न्यूनतम 75% पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में संलग्न हो।

243 (Q) → नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था
(1) नगर निगम
(2) नगर परिषद
(3) नगरपालिका

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

राजस्थान में स्थित समस्त नगरपालिकाओं का वर्गीकरण निम्न सारणी के अनुसार किया जा सकता है-

1.	नगर निगम	5 लाख से अधिक जनसंख्या
2.	नगर परिषद्	1 लाख से अधिक जनसंख्या किन्तु 5 लाख से कम
3.	नगर पालिका	20 हजार से अधिक जनसंख्या किन्तु 1 लाख से कम

CamScanner

243 (R) → नगरीय निकायों का संगठन

→ तीनों स्तर पर सदस्य / पार्षद – प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।

→ तीनों स्तर पर राजनीतिक प्रमुखों का निर्वाचन – अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा

[मेयर / उपमेयर , सभापति / उपसभापति — नगर परिषद

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष — नगरपालिका]

NOTE —
राज्य सरकार द्वारा मनोनित —
नगरपालिका — 6 सदस्य
नगर परिषद — 8 सदस्य
नगर निगम — 12 सदस्य
→ राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 द्वारा

243 (S) → वार्ड समिति का प्रावधान

↓

न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होना आवश्यक

243 (T) → आरक्षण

243 (U) → कार्यकाल

243 (V) → योग्यता

243 (W) → नगरीय निकायों के कार्य

243 (X) → नगरीय निकायों की करारोपण की शक्तियाँ

243 (Y) → राज्य वित्त आयोग

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

243 (Z) → लेखा परीक्षण

243(ZA) → राज्य निर्वाचन आयोग

243(ZB) → उक्त प्रावधान संघ – राज्य क्षेत्रों में लागू होगें।

243(ZC) → उक्त प्रावधान कुछ निश्चित क्षेत्रों में लागू नहीं होगें —
[244(1) में उल्लेख क्षेत्र]

243(ZD) → जिला आयोजना समिति – 4/5 सदस्य स्थानीय निकायों से

243(ZE) → महानगरीय नियोजन समिति – न्यूनतम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों से
(10 लाख की जनसंख्या पर)

243(ZF) → वर्तमान विधियों व संस्थाओं का बने रहना।

243(ZG) → न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक – परिसीमन व निर्वाचन संबंधी मामले।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में नगरपालिका तथा नगर परिषद् के कार्यों का उल्लेख किया गया है, यह तीन प्रकार के कार्य है – अनिवार्य, ऐच्छिक, विशेष

A. अनिवार्य कार्य-

1. सार्वजनिक मार्गों तथा भवनों में विद्युतीकरण व्यवस्था करना।
2. सार्वजनिक मार्गों/स्थलों से अवरोधों को हटाना।
3. मार्गों की सफाई करना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

4. आग बुझाना, जान माल की सुरक्षा करना।

5. भवनों की सुरक्षा/ खतरनाक भवनों को हटाना।

6. मृतक पशुओं को हटाना।

7. सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण।

8. शुद्ध व पर्याप्त जल की पूर्ति।

9. भवनों का संख्यांकन करना।

10. जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना।

11. आवारा तथा पागल कुत्तों से सुरक्षा व्यवस्था।

12. सम्पति की सुरक्षा।

13. पर्यावरण संरक्षण।

14. परिवार कल्याण हेतु कार्य करना।

➡ उपरोक्त कार्यों को करने के लिए न्यायालय द्वारा बाध्य किया जा सकता है।

B. ऐच्छिक कार्य-

1. नए सार्वजनिक मार्ग बनाने हेतु भूमि अवाप्त करना।

2. पार्कों, पुस्तकालयों, विश्रामगृह आदि का निर्माण व रख-रखाव।

3. गरीबों के लिए भवनों का निर्माण।

4. कर्मचारियों को आवास सुविधा।

5. सड़क किनारे वृक्ष लगवाना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

6. दूध की सप्लाई करना।
7. जन स्वास्थ्य तथा शिशु कल्याण व्यवस्था।
8. मातृ-प्रसूति केन्द्रों तथा शिशु केन्द्रों का रख-रखाव।
9. प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

C. <u>विशेष कार्य-</u>

1. बीमारी फैलने से रोकने के उपाय करना
2. अकाल, अभाव व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत कार्य प्रारंभ करना।
3. नगरपालिका, नगर परिषदों की सीमा में निराश्रितों को राहत देना।

<u>नगरपालिका अध्यक्ष व नगरपरिषद सभापति के कार्य एवं कर्त्तव्य-</u>

1. बैठकों की तिथि निर्धारित करना व बैठक बुलाना।
2. बैठकों का संचालन करना।
3. सम्पूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण करना।
4. नगरपालिका/नगरपरिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना।
5. नगरपालिका/नगरपरिषद् द्वारा पारित समस्त संकल्पों की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी को प्रेषित करना।
6. वार्षिक प्रतिवेदन, बजट आदि प्रस्तुत करना तथा उन्हें राज्य सरकार को प्रेषित करना।

CamScanner

आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और सचिव की शक्तियाँ व कार्य-

- राजस्थान नगरपालिका, नगरपरिषद् में निर्धारित नीतियों की क्रियान्विति हेतु अधिशासी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। यह वैतनिक पद है। राजस्थान में प्रथम श्रेणी की नगरपरिषद् में अधिशासी अधिकारी को 'आयुक्त' कहा जाता है।
- नगरपालिका में इसे 'अधिशासी अधिकारी' कहा जाता है।
- छोटी नगरपालिका में इसे 'सचिव' कहा जाता है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

ये निम्नलिखित शक्तियाँ व कार्यों का निर्वहन करते है-

1. नगरपरिषद्/नगरपालिका के समस्त अभिलेखों की रक्षा करना।
2. अपने हस्ताक्षरों से लाइसेंस तथा परमिट जारी करना।
3. अध्यक्ष/महापौर द्वारा निकाय के हितों से असंगत कार्यवाही करने पर असहमति टिप्पणी के साथ कलेक्टर को या राज्य सरकार को अवगत कराना।
4. नगरपरिषद्/नगरपालिका के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सचिव के अधीनस्थ होते है।
5. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अथवा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सचिव करेंगे।
6. नगरपरिषद/नगरपालिका के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन पर निगरानी रखना।
7. नगरपरिषद्/नगरपालिका की सम्पति तथा राशियों की चोरी/हानि/गबन के समस्त मामलों की सूचना देना।

CamScanner

8. नगरपरिषद / नगरपालिका के अंकेक्षण के दौरान रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं या कमी को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।

राजस्थान में नगर निगम —

- राजस्थान में 17 dec. 1992 को राजस्थान सरकार अधिसूचना द्वारा जयपुर व जोधपुर में नगर निगम स्थापित किये गए।
- 23 जनवरी 1993 को कोटा नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई।
- 2008 में बीकानेर तथा अजमेर नगर निगम बनाए गए।

- जयपुर व जोधपुर — 1992
- कोटा — 1993
- अजमेर एवं बीकानेर — 2008
- उदयपुर व भरतपुर — 2014
- 3 नए नगर निगम — जयपुर, जोधपुर व कोटा — 2019
- (11) अलवर — 2023

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

NOTE- हालही में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-339 सपठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 Sep. 2025 को एक अधिसूचना द्वारा पाली, भीलवाड़ा नगर परिषद् को नगर निगम क्रमोन्नत किया गया।

CamScanner

सांविधिक निकाय –

(1) छावनी म०डल→
छावनी मण्डलों का गठन संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची की तीसरी प्रविष्टि में है।

→ छावनी मण्डल कानून 1924 के अन्तर्गत कार्य करता है।

→ इनकी स्थापना 2006 के नए कानून द्वारा जाती है।

→ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

→ अध्यक्ष – CO (Commanding Officer)

→ कार्यकाल – 3 वर्ष

→ सदस्य – (1) निर्वाचित – नागरिकों में से
(2) मनोनीत – सैन्य प्रशासन में से

- छावनी बोर्ड का गठन निर्वाचित व मनोनित सदस्यों से मिलकर किया जाता है।
- उपाध्यक्ष असैनिक रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है।

✲ भारत में कुल छावनी म०डल – 61

हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा H.P. के योल छावनी म०डल को समाप्त कर दिया गया है।

✲ राजस्थान में छावनी म०डल – नसीराबाद (अजमेर)

CamScanner

(2) न्यास पत्तन / पॉर्ट ट्रस्ट → इसकी स्थापना संसद के एक कानून द्वारा (सांविधिक निकाय) की जाती है।

उद्देश्य → बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

→ यहाँ विकास कार्यों को सुनिश्चित करना।

उदाहरण → सूरत (गुजरात)

THE NOTES HUB Notes are Available for All Competition Books 7300134518, 7610010054

(3) एकल उद्देश्य अभिकरण →

(i) जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) – 1982 के कानून द्वारा स्थापित

(ii) जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) – 2008

राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित –

(1) नोटिफाइड एरिया कमेटी → इसकी स्थापना संसद के एक कानून द्वारा की जाती है।

→ इस समिति के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं।

उदाहरण → माऊंट आबू, पुष्कर, आमेर – 1993 में समाप्त कर दिया गया।

50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों मे एरिया सभा का गठन अनिवार्य होगा।

- छोटे शहरों के विकास हेतु नगर विकास न्यास की स्थापना राज्य विधानमण्डल अधिनियम के माध्यम से की जाती है।
- राजस्थान सरकार ने 18 मार्च, 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है।
- राज्य में शहरी निकायों के संबंध में नया अध्यादेश लागू किया गया है। अब शहरी निकायों के महापौर, सभापति एवं अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को सीधा ही प्राप्त हो गया है। जनता द्वारा चुने गए महापौर, सभापति या अध्यक्ष को तीन चौथाई (3/4) बहुमत से ही हटाया जा सकता है। 1 अक्टूबर, 2008 को राज्यपाल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दी।
- राजस्थान राज्य सरकार ने 25 नवम्बर 2010 को स्थानीय निकाय अधिनियम के अन्तर्गत अध्यादेश लाते हुए नगरपालिका एक्ट-2003 की धारा-53 को हटाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद सभापति तथा नगर निगम के महापौर के अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार खत्म कर दिया था, किन्तु 11 जनवरी, 2011 को जोधपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 25 नवम्बर 2010 के अध्यादेश पर रोक लगा दी है।

- शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए है, जो निम्न है-

1. नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

२. भू-उपयोग नियमन व भवन निर्माण।

3. आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएँ

4. सड़के एवं पुल

5. घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जल प्रबन्धन।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबन्धन।

7. अग्निशमन सेवाएँ

8. नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबन्धन।

9. समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों का संरक्षण।

10. गन्दी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम।

11. शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम

12. सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादी विकसित करना।

13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विस्तार।

14. श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह गृहों का प्रबन्धन

15. काँजी गृहों का प्रबन्धन

16. जन्म मृत्यु पंजीयन

17. रोड लाइट, पार्किंग बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार।

18. वैधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

लोकनीति

"नीति निर्माण लोक प्रशासन का सार है। नीति निर्माण की प्रक्रिया शासन प्रधान क्रियाओं में से एक है। नीति का अर्थ यह निर्णय करना है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, और कहाँ किया जाए।"

- पिटर- ऑडिगार्ड के अनुसार - "नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे है जो एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते।"
- इस प्रकार नीति वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की प्रस्तावित रूपरेखा व क्रियाविधि है। नीतियाँ उद्देश्यों को निश्चित अर्थ एवं मूर्त रूप प्रदान करती है।
- पॉल जे. फ्रेडरिक के अनुसार इस परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है के संबंध में किए गए निर्णय ही नीतियाँ है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Exams
7300134518, 7610010054

- लोकनीति अथवा सार्वजनिक नीति वह नीति है, जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते है। लोक प्रशासन लोकनीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गतिविधियों का योग है।
- 1960 के दशक में सार्वजनिक नीति को राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन के उपक्षेत्र के नाते मान्यता मिली।

CamScanner

लोकनीति की विशेषताएँ-

- लोकनीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम है।
- जनहित पर आधारित है।
- नीति सकारात्मक / नकारात्मक होती है।
- यह एक गतिशील प्रक्रिया है।
- लोकनीति भविष्योन्मुख होती है।
- लोकनीति दिशा- निर्देश रेखांकित करती है।
- लोकनीति परिणामोन्मुखी होती है और इसमें अधिक आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- लोकनीति वैधानिक सत्ता के आवरण में निर्मित होती है।
- नीति सरकार के उद्देश्यों तक पहुँचाने का साधन है।
- लोकनीति एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य करती है।
- नीति संविधान, कानून, अध्यादेश, विनियम, कार्यकारी आदेश अथवा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

लोकनीति के प्रकार-

(i) मूलभूत या सारवत या बुनियादी नीतियाँ – सम्पूर्ण समाज के सामान्य एवं सर्वांगीण कल्याण व विकास से संबंधित होती है जैसे- शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि से संबंधित नीतियाँ

CamScanner

(ii) नियंत्रक नीतियाँ- ऐसी नीतियाँ जो सरकार के नियंत्रक संबंधी कार्यों को प्रकट करती है जैसे- उद्योग, व्यापार, सुरक्षा उपाय।

(iii) वितरण संबंधी नीतियाँ- इन नीतियों का उद्देश्य पिछड़े तबकों को मुख्य धारा से जोड़ना है।

(iv) पुनः वितरक नीतियाँ- रोबिनहुड शैली में बनने वाली इन नीतियों के द्वारा अमीरों से टैक्स वसूलकर गरीबों को राहत पहुँचाई जाती है, जैसे- भूमि सुधार नीति।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

(v) संघटक नीति- ऐसी लोकनीतियाँ जो ज्ञान या तकनीकी विशेषज्ञों उपकरणों पर आधारित होती है। ये नीतियाँ राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य हित तथा व्यापक सन्दर्भों से युक्त होती है, संघटक नीतियाँ कहलाती है।

(vi) क्षेत्रक नीति- लोकप्रशासन के कार्यक्षेत्र के अनुसार विषयवार या विशेषज्ञता अनुसार जो नीतियाँ बनाई जाती है उन्हें क्षेत्रक नीतियाँ कहा जाता है।

CamScanner

स्थुल रूप से लोकनीति के तीन क्षेत्र है-

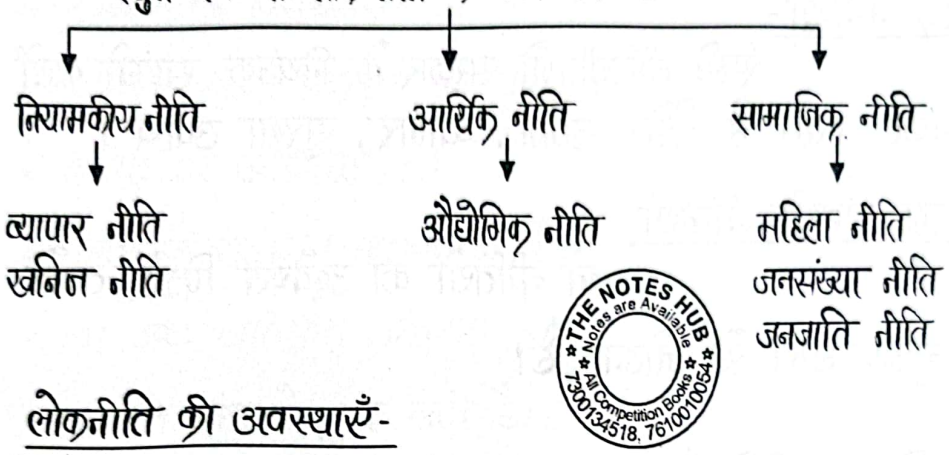

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

लोकनीति की अवस्थाएँ-

- **नीति निरूपण-** लोकनीति प्रक्रिया में पहली अवस्था नीति निरूपण है। सार्वजनिक क्रियाकलापों का प्रस्तावित अनुक्रम है जो सार्वजनिक माँगों एवं समस्याओं पर विचार करता है।

- **नीति व्याख्या-** नीति निरूपण का कार्य पुरा होने के साथ ही नीति में तकनीकी शब्द व वाक्यांश सम्मिलित हो जाते है।

- **नीति शिक्षा -** यह नीति सरकार, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से अपने द्वारा बनाई नीति के बारे में जनसामान्य को अवगत कराने का प्रयास करती है।

- **नीति क्रियान्वयन-** नीति के निरूपण व व्याख्या करने के पश्चात् व जन साधारण को इसके बारे में शिक्षित करने के पश्चात् अगली अवस्था नीति को क्रियान्वित करने की होती है।

CamScanner

• नीति नियंत्रण- नीति प्रक्रिया की अन्तिम अवस्था विभिन्न कर्ताओं व अभिकरणों के द्वारा निरूपित एवं क्रियान्वित की गई सार्वजनिक नीतियों पर नियंत्रण की होती है।

लोकनीति निर्माण प्रक्रिया-

- समस्या की पहचान
- मंत्रिमण्डल द्वारा रूपरेखा निर्माण
- विशेषज्ञ संस्था का गठन
- ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन
- कैबिनेट द्वारा संसद विधानमंडल में पेश
- सक्षम अधिकारी/विधानमण्डल द्वारा स्वीकृति
- अन्तिम रूप से तैयार नीति घोषित।

नीति विश्लेषण के प्रमुख प्रतिमान-

1. सांस्थानिक प्रतिमान

लोकनीति का सांस्थानिक प्रतिमान यह मानकर चलता है कि नीति निर्माण में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अर्थात् कोई भी नीति तब तक लोकनीति नहीं कहलाती जब तक उसके निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकारी संस्थाएँ संलग्न नहीं होती है।

२. **नव सांस्थानिक प्रतिमान-** यह मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है।

CamScanner

3. क्रीड़ा प्रतिमान-
मूलतः रक्षा नीति, विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों, युद्ध एवं शांति, परमाणु अस्त्रों तथा विधायिका में गठबंधनों इत्यादि के समय क्रीड़ा प्रतिमान प्रयुक्त होता है किन्तु लोकनीति में इस प्रतिमान का मान सीमित ही माना जाता है।

4. बुद्धिपरक प्रतिमान- राजनीति विज्ञानी चार्ल्स ई. लिण्डब्लोम ने इसकी व्याख्या की है।

5. व्यवस्था प्रतिमान- इसके प्रमुख डेविड ईस्टर्न है।

6. तार्किक चयन प्रतिमान- विन्सेंट ऑस्ट्रम, तुलोक निस्कनैन इसके समर्थक है।

7. कूड़ादान प्रतिमान – नीति निर्माण तथा निर्णयन का यह प्रतिमान माइकल डी. कोहन, जेम्स जी. मार्च ने इसे विकसित किया।

8. संगठित अराजकता प्रतिमान-
कूड़ादान प्रतिमान को विस्तार देते हुए जॉन डब्ल्यू किंगडन ने अपनी कृति में संगठित अराजकता प्रतिमान प्रस्तुत किया है।

THE NOTES HUB
Notes are Available
All Competition Books
7300134518, 7610010054

CamScanner

लोक नीति के उद्देश्य-

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार सम्पूर्ण समाज के प्रतिबिम्ब के सिवाय कुछ भी नहीं है।

सरकार के पास प्रशासन के अनेक क्षेत्रों यथा शिक्षा, प्रतिरक्षा, वित्त आदि होते है।

NOTE- प्रत्येक क्षेत्र के लिए या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए सरकार नीतियों का निरूपण करती है जिन्हें सामान्यतः लोक नीति से जाना जाता है।

1. दीर्घावधि उद्देश्य- यदि नीति दीर्घावधि है तो उद्देश्य भी उसी हिसाब से निर्धारित होगा,

e.g.- प्रतिरक्षा संबंधी नीति में दीर्घावधि उद्देश्य ध्यान में रखे जायेंगे।

➤ ये दीर्घावधि उद्देश्य उत्कृष्ट भर्ती, उपयुक्त प्रशिक्षण, उचित व्यवस्था आदि होते है।

THE NOTES HUB Notes are Available All Competition Books 7300134518, 7610010054

2. लघुअवधि उद्देश्य-

कुछ समस्याएँ संयोगवश उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के मामलों में नीतियों का निरूपण लघुअवधि के उद्देश्यों के साथ किया जाता है।

e.g. युद्ध के समय ब्लैक आउट का आदेश दिया जाता है, व सीमा क्षेत्रों में नजदीक के गाँवों से लोगों को हटाया जाता है।

CamScanner

NOTE- यदि कहीं हिंसा भड़क उठती है तो पुलिस लघुअवधि के उद्देश्यों के आधार पर वहां विधि एवं न्याय व्यवस्था की पुनर्स्थापना करती है।

भारत में नीति निर्माण के अंग-

- संविधान
- विधानमण्डल
- मंत्रीमण्डल
- नीति-निर्माण
- लोक सेवाएँ
- न्यायपालिका
- मीडिया
- दबाव समूह
- राजनीतिक दल
- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

लोकनीति में बाधाएँ-

- संसाधनों की अल्पता
- पारम्परिक प्रशासनिक तंत्र का होना।
- जनसहयोग की कमी
- नियमों, विनियमों व प्रक्रियाओं की जटिलताएँ
- अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप
- राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार
- समन्वय का अभाव
- उद्देश्यों की अस्पष्टता
- लोक सेवकों में वचनबद्धता व जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव।
- कई बार आदर्शात्मक एवं अयथार्थवादी नीतियों का निर्माण।
- मुख्यालय से विरोधाभासी निर्देशों का प्राप्त होना अर्थात् निर्देशों की द्वैधता।

CamScanner

OUR TOPPERS RAS-2021

Kiran Pal
Rank-3rd

Vishwajeet
Rank-4th

Bharti Gupta
Rank-5th

Aakansha Dubey
Rank-6th

Satya Narayan
Rank-10th

Shaheen Anjum
Rank-12th

Deepshikha
Rank-13th

Karamveer Singh
Rank-15th

Divya Soni
Rank-16th

Gaurav Sarswat
Rank-18th

Divya Bishnoi
Rank-19th

Sejal Shekhawat
Rank-20th

Ishwar Lal Gurjar
Rank-22nd

Pooja Pareek
Rank-23rd

Narendra
Rank-24th

Mohan Choudhary
Rank-25th

Taniya Rinwa
Rank-26th

Paramjeet Singh
Rank-27th

Rajat
Rank-28th

Neeraj Gupta
Rank-31st

Kaushalya Bishnoi
Rank-32nd

Vikash Sharma
Rank-34th

Suhasi Jain
Rank-36th

Ram Kumar Bhadu
Rank-38th

Bhajan Lal Jangir
Rank-39th

Bindia Bishnoi
Rank-40th

Himanshu Singh Panwar
Rank-41st

Prateek Sharma
Rank-42nd

Shishpal Singh
Rank-44th

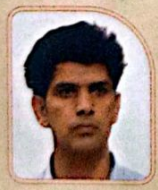
Mukesh Kumar
Rank-46th

Arjun Singh Rathore
Rank-48th

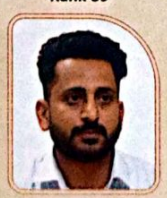
Jagvindra Pal Singh
Rank-51th

Vijay Pal Yadav
Rank-56th

Swati Buri
Rank-57th

Tarun Kant Tiwari
Rank-58th

Suresh Bishnoi
Rank-59th

Vinod Kumar
Rank-60th

Shiva Joshi
Rank-61th

Anusha Jain
Rank-62nd

Om Prakash Godara
Rank-64th

Ankit Kuri
Rank-66th

Paras Mal
Rank-67th

MAHECHA PUBLICATION

Contact Now :
7610010054
7300134518

Plot No. 58, West Way Heights, Bhankrota, Jaipur (Raj.)-302026

ORDER NOW
SCAN QR CODE

NRT
Fix Price
160/-

CamScanner